IAS GS World PCS

Committed To Excellence

UPPCS Pre- 2023

भारतीय राजव्यवस्था

माइंड मैप पर आधारित

With Previous Year Questions (2015 - 2022)

सामान्य अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान, जिसका लक्ष्य आपको सफलता दिलाना है...

IAS GS World PCS

Committed To Excellence

पत्राचार पाठ्यक्रम

Distance Learning Programme

उच्चस्तरीय एवं विश्वसनीय अध्ययन सामग्री...

- सिविल सेवा परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है, जिसमें सभी वर्ग, सभी क्षेत्रों, सभी एकेडमिक बैकग्राउंड के अभ्यर्थी प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऐसे में इस परीक्षा में सफलता पाने हेतु एक बेहतर अध्ययन सामग्री तथा सटीक, गुणवत्तापूर्ण एवं व्यापक मार्गदर्शन की हमेशा ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। GS WORLD सिविल सेवा के क्षेत्र में व्यापक, गुणवत्तापूर्ण एवं सटीक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाई गई एक संस्था है।
- GS WORLD ने स्तरीय शिक्षा का एक मानक स्थापित किया है। संघीय एवं राज्य सेवा परीक्षा में इसके निर्देशन में सैकड़ों अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वर्तमान में भारत के सुप्रसिद्ध अनुभवी अध्यापक एवं शिक्षाविद् GS WORLD के साथ संबद्ध है।
- अगर आप किसी कारणवश हमारे नियमित कक्षा कार्यक्रम से जुड़ पाने में असमर्थ हैं, तो हमारे पत्राचार पाठ्यक्रम से जुड़ सकते हैं तथा यह आपकी तैयारी को एक मजबूत आधार प्रदान करेगा।

हमारी प्रमुख पुस्तकें

& many more...

Distance Learning Programme पुस्तकों की विशेषताएँ...

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फार्म में सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रमाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत् वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

₹ 5000/- COMPLETE PRINTED BOOKLETS FOR PRELIMS

₹ 7500/- COMPLETE PRINTED BOOKLETS FOR MAINS

facebook.com/gsworld1 | GS World IAS Institute | t.me/GSWorldIAS | gsworldias@gmail.com

INDEX

क्रम स.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	भारत का संवैधानिक विकास संविधान सभा एवं प्रक्रिया तथा स्त्रोत	1–13
2.	संविधान की अनुसूची एवं भाग	14–15
3.	राष्ट्रीय प्रतीक	16–17
4.	देशी रियासतों का विलय, संघ व राज्य क्षेत्र	17–18
5.	प्रस्तावना, नागरिकता	19–20
6.	मूल अधिकार, DPSP, कर्तव्य	21–30
7.	संसदीय व्यवस्था, संघीय कार्यपालिका	31–40
8.	वरीयताक्रम, संसद	41–52
9.	राज्य कार्यपालिका	53–55
10.	पंचायतें, नगरपालिका	56–58
11.	केन्द्र-राज्य संबंध, आपातकाल	59–60
12.	संवैधानिक संस्थाएँ	61–65
13.	गैर-संवैधानिक संस्थाएँ	65–69
14.	संविधान संशोधन	69–72
15.	न्यायपालिका	72–78
	• यूपीपीसीएस (प्री) में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न	79–98
	• पॉलिटी ट्रेंड एनालिसीस	

भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने **1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार** प्राप्त करने के बाद संवैधानिक विकास की प्रक्रिया आरंभ की ताकि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत में धीरे-धीरे किया जा सके

- कंपनी के शासन के अधीन संवैधानिक विकास (1773-1858)
- सम्राट के शासन के अधीन संवैधानिक विकास (1858-1947)

कंपनी का शासन के अन्तर्गत प्रमुख एक्ट

- 1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट
- एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781
- 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट
- 1786 का अधिनियम
- 1793 का चार्टर एक्ट
- 1813 का चार्टर एक्ट
- 1833 का चार्टर एक्ट
- 1853 का चार्टर एक्ट

ताज का शासन

- 1858 का भारत शासन अधिनियम
- 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम
- भारत शासन अधिनियम 1919
- भारत शासन अधिनियम 1935
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

GS World Committed To Excellence

1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट

भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर

उद्देश्य- कंपनी में व्याप्त कुप्रशासन एवं भ्रष्टाचार को दूर करना

इसके माध्यम से **ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत के मामलों में हस्तक्षेप किया** और कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी

इस एक्ट के समय इंग्लैंड के पीएम 'लॉर्ड नॉर्थ' थे

मुख्य बातें

- भारत में केन्द्रीय प्रशासन की नींव रखी गई।
- बंगाल का गवर्नर अब **'बंगाल का गवर्नर जनरल'** कहलाया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर इसके अधीन रखे गए।
- बंगाल का **प्रथम गवर्नर जनरल** लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स (20 अक्टूबर, 1773 को बने)
- कलकत्ता में **1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना** [एक मुख्य न्यायधीश और तीन अन्य न्यायधीश (मुख्य जज **सर एलिजाह इम्पे** एवं तीन अन्य **जज चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड** थे।
- इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों सहित **सभी ब्रिटिश विषयों पर सर्वोच्च न्यायपालिका का दर्जा** दिया गया।
- कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने के अलावा भारतीयों से उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लागू।
- **'बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स'** के जरिए कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का सशक्त नियंत्रण लागू।
- कंपनी के लिए राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य
- बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता हेतु चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन। (सदस्य- जॉन कलेवरिंग, जॉर्ज मोनसन, रिचर्ड वारवेल और फिलिप फ्रांसिस)
- परिषद में गवर्नर जनरल को नियम, अध्यादेश और विनियम बनाने की शक्ति।

एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781

रेग्यूलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने हेतु **5 जुलाई, 1781 को पारित।**

'डिक्लेरेटरी एक्ट' या **'अमेन्डिंग एक्ट ऑफ 1781'** नाम से भी प्रचलित।

लाने का **मुख्य उद्देश्य** सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच शक्तियों का संतुलन करना।

इस एक्ट की मुख्य बातें

- कलकत्ता की सरकार अब **बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा हेतु भी विधि** बना सकती थी।
- सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कमी हुई– कंपनी के सेवक, गवर्नर जनरल तथा काउंसिल अपने कार्य करने के दौरान कार्यवाहियों हेतु सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गए।
- राजस्व एवं राजस्व वसूली संबंधी मामले भी कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं रहे।
- अदालत का भौगोलिक अधिकार केवल कलकत्ता तक सीमित हो गया।
- यह अधिनियम भारत में अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करके **कार्यपालिकाओं को न्यायपालिका से अलग करने का पहला प्रयास था।**

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

ब्रिटिश **पीएम विलियम पिट के नाम पर** रेग्यूलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने और कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को कुशल और जिम्मेदार बनाने हेतु लाया गया।

मुख्य बातें

- **दोहरे प्रशासन का प्रारंभ-**
  1. **बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स-** व्यापारिक मामलों के लिए (कुल सदस्य 6, कोरम के लिए 3 सदस्य)
  2. **बोर्ड ऑफ कंट्रोलर-** राजनीतिक मामलों हेतु
- बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भारत मंत्री, वित्त मंत्री और चार प्रिवी काउंसलर शामिल थे।
- कंपनी के पास व्यापार का अधिकार और अपने स्वयं के अधिकारियों की नियुक्ति व बर्खास्तगी का अधिकार बना रहा।
- महत्वपूर्ण मामलों पर **गवर्नर जनरल** परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता था।
- गवर्नर जनरल भारत में सभी ब्रिटिश सैनिकों का **'कमांडर-इन-चीफ'** बनाया गया।
- ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण मिला, हालांकि कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति जारी रही।
- यह **पहली बार था जब कंपनी की संपत्ति पर ब्रिटिश अधिकार** दिया गया।
- पिट्स एक्ट को लागू करने हेतु **लॉर्ड कॉर्नवालिस को संसद द्वारा नियुक्त** किया गया।
- एक्ट ने **कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक-दूसरे से अलग** कर दिया।

1786 का अधिनियम

इस अधिनियम ने **कॉर्नवालिस** को **गवर्नर जनरल** और **कमांडर इन चीफ** के तौर पर काम करने की अनुमति दी।

कार्नवालिस को भूमि, न्यायपालिका और प्रशासनिक सुधारों की स्थापना करने और ब्रिटिश सेना और प्रशासन को पुनर्गठित करने हेतु जाना जाता है। ऐसे में वह अपनी विशेष जिम्मेदारी पर कार्य कर सके इसके लिए **गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करके खुद के निर्णयों को लागू करने का अधिकार दिया गया।**

1793 का चार्टर एक्ट

- 1793 में **कंपनी के वाणिज्यिक विशेषाधिकार** को **अगले 20 वर्षों (1793-1813) तक** के लिए **बढ़ा दिया गया।**
- इस एक्ट के तहत **बंगाल के गवर्नर जनरल (कार्नवालिस)** द्वारा काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिशासी शक्ति के प्रावधान को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों के साथ-साथ प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक विस्तारित किया गया।
- **बंगाल गवर्नर जनरल** को बाम्बे एवं मद्रास की सरकारों पर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति मिली।
- सभी सदस्यों एवं कर्मचारियों को **भुगतान भारतीय राजस्व से** दिया जाना तय। यह व्यवस्था 1919 तक जारी रही।
- **कमांडर इन चीफ** अब गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य नहीं रहा।

1813 का चार्टर एक्ट

- इसने **कंपनी के अधिकार पत्र** को **अगले 20 वर्षों हेतु नवीनीकृत** किया
- इसने **पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों** की **संवैधानिक स्थिति को परिभाषित** किया।
- इसे **ईस्ट इंडिया एक्ट 1813** नाम से भी जाना जाता है।

मुख्य बातें

- भारत में **कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार** समाप्त। (चीन एवं चाय के साथ व्यापार को छोड़कर।)
- कुछ सीमाओं के साथ अब **सभी ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार कर सकते थे।**
- **ईसाई मिशनरियों** को भारत में **धार्मिक और नैतिक सुधार की अनुमति।**
- **शिक्षा में सुधार हेतु 1 लाख का अनुदान।**
- ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में **पश्चिमी शिक्षा के प्रचार-प्रसार की शुरुआत।**
- कंपनी के **क्षेत्रीय राजस्व सहित वाणिज्यिक लाभ पर नियंत्रण** करते हुए इन खातों को पृथक रखने का प्रावधान (कंपनी लाभांश 5% निर्धारित)
- भारत में **स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर टैक्स लगाने की शक्ति मिली।**
- कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य किया गया।

1833 का चार्टर एक्ट

- इसे **'सेंट हेलेना अधिनियम'** भी कहते हैं।
- मुख्य बातें
- यह एक्ट **इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का परिणाम** था

मुख्य बातें

- इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की **व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त कर उसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय** बना दिया।
- बंगाल का गवर्नर जनरल अब **'भारत का गवर्नर जनरल'** कहलाया (**प्रथम- लॉर्ड विलियम बेंटिक**)।
- एक्ट के तहत **पहली बार सरकार का ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण।**
- **भारत के गवर्नर जनरल** को समूचे **ब्रिटिश भारत में विधायी असीमित अधिकार** मिले। वहीं **मद्रास, बंबई के गवर्नरों के विधायिका शक्ति को समाप्त किया गया।**
- सिविल सेवकों की **'भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता प्रणाली'** की शुरुआत लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोधस्वरूप प्रावधान समाप्त।
- और कहा गया कि केवल जन्म, जाति, वर्ग, धर्म या जन्म के स्थान पर किसी पद या सेवा से वंचित नहीं किया जायेगा। हांलाकि इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया।
- गवर्नर जनरल की परिषद में **विधि सदस्य की नियुक्ति (मैकाले प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष, कुल सदस्य 4)**

1853 का चार्टर एक्ट

1852 में **'सेलेक्ट कमिटी ऑन इन्क्वायरी'** के रिपोर्टों के आधार पर इस अधिनियम को

यह एक्ट **भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत** का प्रतीक है।

इस एक्ट को **लाने के दो अन्य कारण**- राजा राममोहन राय की इंग्लैंड यात्रा एवं बांबे और मद्रास नेटिव एसोसिएशन द्वारा सरकार पर दबाव।

इस समय **डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल** था।

मुख्य बातें

- गवर्नर जनरल की **परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग** किया गया।
- छः 'विधान पार्षद' की नियुक्ति कर **भारतीय विधान परिषद का गठन** हुआ। इसने **'छोटी संसद' की भांति कार्य** किया।
- **कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स** के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 किया गया।
- कंपनी के उच्च पदों को **प्रतियोगी परीक्षा** के आधार पर भरने हेतु **1854 में मैकाले समिति का गठन। सिविल सेवा में भारतीयों की नियुक्ति शुरू।**
- कंपनी से लेकर **भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश राज के कब्जे में रूपांतरित करने की शुरुआत।** हालांकि निश्चित समय निर्धारण नहीं।
- **गवर्नर जनरल को बंगाल के प्रशासनिक कर्तव्यों से मुक्त** कर दिया गया।
- **पहली बार भारतीय केन्द्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व** शुरू। इसके लिए **6 नए सदस्यों में से चार को बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा के प्रांतीय सरकारों द्वारा चुना जाना था।**

भारत सरकार अधिनियम, 1858

भारतीय शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन

1857 के विद्रोह के बाद पारित

उद्देश्य- प्रशासनिक मशीनरी में सुधार

इसके तहत **'ईस्ट इंडिया कंपनी'** को समाप्त कर, गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी **शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी गई**

मुख्य बातें

- गवर्नर जनरल अब **'भारत का वायसराय'** कहलाया।
- प्रथम वायसराय- **लॉर्ड कैनिंग**
- **वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था।**
- नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर **भारत में द्वैध प्रणाली का अंत कर** इनके अधिकार **'भारत राज्य सचिव'** को दिए गए।
- भारत में **'मंत्री पद' की व्यवस्था** तथा 15 सदस्यीय **भारत-परिषद का सृजन** एक निगमित निकाय के रूप में **(इसका अध्यक्ष भारत सचिव)**
- **'मुगल सम्राट' पद की समाप्ति।**

भारत परिषद अधिनियम, 1861

उद्देश्य- सत्ता के विकेन्द्रीकरण तथा भारतीयों के सहयोग हेतु यह एक्ट लाया गया

मुख्य बिन्दु

- भारत सरकार की **मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव** रखी गई।
- गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार (4 से बढ़ाकर 5)।
- कानून बनाने की प्रक्रिया में **भारतीय प्रतिनिधियों को गैर-सरकारी सदस्य के तौर पर शामिल** करने की शुरुआत (इसके तहत वायसराय कैनिंग द्वारा 1862 में तीन भारतीयों- **बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव** को विधान परिषद में नामित किया गया)।
- बिना काउंसिल की संस्तुति के **वायसराय** को पहली बार **अध्यादेश जारी करने का अधिकार** (6 माह की अवधि)

(Port Folio System)

- **विभागीय प्रणाली की शुरुआत** लॉर्ड कैनिंग ने की (1859 में)
- मद्रास और बंबई प्रेसीडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर **विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत।**
- वायसराय को **बंगाल, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत** तथा **पंजाब में विधान परिषद** स्थापित करने की शक्ति मिली तथा **क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में इनका गठन हुआ।**

भारत परिषद अधिनियम, 1892

मुख्य बातें

- अप्रत्यक्ष रूप से **'निर्वाचन पद्धति' की शुरुआत** तथा निर्वाचित सदस्यों को 'मनोनित' की संज्ञा (**'चुनाव शब्द' का प्रयोग नहीं**)
- विधान परिषद अब **बजट पर बहस करने** और **कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु अधिकृत।**
- केन्द्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी (बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा)
- केन्द्रीय विधान परिषद में इन **गैर-सरकारी सदस्यों को नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वायसराय नामांकित करता था** जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर द्वारा।

क्या आप जानते हैं?

1. 1873 के अधिनियम के तहत 1 जनवरी, 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया।
2. **शाही उपाधि एक्ट, 1876**
   - इसके द्वारा 28 अप्रैल, 1876 ई० को **'भारत की साम्राज्ञी'** के रूप में **'महारानी विक्टोरिया'** को घोषित किया गया।

GS World Committed To Excellence

भारत परिषद अधिनियम, 1909

- 'मार्ले-मिंटो सुधार' नाम से प्रचलित
- लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव जबकि मिंटो भारत के वायसराय थे।

राजेन्द्र प्रसाद ने मिंटो को 'सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक' कहा।

महात्मा गाँधी ने इस एक्ट को 'सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट' कहा।

मुख्य बातें

- भारतीयों को कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति (**सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा** वायसराय की कार्यपालिका परिषद के **प्रथम भारतीय सदस्य** बने, विधि सदस्य के रूप में)
- केन्द्रीय (16 से बढ़ाकर 60) तथा प्रांतीय **विधान परिषदों के आकार में वृद्धि** (केन्द्रीय परिषद में सरकारी बहुमत लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर-सरकारी सदस्य बहुमत में हो सकते थे)
- विधान परिषदों (केन्द्र एवं प्रांत में) को **पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प रखने, मत देने का अधिकार** मिला।
- पृथक निर्वाचन के आधार पर **मुस्लिमों हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान** यानी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे।
- प्रेसीडेंसी कॉर्पोरेशन, चैंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों एवं जमींदारों हेतु अलग प्रतिनिधित्व।

भारतीय शासन अधिनियम, 1919

- **'मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार'** नाम से प्रसिद्ध (मॉण्टेग्यू भारत के राज्य सचिव जबकि चेम्सफोर्ड वायसराय थे।)
- उद्देश्य: भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना।

इस अधिनियम की समीक्षा हेतु दस साल बाद आयोग के गठन की बात (**नवम्बर 1927 में साइमन कमीशन गठित**)

अंग्रेजों द्वारा भारत में **स्व-शासन लागू करने का पहला प्रयास।**

मुख्य बातें

- पहली बार **केन्द्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना** (वर्तमान राज्यसभा और लोकसभा की तरह)
  1. **राज्य परिषद** (सं॰ 60, कार्यकाल 5 वर्ष)।
  2. **केन्द्रीय विधानसभा** (सं॰ 144, कार्यकाल 3 वर्ष)।
- केन्द्रीय और प्रांतीय विषयों की पहचान कर एवं उनके पृथक्करण द्वारा राज्यों पर केन्द्रीय नियंत्रण कम हुआ।

प्रांतीय विषयों को दो भागों में बाँटा गया :

– **हस्तांतरित एवं आरक्षित।** इसे **'द्वैध शासन प्रणाली' की शुरुआत** माना गया। (**प्रांतों में द्वैध शासन का जनक-लियोनस कार्टियस**)

- **पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था।**
- संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर **सीमित संख्या में भारतीय जनता को मताधिकार। आय के आधार पर कुछ महिलाओं को मताधिकार दिया गया।**
- सांप्रदायिक आधार को आगे बढ़ाते हुए **सिख, ईसाई, आंग्ल-भारतीय और यूरोपीय को पृथक निर्वाचन के दायरे में लाया गया।**
- पहली बार **केन्द्रीय बजट को राज्य बजट से अलग** किया गया।
- **लोक सेवा आयोग के गठन** का प्रावधान [**ली आयोग (1923-24)** की सिफारिश पर **1926 में केन्द्रीय लोकसेवा आयोग** की स्थापना)
- इस अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।

भारत शासन अधिनियम, 1935

गोलमेज सम्मेलन की **असफलता के बाद** लाया गया।

1935 के अधिनियम हेतु बनी समिति के अध्यक्ष **लॉर्ड लिनलिथगो** थे।

इस अधिनियम में **321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं** जिनमें से **अधिकांश को** आजादी के बाद **भारतीय संविधान में अपना लिया गया।**

मुख्य बातें

- **अखिल भारतीय संघ की स्थापना** होगी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत (अनिवार्यत:), रियायत (स्वेच्छिक) शामिल होती लेकिन रियासतों के इसमें शामिल न होने से **यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई।**
- **प्रांतों में द्वैध शासन** का अंत और **केन्द्र में इस प्रणाली का आरंभ।**
- **संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची** के आधार पर शक्तियों का बँटवारा। **अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय** को दी गई।
- **संघीय न्यायालय की व्यवस्था** हुई जो 1937 में स्थापित हुई। हालांकि न्यायालय संबंधी **अंतिम शक्ति प्रिवी कौंसिल (लंदन)** को प्राप्त थी।
- 1858 द्वारा स्थापित भारत शासन एक्ट की समाप्ति।
- **मताधिकार का विस्तार (लगभग 10% आबादी को)**
- **सांप्रदायिक निर्वाचन** के विस्तार के जरिए **दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्ग को शामिल** किया गया।
- **6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था** प्रारंभ **(बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम)**
- देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण हेतु **रिज़र्व बैंक की स्थापना (रिजर्व बैंक एक्ट 1934)**
- **यूपीएससी और प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना।**
- बर्मा–भारत से अलग हुआ। 1936 में उड़ीसा का निर्माण।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

- 3 जून, 1947 को **माउंटबेटन प्लान पेश** हुआ।
- 4 जुलाई, 1947 को **ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित।**
- 15 जुलाई, 1947 को **हाउस ऑफ कॉमंस में पारित।**
- 16 जुलाई, 1947 को **हाउस ऑफ लॉर्ड्स** से पारित।
- 18 जुलाई, 1947 को **सम्राट के हस्ताक्षर।**

मुख्य बिन्दु

- वायसराय पद और ब्रिटेन में **भारत सचिव पद की समाप्ति।**
- शाही उपाधि से **'भारत का सम्राट' शब्द समाप्त।**
- 15 अगस्त, 1947 को **भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन राज्यों का गठन।**
- इन राज्यों में **गवर्नर जनरल पद सृजित (माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, जबकि जिन्ना पाकिस्तान के)**
- सत्ता का उत्तरदायित्व इन डोमिनियन्स की संविधान सभा करेगी तथा जब तक ये सभाएँ नए संविधान का निर्माण न कर लें तब तक संसद के रूप में संविधान सभा कार्य करेगी।
- **भारतीय रियासतें** चाहें तो भारत डोमिनियन या पाक डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं।

संविधान सभा

पृष्ठभूमि:

- सर्वप्रथम मांग **मई, 1934** में रांची में **स्वराज पार्टी** ने की।
- वर्ष 1934 में इसके गठन का विचार **एम.एन. राय** ने दिया।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार वर्ष 1935 में संविधान सभा की मांग की।
- एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव **सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन** द्वारा किया गया था।
- **कैबिनेट मिशन योजना, 1946** की सिफारिश पर गठन।
- **प्रति दस लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि** के निर्वाचन की व्यवस्था। (अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम, वयस्क मताधिकार पर आधारित)
- संविधान सभा के लिए **चुनाव जुलाई-अगस्त, 1946** में संपन्न हुआ।
- संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित। (296 सीटें ब्रिटिश भारत, 93 सीटें देशी रियासत)
- संविधान सभा से मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद सदस्य = 299, इनमें से **भारतीय प्रांत से** –229, **देशी रियासतों से** – 70
- **देशी रियासतों** ने संविधान सभा में **भाग नहीं लिया।**
- राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग **निर्वाचक मंडल** के रूप में किया गया।
- **9 दिसंबर, 1946** को सभा की **पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों** ने हिस्सा लिया।
- 9 दिसंबर, 1946 को सभा की **प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा।**
- 11 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा ने **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद** (निर्विरोध) संविधान सभा के **स्थायी अध्यक्ष** के रूप में निर्वाचित।
- संविधान सभा के **सचिव**– एच०वी०आर० अयंगर, संविधान सभा **मुख्य प्रारूपकार**– एच०एन० मुखर्जी।

संविधान निर्माण की प्रक्रिया

- निर्माण में लगा समय – **2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन**
- **26 नवंबर, 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित**
- **24 जनवरी, 1950** को सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए।
- **बेनेगल नरसिंह राव (बी.एन. राव) को संवैधानिक सलाहकार**
- संविधान पूर्ण रूप से **26 जनवरी, 1950** को लागू हुआ।
- **संविधान सभा की आलोचना–**

  ग्रेनविले ऑस्टिन– 'संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत'।

  लॉर्ड विसकाउंट– यह हिन्दुओं का निकाय है

  विंस्टन चर्चिल– यह भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है।

  निराजुद्दीन अहमद ने इसे 'अपवहन समिति' कहा।

संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या (15)–

1. विजयलक्ष्मी पंडित 2. राजकुमारी अमृत कौर 3. सरोजिनी नायडू 4. सुचेता कृपलानी 5. पूर्णिमा बनर्जी 6. लीला राय 7. जी. दुर्गाबाई 8. हंसा मेहता 9. कमला चौधरी 10. रेणुका राय 11. मालती चौधरी 12. दक्षयानी वेलायुदन 13. बेगम एजाज रसूल 14. ऐनी मस्करीनी 15. अम्मु स्वामीनाथन।

- कार्य संचालन समिति- के. एन. मुंशी
- सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति- एस. वरदाचरियर

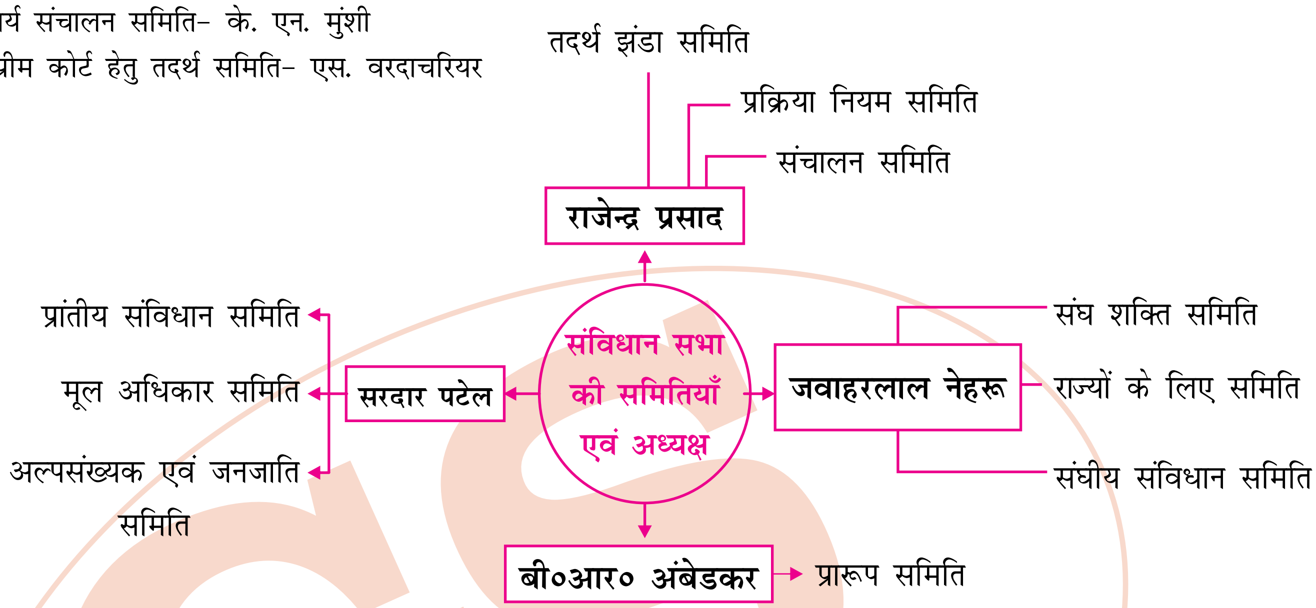

प्रारूप समिति

- **गठन** – 29 अगस्त, 1947
- **अध्यक्ष**- अंबेडकर
    - **पहला प्रारूप** – फरवरी 1948 में प्रकाशित
    - **दूसरा प्रारूप** – अक्टूबर 1948 में प्रकाशित
    - **अंतिम प्रारूप**- 4 नवम्बर, 1948 को अंबेडकर द्वारा पेश।
- **सदस्य** – एन० गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, के०एम० मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी०एल० मित्र (बाद में एन० माधव राव) एवं डी०पी० खेतान (बाद में टी०टी० कृष्णामाचारी)
- डॉ० अंबेडकर को **'भारतीय संविधान के पिता'**, **'आधुनिक मनु'**, **'भारतीय संविधान प्रमुख शिल्पकार'** के रूप जाना जाता है।

अंतरिम सरकार (अक्टूबर, 1946)

मंत्री	विभाग
1. जवाहरलाल नेहरू	विदेश, राष्ट्रमंडल संबंधी मामले
2. वल्लभभाई पटेल	सूचना एवं प्रसारण तथा गृह
3. सी० राजगोपालाचारी	शिक्षा
4. लियाकत अली	वित्त
5. जोगेन्द्र नाथ मंडल	विधि
6. अब्दुर रब निश्तर	रेल
7. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
8. डॉ० सी०एच० भाभा	कार्य, खनन एवं शक्ति
9. बलदेव सिंह	रक्षा
10. आई०आई० चुंदरीगर	वाणिज्य

संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

- सबसे लंबा लिखित संविधान **(प्रस्तावना, 365 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ तथा 105 संविधान संशोधन)**
  नोट: संविधान में मूलत: 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी।
- विभिन्न स्रोतों से लिया गया है
- नम्यता और अनम्यता का समन्वय
- बड़ी संख्या में एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था।
- सरकार का संसदीय स्वरूप–
- संसदीय संप्रभुता तथा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच संतुलन
- एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका
- मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
- मौलिक कर्तव्य
- धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
- एकल नागरिकता

1. संविधान के एकात्मक लक्षण

एक सशक्त केन्द्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केन्द्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि।

2. **संघात्मक लक्षण**

द्वैध राजपद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका

भारतीय संविधान को विस्तृत बनाने का कारण

1. **भौगोलिक कारण** – भारत का विस्तार एवं विविधता।
2. **ऐतिहासिक** – भारत शासन अधिनियम 1935 का विस्तृत होना।
3. जम्मू व कश्मीर को छोड़कर शेष भारत हेतु **एकल संविधान।**
4. संविधान सभा में **कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व।**

क्या आप जानते हैं?

1. **ज्ञानपीठ पुरस्कार :** यह सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्य अवार्ड है।
   ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उन लेखकों को दिया जाता है जो **अंग्रेजी** तथा संविधान की **8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भारतीय भाषाओं** में लिखते हैं।
2. **साहित्य अकादमी अवार्ड :** संविधान में शामिल **22 भाषाओं** के अलावा **अंग्रेजी** और **राजस्थानी भाषा** के लेखकों को दिया जाता है।

संविधान के स्रोत

भारत शासन अधिनियम, 1935- संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। (भारतीय संविधान पर इस एक्ट का सर्वाधिक प्रभाव है)

अमेरिकी संविधान से - उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना।

ब्रिटेन से

संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख।

आयरलैंड के संविधान से

नीति-निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्य सभा में कुछ सदस्यों का नामांकन।

कनाडा के संविधान से

सशक्त केन्द्र के साथ संघीय व्यवस्था, केन्द्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन अवशिष्ट शक्तियों का केन्द्र में निहित होना।

जर्मनी के संविधान से

आपातकालीन उपबंध में मूल अधिकारों का स्थगन (वित्तीय आपात को छोड़कर)।

ऑस्ट्रेलिया के संविधान से

संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार-वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ग्रहण की गई है।

जापान के संविधान से

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

सोवियत संघ के संविधान से

मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक एवे राजनीतिक) के आदर्श को लिया गया है।

फ्रांस के संविधान से

गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श।

दक्षिण अफ्रीका के संविधान से

संविधान संशोधन की व्यवस्था

राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन।

संविधान की अनुसूचियाँ

अनुसूची		विषय
पहली अनुसूची	–	राज्य एवं संघ क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएँ
दूसरी अनुसूची	–	वेतन भत्ते और विशेषाधिकार (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा /राज्य विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा /राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति)
तीसरी अनुसूची	–	शपथ या प्रतिज्ञान (संघ के मंत्री, राज्य मंत्री एवं संसद सदस्य, संसद /राज्य विधानमंडल हेतु निर्वाचित अभ्यर्थी, सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैग)
चौथी अनुसूची	–	राज्यसभा में स्थानों का आवंटन
पांचवीं अनुसूची	–	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध
छठी अनुसूची	–	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध
सातवीं अनुसूची	–	संघ सूची (100 विषय), राज्य सूची (61 विषय) व समवर्ती सूची (52 विषय)।
आठवीं अनुसूची	–	22 भाषाएँ (मूल रूप से 14 भाषाएँ थीं)
नौंवी अनुसूची	–	**प्रथम संविधान संशोधान द्वारा शामिल** इसके विषय न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हैं हालांकि 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मूल अधिकारों के उल्लंघन वाले विषय की समीक्षा की जा सकती है।
दसवीं अनुसूची	–	52वां संविधान संशोधन, 1985 द्वारा दलबदल कानून को जोड़ा गया।
गयारहवीं अनुसूची	–	पंचायती राज, 73वें संविधान संशोधन, 29 विषय
बारहवीं अनुसूची	–	नगर पालिका, 74वां संविधान संशोधन, 18 विषय

नोटः मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं।

संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ

- यह भाषाएँ हैं – असमियां, बांग्ला, बोड़ो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगू तथा उर्दू।
  - **सिंधी** भाषा को 1967 के **21वें संशोधन** अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
  - **कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली** को 1992 के **71वां संशोधन** अधिनियम द्वारा।
  - **बोड़ो, डोगरी, मैथिली और संथाली** को 2003 के **92वें संशोधन** अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।

भारतीय संविधान को **22 भागों** में विभाजित किया गया है।

भाग	**विषय**
भाग–1	**संघ और उसका राज्य क्षेत्र**
भाग–2	**नागरिकता**
भाग–3	**मौलिक अधिकार**
भाग–4	**राज्य के नीति निदेशक तत्व**
भाग–4(क)	**मौलिक कर्तव्य**
भाग–5	संघ सरकार
भाग–6	राज्य सरकारें
भाग–7	राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खण्ड 'ख' (निरस्त)
भाग–8	संघ राज्य क्षेत्र
भाग–9	पंचायतें
भाग–9(क)	**नगरपालिकाएं**
भाग–9(ख)	**सहकारी समितियां**
भाग–10	अनुसूचित एंव जनजातीय क्षेत्र
भाग–11	**संघ एवं राज्यों के बीच संबंध**
भाग–12	वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद
भाग–13	भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम
भाग–14	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
भाग–14(क)	**अधिकरण**
भाग–15	**निर्वाचन**
भाग–16	कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
भाग–17	**राजभाषा**
भाग–18	**आपात उपबंध**
भाग–19	प्रकीर्ण
भाग–20	**संविधान का संशोधन**
भाग–21	अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध
भाग–22	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन

राष्ट्रीय प्रतीक

राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा)

- **तीन रंगों की पट्टी** में विभाजित।
- लंबाई और चौड़ाई का **अनुपात 3:2**
- सबसे ऊपरी पट्टी गहरे **केसरिया रंग** (साहस का प्रदर्शन), बीच में **श्वेत** (शांति और सच्चाई का प्रदर्शन) और सबसे नीचे **हरी पट्टी** (उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन) है।
- तिरंगे के बीच में **'नीला चक्र'** है, (**24 तीलियां** जिसका **सारनाथ स्थित अशोक सिंह स्तंभ पर बने चक्र** से लिया गया। यह न्याय का प्रतीक है)।
- **पिंगाली वेंकैया** द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया।
- 22 जुलाई, 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया।

भारत का राजचिन्ह

- यह **सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति** है।
- भारत सरकार द्वारा इसे **26 जनवरी, 1950** को अपनाया गया।
- इस पर नीचे देवनागरी लिपि में **'सत्यमेव जयते'** लिखा है, जो **'मुंडकोपनिषद्'** से लिया गया है।
- इस स्तंभ पर अंकित पशु- चार **सिंह, बैल** एवं **घोड़ा**

राष्ट्रगान (जन-गण-मन)

- **24 जनवरी 1950** को **संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप में अंगीकृत।**
- गायन अवधि- **52 सेकेंड (संक्षिप्त गायन- 20 सेकेंड)**
- **27 दिसंबर, 1911** को कांग्रेस के **कलकत्ता अधिवेशन** में पहली बार गाया गया।
- आन्ध्र प्रदेश के **मदनापल्ली में 1919** में टैगोर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद **'द मोर्निंग साँग ऑफ इंडिया'** नाम से किया।
- **रबीन्द्रनाथ टैगोर** द्वारा रचित **'गीतांजलि'** से लिया गया

राष्ट्रीय गीत (वन्दे मातरम्)

- रचयिता- **बंकिम चन्द्र चटर्जी** (आनंदमठ)
- प्रथम गायन - **1896 ई.** कलकत्ता अधिवेशन (रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा)
- **24 जनवरी, 1950 को अपनाया गया।**

राष्ट्रीय कैलेंडर

- **शक संवत्** पर आधारित **(ग्रेगेरियन कैलेंडर के साथ)**
- **22 मार्च, 1957** को अपनाया गया।
- **इसका प्रथम माह - चैत्र** (सामान्यत: शुरुआत 22 मार्च जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च)
- **अंतिम माह- फाल्गुन**

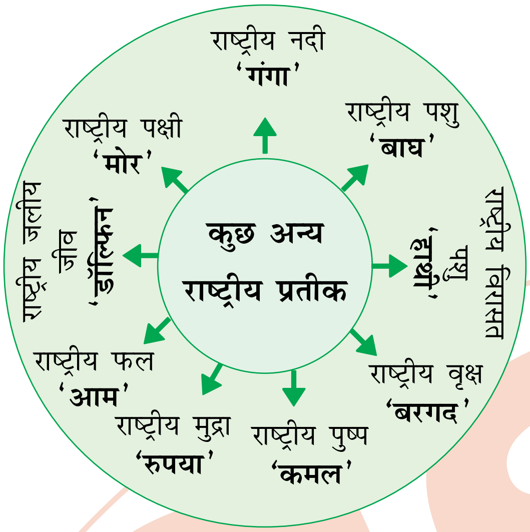

भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय दिवस

गणतंत्र दिवस- 26 जनवरी

स्वतंत्रता दिवस- 15 अगस्त

गांधी जयंती - 2 अक्टूबर

देशी रियासतों का भारत में विलय

- सरदार पटेल के नेतृत्व में **'रियासती मंत्रालय'** का गठन
- आजादी के समय 552 देशी रियासतें थीं, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई शेष तीन ने मना कर दिया-

1. **जम्मू और कश्मीर**- 26 अक्टूबर, 1947 को राजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर। 6 फरवरी, 1954 को भारत संघ के साथ 'विलय' का अनुमोदन।
2. **हैदराबाद**- 13 सितम्बर, 1948 को निजाम मीर उस्मान अली के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा 'ऑपरेशन पोलो' चलाया गया। 17 सितम्बर को विलय।
3. **जूनागढ़**- नवाब मोहम्मद महाबत खान जी के विरुद्ध 20 फरवरी 1948 को 'जनमत संग्रह'। आगे 20 जनवरी, 1949 को सौराष्ट्र में विलय।

क्या आप जानते हैं?

1. **गोवा** भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ **समान नागरिक संहिता** लागू है।
2. गोवा को पुर्तगालियों से भारतीय सेना ने **'ऑपरेशन विजय'** द्वारा छुड़ाया था।
3. गोवा की आजादी के लिए **डॉ० राममनोहर लोहिया** ने अभियान चलाया था।

संघ और राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 1-4 तक)

- वर्तमान में भारत में **28 राज्य** और **8 केन्द्र शासित प्रदेश** हैं
- **अनुच्छेद-1 :** इंडिया यानी भारत 'राज्यों का संघ' है। यानी भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है।
- **अनुच्छेद-2 :** नये राज्य का प्रवेश या उसके स्थापना की शक्ति संसदीय विधि द्वारा
- **अनुच्छेद-3 :** भारतीय संघ के नये राज्यों का निर्माण या उनका पुनर्सीमन

स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन :

- **एस०के० धर आयोग** (जून 1948 में गठित, दिसम्बर 1948 में अनुशंसा) : भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध, **प्रशासनिक सुविधा** के आधार पर पुनर्गठन का समर्थन।
- **जे०वी०पी० समिति :** धर आयोग के निर्णयों की समीक्षा हेतु **नेहरू, पटेल** और **सीतारमैया** की सदस्यता में दिसम्बर 1948 में गठित। अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी और भाषायी आधार पर राज्य पुनर्गठन को अस्वीकृत किया।
- **राज्य पुनर्गठन आयोग:** दिसम्बर 1953 में **फजल अली** की अध्यक्षता में गठित। अन्य सदस्य- **के०एम० पन्निकर** और **एच०एन० कुंजरू।** 1955 में रिपोर्ट पेश करते हुए भाषा को मुख्य आधार माना। परिणामस्वरूप **1 नवम्बर, 1956** को **7वें संविधान संशोधन** के द्वारा भाषा के आधार पर **14 राज्य और 6 केन्द्र शासित प्रदेशों** का गठन किया गया।

विभिन्न राज्यों के गठन का वर्ष

आन्ध्र प्रदेश 1 अक्टूबर, 1953	**सिक्किम** 16 मई, 1975
गुजरात 1 मई, 1960	**मिजोरम** 20 फरवरी, 1987
नागालैंड 1 दिसम्बर, 1963	**अरूणाचल प्रदेश** 20 फरवरी, 1987
हरियाणा 1 नवम्बर, 1966	**गोवा** 30 मई, 1987
हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी, 1971	**छत्तीसगढ़** 1 नवम्बर, 2000
मेघालय 21 जनवरी, 1972	**उत्तराखंड** 9 नवम्बर, 2000
मणिपुर 21 जनवरी, 1972	**झारखंड** 15 नवम्बर, 2000
त्रिपुरा 21 जनवरी, 1972	**तेलंगाना** 2 जून, 2014

- **आन्ध्र प्रदेश** भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है।
- 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को **जम्मू-कश्मीर** और **लद्दाख** केन्द्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक रूप से विभाजित कर दिया गया है।
- **जनवरी 2020 दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव** दोनों संघ शासित प्रदेशों को एक केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई।

पांडिचेरी

नवम्बर 1954 ई० को **फ्रांस** की सरकार ने अपनी सभी बस्तियाँ **पांडिचेरी, यनम, माहे और कराइकल** को भारत को सौंप दिया। 28 मई, 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हुए जबकि चन्द्रनगर को 1951 की संधि के तहत सौंपा गया।

गोवा

18 दिसम्बर, 1961 को **गोवा, दमन व दीव** की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्यवाही की। **12वें संविधान संशोधन** द्वारा इन क्षेत्रों को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया

क्षेत्रीय परिषद

- **गठन** – राष्ट्रपति द्वारा
- **अध्यक्ष- केन्द्रीय गृह मंत्री** या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केन्द्रीय मंत्री।
- **उपाध्यक्ष** – संबंधित राज्यों के **मुख्यमंत्री** होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं।
- **उद्देश्य :** केन्द्र-राज्य संबंधों में सुधार
- **राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956** के तहत स्थापित **सांविधिक निकाय** है।

5 क्षेत्रीय परिषदें	**मुख्यालय**
1. उत्तरी क्षेत्रीय परिषद	नई दिल्ली
2. मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद	प्रयागराज
3. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद	कोलकाता
4. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद	मुंबई
5. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद	चेन्नई

8 केन्द्र शासित प्रदेश

1. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
2. लक्षद्वीप
3. पुडुचेरी
4. दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप
5. चंडीगढ़
6. दिल्ली
7. जम्मू और कश्मीर
8. लद्दाख

प्रस्तावना के संबंध में मुख्य बातें

- 13 दिसम्बर, 1946 को **जवाहरलाल नेहरू** द्वारा प्रस्तुत (22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकार)
- अब तक **प्रस्तावना को केवल एक बार** 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा उद्देशिका में **समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता** शब्द जोड़ा गया।
- उद्देशिका **संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक** है।
- प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया और प्रस्तावना अमेरिका की संविधान से लिए गए है।

प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट के विचार

- **गोपालन वाद** (1950) प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, शक्ति का स्रोत नहीं।
- **बेरूबाड़ी वाद** (1960) में कोर्ट ने इसे संविधान का भाग नहीं माना था।
- यह **गोलकनाथ वाद** में कोर्ट ने उद्देशिका को **'संविधान की मूल आत्मा'** कहा।
- **केशवानन्द भारती वाद** में कोर्ट द्वारा प्रस्तावना को **संविधान का भाग माना गया** और इसे **मूल ढाँचे का हिस्सा** बताया तथा संसद इसमें **नकारात्मक संशोधन** नहीं कर सकती।
- उद्देशिका की **प्रकृति न्याय योग्य नहीं** है।
- प्रस्तावना में लिखित शब्द– **"हम भारत के लोग** .... अंगीकृत, नियमित और आत्मार्पित करते हैं" भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं।

प्रस्तावना पर विद्वानों के विचार

- **अंबेडकर**– 'संविधान एक पवित्र दस्तावेज है।'
- **के०एम० मुंशी**– 'उद्देशिका राजनीतिक जन्मपत्री है। यह हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल है।'
- **ए०के० अय्यर**– 'प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है।'
- **पंडित ठाकुर दास भार्गव**– 'यह संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है। यह संविधान की कुंजी है। यह संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है।'

संविधान की उद्देशिका/प्रस्तावना

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण **प्रभुत्त्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक** गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक **न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना** की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की **गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता** सुनिश्चित करने वाली **बंधुता** बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर

अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित** करते हैं।"

अमेरिका की दोहरी नागरिकता के बजाय ब्रिटेन आधारित **'एकल नागरिकता'**

अनुच्छेद संख्या	शामिल विषय
5.	संविधान लागू होने के समय नागरिकता
6.	कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है।
7.	पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार।
8.	भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर विकास कर रहे हैं।
9.	जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती।
10.	नागरिकता अधिकारों की निरंतरता।
11.	संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन।

भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता का आधार (5 आधार)

1. **जन्म से-** 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद। (अपवाद - राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे)
2. **वंश परंपरा द्वारा नागरिकता-** 26 जनवरी, 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई भारत का नागरिक हो।
3. **देशीयकरण द्वारा नागरिकता**
4. **पंजीकरण द्वारा नागरिकता**
5. **भूमि विस्तार द्वारा**

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019

- इसके अनुसार 31 दिसम्बर, 2014 को या उसके पहले **अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान** से भारत आए **हिन्दुओं, सिक्खों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाईयों** को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।

ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCIs)

- इस श्रेणी को भारत सरकार द्वारा **वर्ष 2005 में शुरू** किया गया था।
- गृह मंत्रालय के अनुसार ओसीआई एक ऐसा व्यक्ति है जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था, या उस तारीख पर भारत का नागरिक बनने योग्य था या 15 अगस्त, 1947 के भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित था।

भारतीय नागरिकता की समाप्ति

नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार **तीन आधार** हैं-

1. नागरिकता का परित्याग करने से
2. किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर
3. सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर

मूल अधिकार (भाग-3, अनुच्छेद 12-35)

- 1931 में कांग्रेस के **कराची अधिवेशन (अध्यक्ष पटेल)** में मूल अधिकारों की माँग हुई। इसका प्रारूप **जवाहरलाल नेहरू** ने बनाया था।
- संविधान के भाग-3 को **'भारत का मेग्नाकार्टा'** कहा जाता है।
- **अमेरिका** के संविधान से लिया गया
- **मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार** थे लेकिन **44वें संविधान संशोधन** (1978) द्वारा **संपत्ति का अधिकार** (**अनुच्छेद 31** और **19(f)** को हटाकर इसे संविधान के **अनुच्छेद 300(a)** के अन्तर्गत **कानूनी अधिकार** बना दिया गया।

6 मौलिक अधिकार

1. समता का अधिकार	–	अनुच्छेद 14-18
2. स्वतंत्रता का अधिकार	–	अनुच्छेद 19-22
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार	–	अनुच्छेद 23-24
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार	–	अनुच्छेद 25-28
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार	–	अनुच्छेद 29-30
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार	–	अनुच्छेद - 32

- **अनुच्छेद 12** - 'राज्य' की परिभाषा
- **अनुच्छेद 13**- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अदालत शून्य घोषित कर सकती है।

समता का अधिकार

- अनुच्छेद-14 **(विधि के समक्ष समता)**
- अनुच्छेद-15 **धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध**
- अनुच्छेद-16 **(लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता)**
- अनुच्छेद-17 **(अस्पृश्यता का अन्त)**
- अनुच्छेद-18 **(उपाधियों का अन्त)**

नोट: भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले 'पदम पुरस्कार और भारत रत्न तथा सैन्य पुरस्कार' अनुच्छेद 18 के तहत ही आते हैं एवं इसका उल्लंघन नहीं करते।

GS World Committed To Excellence

अनुच्छेद 14

विधि के समक्ष समता

- यह विचार **ब्रिटिश मूल** का है।
- इसमें शामिल हैं–

  अ. किसी व्यक्ति के पक्ष में **विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति।**

  ब. साधारण विधि के तहत **सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार।**

  स. **कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं हैं।**
- **यह नकारात्मक संदर्भ में है।**

विधियों के समान संरक्षण

- यह विचार **अमेरिका के संविधान से** लिया गया है।
- इसमें शामिल हैं–

  अ. विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में **समान परिस्थितियों में समान व्यवहार।**

  ब. समान विधि के अन्तर्गत **सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम।**

  स. **बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार।**
- **यह सकारात्मक संदर्भ में है।**

विधि का शासन

- **डायसी** के अनुसार विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धान्त का मूल तत्व है।
- इस संदर्भ में **भारतीय व्यवस्था में लागू कारक–**

  1. इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति

  (यानी किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता।)।

  2. विधि के समक्ष समता अतिआवश्यक है।

  (यानी कोई व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है)।
- सुप्रीम कोर्ट ने **अनुच्छेद 14** के अन्तर्गत उल्लेखित **विधि का शासन** को संविधान का **मूलभूत तत्व** माना है।

स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद-19

(यह नागरिकों को 6 अधिकार प्रदान करता है-

- **19(a)** बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता
- **19(b)** शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता
- **19(c)** संघ बनाने की स्वतंत्रता
- **19(d)** देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता
- **19(e)** देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता
- **19(g)** कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद-20

(अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण) इसके अन्तर्गत शामिल विषय-

- एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा।
- अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी।
- स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद-21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण)

इसमें शामिल विषय-

- शीघ्र विचारण का अधिकार
- एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार
- फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार
- अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार
- कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार
- पैर में डंडा-बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार
- अच्छी सड़कों का अधिकार
- प्रतिष्ठा का अधिकार
- अपने पसन्द के व्यक्ति से शादी का अधिकार **(हादिया केस 2017)**
- गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण ढंग से मृत्यु का अधिकार शामिल। (गैर-सरकारी संगठन, कॉमन कॉज की याचिका पर निर्णय)
- जीवन रक्षा का अधिकार
- निजता का अधिकार **(पुट्टास्वामी केस 2017)**

- महिलाओं का शालीनता तथा गरिमा से जीने का अधिकार
- **स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार** – प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा
- **स्वास्थ्य का अधिकार**– एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता
- विदेश यात्रा का अधिकार **(मेनका गांधी वाद 1978)**
- आश्रय का अधिकार
- नि:शुल्क कानूनी सहायता का अधिकार
- राज्य के बाहर न जाने का अधिकार
- **अनुच्छेद-21(a)- शिक्षा का अधिकार**
  - 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शामिल
  - संसद ने इसके लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया।

अनुच्छेद-22 (निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण)

- इसके तहत तीन प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है–
  1. हिरासत में लेने का कारण बताना
  2. 24 घंटे के अंदर (आने-जाने का समय छोड़कर) मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी
  3. अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार

निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियाँ

- निवारक निरोध अधिनियम, 1950 (1969 में समाप्त)
- आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (MISA) 1971 (1978 में समाप्त)
- **राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980**
- आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियाँ निरोधक कानून **(TADA 1985)**– 1995 में समाप्त
- **पोटा एक्ट, 2002** (2004 में समाप्त)
- **नोट:** अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं–
  1. साधारण कानूनी मामला

     (यह विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए नहीं है।)
  2. निवारक हिरासत के मामले

     (यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है।)

शोषण के विरुद्ध अधिकार

- **अनुच्छेद-23** (मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध)
- **अनुच्छेद-24** (बालकों के नियोजन का कारखानों में प्रतिषेध)

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

- **अनुच्छेद-25** (अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता)
- **अनुच्छेद-26** (धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता)
- **अनुच्छेद-27** (धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता)
- **अनुच्छेद-28** (धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता)

संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार

- **अनुच्छेद-29** (अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण)
- **अनुच्छेद-30** (शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद-32)

- डॉ० अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को **'संविधान का आत्मा'** कहा है।
- इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी कर सकता है
  1. **बन्दी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus)** - अर्थ: 'को प्रस्तुत किया जाए'
  2. **परमादेश (mandamus)** - अर्थ: 'हम आदेश देते हैं'
  3. **प्रतिषेध लेख (prohibition)** - अर्थ: 'रोकना'
  4. **उत्प्रेषण (certiorari)** - अर्थ : 'प्रमाणित होना या सूचना देना'
  5. **अधिकार पृच्छा लेख (quo-warranto)** - अर्थ : 'प्राधिकृत या वारंट के द्वारा'

क्या आप जानते हैं?

1. उत्प्रेष्ण को **'पोस्टमार्टम'** भी कहा जाता है।
2. बंदी प्रत्यक्षीकरण को **'मनमाने निरोध के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच'** कहते हैं।
3. परमादेश को **'जागृति कॉल'** भी कहते हैं, क्योंकि यह सोये हुए अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने हेतु जगाता है।
4. **केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं** - अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30
5. **नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार हैं** - अनुच्छेद 14, 20, 21, 21क, 22, 23 और 24-28

अनुच्छेद-33

- संसद को यह अधिकार देता है कि वह **सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों** के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके।
- उद्देश्य- उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखना है।
- अनुच्छेद-33 के अन्तर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है न कि राज्य विधान मंडल को। कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

अनुच्छेद-34

- **मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो।**
- यह ऐसी स्थिति का परिचायक है, जहाँ सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के तहत संचालित किया जाता है। इस तरह वहाँ साधारण कानून निलंबित हो जाता है और सरकारी कार्यों को सैन्य अधिकरणों के अधीन किया जाता है।
- यह सैन्य कानून से अलग है, जो कि सशस्त्र बलों पर लागू होता है।

अनुच्छेद-35

- यह केवल संसद को (न कि राज्य विधान मंडल) कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

  नोट:

  1. **अनुच्छेद-358** लागू होने पर अनुच्छेद-19 स्वत: निलंबित हो जाता है।
  2. **अनुच्छेद-359** लागू होने पर अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं।
  3. **44वां संविधान संशोधन** ने आपातकाल के दौरान अनुच्छेद-20 और 21 के निलंबन पर पाबंदी लगाई है।

मौलिक अधिकारों में संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

- गोलकनाथ निर्णय के पूर्व यह निर्धारित किया गया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन नहीं कर सकती
- **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद (1967)** - संसद अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है।
- **24वां संविधान संशोधन (1971) - इंदिरा गांधी के समय यह प्रावधान किया गया कि संसद** मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
- **केशवानंद भारती वाद (1973)** - संसद अनुच्छेद-368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन मूल ढाँचे को प्रभावित किए बिना।
- **42वां संविधान संशोधन (1976)** - अनुच्छेद 368 में खण्ड-4 और 5 जोड़कर व्यवस्था की गई कि मूल अधिकारों में किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।
- **मिनर्वा मिल्स वाद (1980)** - संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा का अधिकार न्यायालय को है। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया।

राज्य के नीति निदेशक तत्व (भाग-4, अनुच्छेद 36-51)

- **आयरलैंड** के संविधान से लिया गया है।
- मूल अधिकारों के साथ **निदेशक तत्व संविधान की आत्मा और दर्शन हैं।**
- **उद्देश्य :** 'लोक कल्याणकारी राज्य' की स्थापना के जरिए आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की पुष्टि।
- इनकी **प्रकृति गैर न्यायोचित** है तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है।
- **अनुच्छेद 37** – निदेशक तत्व **देश के शासन में मूलभूत** हैं और विधि बनाने में इन्हें तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
- 'कल्याणकारी राज्य' शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है।

निदेशक तत्वों का वर्गीकरण

समाजवादी सिद्धांत :

ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में हैं ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका **लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय** प्रदान कराना है। इसमें शामिल अनुच्छेद–

1. **अनुच्छेद-38** – लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। **44वें संशोधन द्वारा** आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रावधान जोड़ा गया।
2. **अनुच्छेद-39 – (क)** सभी नागरिकों को **जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। (42वें संविधान संशोधन** द्वारा इसमें **गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता** का प्रावधान जोड़ा गया।)

(ख) सामूहिक हित के लिए समुदाय के **भौतिक संसाधनों का सम वितरण।**

(ग) धन और उत्पादन के **साधनों का संकेन्द्रण रोकना।**

(घ) **समान काम के लिए समान वेतन।**

(ङ) **कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति** तथा **बालकों की सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण।**

(च) बालकों को **स्वास्थ्य विकास के अवसर (42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)**

3. **अनुच्छेद- 41 :** काम, शिक्षा और बुढ़ापा की दशाओं में **लोक सहायता पाने का अधिकार।**
4. **अनुच्छेद-42 : काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं** का तथा **प्रसूति सहायता** का उपबंध करना।
5. **अनुच्छेद-43 :** सभी कर्मकारों के लिए **निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर।**
6. **अनुच्छेद 43(क) : उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने** के लिए कदम उठाना। **(42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)**
7. **अनुच्छेद-47 : पोषाहार स्तर** और जीवन स्तर को ऊँचा करना तथा **लोक स्वास्थ्य** का सुधार करना।

गांधीवादी सिद्धांत:

महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित इन सिद्धांतों में शामिल अनुच्छेद–

1. **अनुच्छेद–40 : ग्राम पंचायतों का गठन** और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान कर स्व–सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना।
2. **अनुच्छेद–43 :** ग्रामीण क्षेत्रों में **कुटीर उद्योगों** व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन।
3. **अनुच्छेद–43(B) : सहकारी समितियों** के स्वैच्छिक गठन, स्वायत संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। **(97वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया।)**
4. **अनुच्छेद–46 :** अनुसूचित जाति एवं जनजाति और **समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक** हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा।
5. **अनुच्छेद–47 :** स्वास्थ्य के लिए **नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय प्रयोजनों** से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध।
6. **अनुच्छेद–48 :** गाय, बछड़ा व अन्य **दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन।**

उदार बौद्धिक सिद्धांत

एक प्रगतिशील राष्ट्र में उदार बौद्धिक सिद्धान्तों का विशेष एवं निर्णायक महत्व है–

1. **अनुच्छेद–44 :** देश में एक समान सिविल संहिता को लागू करना।
2. **अनुच्छेद–45:** 14 वर्ष तक की आयु वाले बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। **(86वें संविधान संशोधन** द्वारा 6 वर्ष की आयु तक नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया)
3. **अनुच्छेद–48 :** कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना।
4. **अनुच्छेद–48 (A) :** पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। (**42वें संशोधन** द्वारा जोड़ा गया)
5. **अनुच्छेद–49 :** राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए संस्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण।
6. **अनुच्छेद–50 :** न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना।
7. **अनुच्छेद–51 :** इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं–
   - अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि,
   - राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना
   - अन्तर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना।
   - अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना।

निदेशक तत्वों पर विभिन्न विद्वानों के विचार

1. **के०टी० शाह :** 'राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी' 'अतिरेक कर्मकांडी'।
2. **टी०टी० कृष्णामचारी :** 'भावनाओं का स्थाई कूड़ाघर'
3. **के०सी० व्हेयर:** 'लक्ष्य एंव आकांक्षाओं का घोषणपत्र'
4. **सर आइवर जेनिंग्स :** 'कर्मकांडी आकांक्षा', 'इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है', 'ये तत्व समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद हैं'
5. **के० संथानम :** 'इन तत्वों से केन्द्र और राज्य के बीच संवैधानिक टकराव होगा।'
6. **ग्रेनविल ऑस्टिन:** 'निदेशक तत्व और अधिकार संविधान की मूल आत्मा हैं।'
7. **डॉ० अंबेडकर :** 'निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं।'
8. **बी०एन० राव :** 'निदेशक तत्व राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता और शैक्षिक मूल्य हैं'

मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों में टकराव पर सुप्रीम कोर्ट के विचार

1. **चंपाकम दोराईराजन मामला (1951) :** 'निदेशक सिद्धांत और मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे तथा यह सिद्धांत मूल अधिकारों के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू होंगे।'
2. **गोलकनाथ मामला (1967) :** 'निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता।'
3. **25वां संशोधन अधिनियम (1971) :** अनुच्छेद 39(ख) एवं (ग) वर्णित समाजवादी तत्वों को लागू करने वाली विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है।
4. **42वां संविधान संधोधन (1976) :** इसमें निदेशक तत्व की प्राथमिकता और सर्वोच्चता को मूल अधिकारों (14, 19 और 31) पर प्रभावी बनाया गया। हालांकि इस विस्तार को मिनर्वा मिल्स मामले में असंवैधानिक और अवैध घोषित किया गया।
5. **मिनर्वा मिल्स मामला (1980) :** कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि 'निदेशक तत्व मूल अधिकारों के अधीनस्थ हैं। भारतीय संविधान **मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन** के रूप में है। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। ये **एक रथ के दो पहियों के समान** हैं तथा एक-दूसरे पर लादने से संविधान की मूल भावना बाधित होती है। मूल भावना और संतुलन संविधान के **बुनियादी ढाँचे की आवश्यक विशेषता है।** निदेशक तत्वों के **तय लक्ष्यों को मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर, प्राप्त नहीं किया जा सकता।'**

मौलिक अधिकार एवं नीति-निदेशक सिद्धांत में अंतर

नीति निदेशक सिद्धांत	मौलिक अधिकार
आयरलैंड के संविधान से लिया गया।	यू०एस०ए० के संविधान से लिया गया।
संविधान के भाग-4	संविधान का भाग-3
लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता।	न्यायालय की शरण में जा सकते हैं।
समाज की भलाई के लिए।	व्यक्ति के अधिकारों के लिए
राजनीतिक मान्यता	कानूनी मान्यता।
सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। (सकारात्मक)	सरकार के महत्व को घटाता है। (नकारात्मक)
सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है।	नागरिकों को स्वत: प्राप्त।

मौलिक कर्तव्य (भाग-4(क), अनुच्छेद-51(क))

- 1976 में **स्वर्ण सिंह समिति** के सिफारिशों पर लागू।
- **सोवियत संघ** के संविधान से लिया गया।
- **42वें संविधान संशोधन 1976** द्वारा 10 मूल अधिकारों को जोड़ा गया।
- 11वां मूल कर्तव्य (6-14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना) **86वें संविधान संशोधन, 2002** द्वारा जोड़ा गया।

मूल कर्तव्यों की विशेषताएँ

- मूल कर्तव्य **गैर न्यायोचित** हैं।
- इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक
- मूल कर्तव्य **केवल नागरिकों के लिए** है
- नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं।

मूल कर्तव्यों की सूची

प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि

1. **संविधान का पालन** करे व उसके **आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान** का आदर करे।
2. **स्वतंत्रता** के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले **उच्च आदर्शों** को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
3. **भारत की प्रभुता, एकता** और **अखण्डता** की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।
4. **देश की रक्षा** करे।
5. भारत के सभी लोगों में **समरसता और समानता भ्रातृत्व** की भावना का निर्माण करे।
6. हमारी **सामासिक संस्कृति** की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
7. प्राकृतिक **पर्यावरण की रक्षा** और उसका संवर्धन करे।
8. **वैज्ञानिक दृष्टिकोण** और **ज्ञानार्जन** की भावना का विकास करे।
9. **सार्वजनिक संपत्ति** को सुरक्षित रखे।
10. **व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों** के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे।
11. माता-पिता या संरक्षक द्वारा **6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा** प्रदान करना।

संसदीय व्यवस्था

- **'सरकार की संसदीय व्यवस्था** वह व्यवस्था है, जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।' उदाहरण- **ब्रिटेन, भारत**
- **राष्ट्रपति शासन व्यवस्था** में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। उदाहरण- **अमेरिकी प्रणाली।**
- **अनुच्छेद 74 और 75** केन्द्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं और **अनुच्छेद 163 और 164** राज्यों में।

संसदीय सरकार की विशेषताएँ एवं गुण	संसदीय व्यवस्था के दोष
• नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका • विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य • बहुमत प्राप्त दल का शासन • सामूहिक उत्तरदायित्व • राजनीतिक एकरूपता • दोहरी सदस्यता • प्रधानमंत्री का नेतृत्व • निचले सदन का विघटन • गोपनीयता • निरंकुशता का प्रतिषेध • वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था • व्यापक प्रतिनिधित्व	• अस्थिर सरकार • नीतियों की निश्चितता का अभाव • मंत्रिमंडल की निरंकुशता • शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध • अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन **भारत में संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण** 1. पहले से चली आ रही औपनिवेशिक शासन व्यवस्था से निकटता 2. स्थायित्व के बजाय उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता देना। 3. विधायिका और कार्यपालिका के टकरावों को रोकना। 4. भारतीय समाज की मिश्रित एवं जटिल प्रकृति।

भारत एवं ब्रिटिश मॉडल में अंतर

1. **ब्रिटिश राजशाही** के स्थान पर **भारत में गणतंत्र पद्धति** यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है।
2. ब्रिटिश व्यवस्था **संसद की संप्रभुता** के सिद्धांत पर आधारित है जबकि **भारत में संसद सर्वोच्च न होकर** लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकारों द्वारा प्रतिबंधित है।
3. **ब्रिटिश प्रधानमंत्री** को संसद के निचले सदन (हाउस ऑफ कॉमन्स्) का सदस्य होना चाहिए जबकि **भारतीय प्रधानमंत्री** संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है।
4. ब्रिटेन में संसद सदस्य **बतौर मंत्री नियुक्त** होते हैं जबकि भारत में बिना संसद सदस्यता के भी कोई व्यक्ति **6 महीने तक** मंत्री रह सकता है।
5. ब्रिटेन में **मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी** होती है जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
6. ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में **'शैडो कैबिनेट'** का प्रावधान है जबकि भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है।
7. ब्रिटेन में **सदन का अध्यक्ष (स्पीकर)** नियुक्ति से पहले पार्टी से इस्तीफा देता है जबकि भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है।

संघीय कार्यपालिका (भाग-5, अनुच्छेद 52-78)

राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52)

- **अनुच्छेद 53** - भारतीय संघ की **कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।**
- राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका।
- यह देश का संवैधानिक प्रधान तथा प्रथम नागरिक कहलाता है।

राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता (अनुच्छेद 58)

1. भारत का नागरिक हो।
2. 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
3. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो।
4. राज्य/केन्द्र/स्थानीय सरकार में **लाभ के पद** पर न हो।

लाभ का पद

- अनुच्छेद 102 (1)(a) एवं अनुच्छेद 191(1)(a) में उल्लेखित है लेकिन परिभाषित नहीं।
- लाभ का पद का मतलब उस पद से है जिस पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति सरकार से किसी तरह की कोई सुविधा लेने का अधिकारी है।

राष्ट्रपति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद

- **अनुच्छेद 54 :** राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा (राज्य सभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा और पांडिचेरी एवं दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य)
- **अनुच्छेद 55 :** राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति (अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा)
- **अनुच्छेद 56 :** राष्ट्रपति की पदावधि (पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक) का उल्लेख
- **अनुच्छेद-57 :** राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता **(एक व्यक्ति कितने भी बार निर्वाचित हो सकता है)**
- **अनुच्छेद 59 :** राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें
- **अनुच्छेद 60 :** राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान
- **अनुच्छेद 61 :** राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया (संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देकर।) यह एक अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है।

राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन

- उम्मीदवार के **प्रस्तावक और अनुमोदकों** की संख्या- कम से कम 50 निर्वाचक सांसद/विधायक
- **जमानत राशि** - 15,000 रुपये
- **जमानत राशि** जब्त होना - कम से कम कुल डाले गए मतों के 1/6 भाग

राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते

- **मासिक वेतन** - 5 लाख रुपये (आयकर से मुक्त)
- निशुल्क निवास स्थान **(राष्ट्रपति भवन)** तथा संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते
- कार्यकाल के दौरान **वेतन एवं भत्तों में कटौती नहीं** हो सकती।
- **1.5 लाख रुपये प्रतिमाह पेंशन।**

राष्ट्रपति के पद की रिक्तता

- त्यागपत्र देकर (उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं।)
- उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित होने पर (राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जाँच सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है)
- महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाने पर
- उसकी मृत्यु पर

नोट:

1. उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्यथा किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का **चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से छह महीने के भीतर** कराना चाहिए।
2. राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य **किन्हीं कारणों से रिक्त हो तो उप-राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति** के रूप में कार्य करेगा। (अधिकतम 6 महीने तक)
3. राष्ट्रपति को **शपथ** भारत के **मुख्य न्यायाधीश** अथवा उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के **वरिष्ठतम न्यायाधीश** के समक्ष लेनी पड़ती है।
4. जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले वह अपने कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

कार्यकारी शक्ति

- संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।
- **अनुच्छेद 77 :** भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से
- राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त **नियुक्तियाँ-** प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, कैग, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, यूपीएससी और वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, एससी/एसटी एवं पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति।
- **'अनुसूचित क्षेत्र'** घोषित करना एवं उनका प्रशासन करना।

विधायी शक्ति

- लोकसभा, राज्य सभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का गठन करते हैं।
- इसलिए निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं-
- **अनुच्छेद 85:** संसद का सत्र आहूत, सत्रावसान एवं विघटन।
- **अनुच्छेद 87 :** संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण।
- **अनुच्छेद 108 :** दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
- **अनुच्छेद 110 :** धन विधेयक
- **अनुच्छेद 111 :** विधेयकों पर अनुमति
- **अनुच्छेद 117(3) :** संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक।
- **अनुच्छेद 123 :** अध्यादेश जारी करना
- **अनुच्छेद 304 :** राज्यों के बीच व्यापार संबंधी विधेयक।
- साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाजसेवा से जुड़े **12 सदस्यों** को राज्य सभा के मनोनयन।
- कैग, यूपीएससी, वित्त आयोग की **रिपोर्ट** संसद के समक्ष पेश करना।

न्यायिक शक्ति

- हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों की नियुक्ति।
- **अनुच्छेद 72 :** क्षमादान की शक्ति (क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन)
- **अनुच्छेद 143 :** उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति (यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है।

आपाकालीन शक्ति

- **अनुच्छेद 352 :** राष्ट्रीय आपातकाल
- **अनुच्छेद 356 तथा 365 :** राष्ट्रपति शासन
- **अनुच्छेद 360 :** वित्तीय आपातकाल

वित्तीय शक्ति

- **अनुच्छेद 110 :** धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत।
- **अनुच्छेद 112 :** वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) पेश करवाना
- **अनुच्छेद 267 :** राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही आकस्मिक निधि से व्यय
- **अनुच्छेद 280 :** वित्त आयोग का गठन
- **अनुदान की मांग** हेतु सिफारिश

कुछ अन्य शक्तियाँ

- अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम से संपन्न।
- अन्तर्राष्ट्रीय मंचों एवं मामलों में भारत का प्रतिनिधि।
- राजदूतों व उच्चायुक्तों की विदेश में नियुक्ति एवं उनका स्वागत करना।

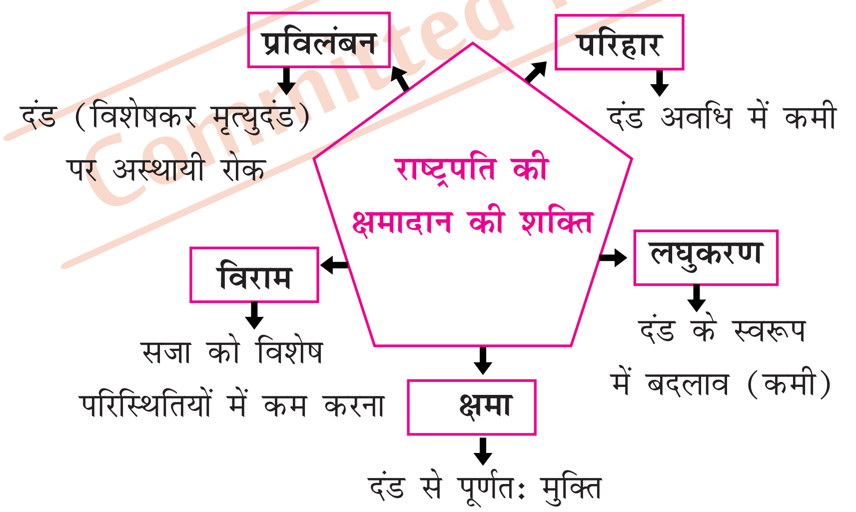

राष्ट्रपति की वीटो शक्ति

- **आत्यंतिक वीटो** → विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना
- **पॉकेट वीटो (जेबी निषेधाधिकार)** → विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना
- **निलंबन वीटो** → विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना

नोट:- विशेषित वीटो- राष्ट्रपति के वीटो को संसद के विशेष बहुमत द्वारा अध्यारोहण करना। यह यू.एस.ए. में प्रचलित है, भारत में नहीं।

क्या आप जानते हैं?

- 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक (संशोधन) अधिनियम पर पॉकेट वीटो का प्रयोग हुआ था।
- दल-बदल के आधार पर सांसदों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष/राज्यसभा सभापति करते हैं।
- राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय चुनाव आयोग के सलाह पर करते हैं।
- राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति का पद 'लाभ का पद' नहीं माना जाता है।
- राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाली अधिकारी- संघ के मंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी।

परीक्षा उपयोगी जानकारी

- राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं।
- राष्ट्रपति मृत्यु दण्ड को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं।
- **कूपर केस** 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
- **44वें संविधान संशोधन (1978)** के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है।
- राष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जानी वाली एक 'अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया' है।

संसद सदस्यों का मनोनयन

- **अनुच्छेद 331 :** लोकसभा में 2 एंग्लो-इंडियन को नामांकित कर सकता हैं (104वें संशोधन द्वारा यह प्रावधान समाप्त)
- **अनुच्छेद 80(3):** राज्य सभा में 12 व्यक्ति (कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों के अनुभवी व दक्ष व्यक्ति)

राष्ट्रपति की परिस्थितीय विवेक स्वतंत्रता

यद्यपि, राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है परन्तु उसके पास कुछ परिस्थितीय विवेक स्वतंत्रताएँ हैं। जिनका प्रयोग वह निम्नलिखित परिस्थितियों में **बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर** कर सकता है-

1. **लोकसभा में** किसी भी दल के पास स्पष्ट **बहुमत न होने पर** अथवा जब **प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु** हो जाए तथा उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।
2. वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है, यह वह **सदन में विश्वास मत** सिद्ध न कर सके।
3. वह लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि **मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया** हो।

भारत के राष्ट्रपति			
राष्ट्रपति क्रम	**नाम**	**व्यक्तिगत क्रम**	**कार्यकाल**
1-2	राजेन्द्र प्रसाद	1	26 जनवरी, 1950-13 मई, 1962
3	सर्वपल्ली राधाकृष्णन	2	13 मई, 1962-13 मई, 1967
4	जाकिर हुसैन	3	13 मई, 1967-3 मई, 1969
-	वराहगिरि वेंकट गिरि (**कार्यवाहक**)	-	3 मई, 1969-20 जुलाई, 1969
-	मुहम्मद हिदायतुल्लाह (**कार्यवाहक**)		20 जुलाई, 1969-24 अगस्त, 1969
5	वराहगिरि वेंकट गिरि	4	24 अगस्त, 1969-24 अगस्त 1974
6	फखरुद्दीन अली अहमद	5	24 अगस्त, 1974- 11 फरवरी, 1977
-	वी०डी० जत्ती (**कार्यवाहक**)	-	11 फरवरी, 1977-25 जुलाई, 1977
7	नीलम संजीव रेड्डी	6	25 जुलाई, 1977-25 जुलाई, 1982
8	ज्ञानी जैल सिंह	7	25 जुलाई, 1982-25 जुलाई, 1987
9	आर० वेंकटरमण	8	25 जुलाई, 1987-25 जुलाई, 1992
10	शंकर दयाल शर्मा	9	25 जुलाई, 1992-25 जुलाई, 1997
11	के०आर० नारायणन	10	25 जुलाई, 1997-25 जुलाई, 2002
12	एपीजे अब्दुल कलाम	11	25 जुलाई, 2002-25 जुलाई, 2007
13	प्रतिभा देवीसिंह पाटिल	12	25 जुलाई, 2007-25 जुलाई, 2012
14	प्रणब मुखर्जी	13	25 जुलाई, 2012-25 जुलाई, 2017
15	राम नाथ कोविंद	14	25 जुलाई, 2017- 25 जुलाई, 2022
16	द्रौपदी मुर्मु	15	25 जुलाई,2022 से अब तक

राष्ट्रपति संबंधी अन्य तथ्य

- यह देश की **तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति** होता है।
- **70वें संविधान संशोधन, 1992** द्वारा **दिल्ली** और **पुडुचेरी विधानसभाओं** के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया।
- **मोहम्मद हिदायतुल्लाह**- राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। (जुलाई 1969-अगस्त 1969)
- **नीलम संजीव रेड्डी - निर्विरोध निर्वाचित** होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति
- **भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति (6)** - डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1954), राजेन्द्र प्रसाद (1962), डॉ० जाकिर हुसैन (1963), वीवी गिरी (1975), एपीजे अब्दुल कलाम (1997), प्रणव मुखर्जी (2019)
- **राजेन्द्र प्रसाद (1950-1962)**- सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति।
- राजेन्द्र प्रसाद **लगातार दो बार राष्ट्रपति** चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं।
- **प्रतिभा पाटिल**- भारत की पहली महिला राष्ट्रपति
- **वी.वी. गिरी** - एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति
- **द्रौपदी मुर्मु** - भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति।

उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63)

- देश का दूसरा सर्वोच्च पद, अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है।
- **कार्य :** उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। **(अनुच्छेद-64 एवं अनुच्छेद 89)**
  - ❑ यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अत: इसे मतदान अधिकार नहीं।
  - ❑ किन्तु सभापति के रूप में **निर्णायक मत** दे सकता है।
  - ❑ राष्ट्रपति के त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु आदि स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य।
  - ❑ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति नहीं होता। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है।
- **शपथ (अनुच्छेद 69):** राष्ट्रपति या इस कृत्य के लिए नियुक्त व्यक्ति
- **पदावधि:** पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष **(अनुच्छेद 67),** कितनी ही बार पुनर्निवाचन हो सकता है।
- परिलब्धियाँ : वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में (वेतन 2018 में संसद ने 4 लाख प्रतिमाह, पेंशन वेतन का 50% एवं संसद द्वारा तय अन्य भत्ते)

उपराष्ट्रपति की योग्यता

- कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा, जब वह-
  1. भारत का नागरिक हो।
  2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  3. राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो।

पद की शर्तें-

- निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो।
- वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो वह समझा जायेगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

1. परोक्ष रूप से संसद के **दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों द्वारा। [अनुच्छेद 66(1)]**
2. अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा
3. गुप्त मतदान
   - चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए।
   - जमानत राशि – 15 हजार रुपये

नोट: उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जाँच एवं निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है।

पद रिक्तता

- 5 वर्षीय पदावधि की समाप्ति पर।
- राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर
- बर्खास्तगी द्वारा
- उसकी मृत्यु पर
- यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो।

नोट:- उपराष्ट्रपति का वेतन भारत में संचित निधि पर भारित होता है।

भारत के उपराष्ट्रपति

क्रम संख्या	नाम	कार्यकाल
1.	डॉ० राधाकृष्णन	1952-1962
2.	डॉ० जाकिर हुसैन	1962-1967
3.	वी०वी० गिरि	1967-1969
4.	गोपाल स्वरूप पाठक	1969-1974
5.	बी०डी० जत्ती	1974-1979
6.	न्यायमूर्ति मो० हिदायतुल्ला	1979-1984
7.	आर० वेंकटरमण	1984-1987
8.	डॉ० शंकरदयाल शर्मा	1987-1992
9.	के०आर० नारायणन	1992-1997
10.	कृष्णकांत	1997-2002
11.	भैरो सिंह शेखावत	2002-2007
12.	हामिद अंसारी	2007-2017
13.	एम० वेंकैया नायडू	2017- 2022
14	जगदीप धनखड	2022 से अब तक

ऐसे उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने

1. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
2. जाकिर हुसैन
3. वीवी गिरी
4. आर० वेंकटरमन
5. शंकरदयाल शर्मा
6. के०आर० नारायणन

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद

- प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
- कैबिनेट मंत्री
- राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
- राज्य मंत्री
- उपमंत्री

भारत के प्रधानमंत्री

क्रम संख्या	नाम	कार्यकाल
1.	जवाहरलाल नेहरू	15-8-1947 - 24-05-1964
2.	लालबहादुर शास्त्री	09-06-1964 - 24-03-1966
3.	इंदिरा गांधी	24-01-1966 - 24-03-1977
4.	मोरारजी देसाई	24-03-1977 - 28-07-1979
5.	चौधरी चरण सिंह	28-07(1979 - 14-01-1980
6.	इंदिरा गांधी	14-01-1980 - 31-10-1984
7.	राजीव गांधी	31-10-1984 - 02-12-1989
8.	विश्वनाथ प्रताप सिंह	02-12-1989 - 10-11-1990
9.	चन्द्रशेखर	10-11-1990 - 21-06-1991
10.	पी०वी० नरसिम्हाराव	21-06-1991 - 16-05-1996
11.	अटल बिहारी बाजपेयी	16-05-1996 - 01-06-1996
12.	एच०डी० देवगौड़ा	01-06-1996 - 21-04-1997
13.	आई०के० गुजराल	21-04-1997 - 19-03- 1998
14.	अटल बिहारी बाजपेयी	19-03-1998 - 13-10-1999
15.	अटल बिहारी बाजपेयी	13-10-1999 - 22-05-2004
16.	डॉ० मनमोहन सिंह	22-05-2004 - 26-05-2014
17.	नरेन्द्र मोदी	26-05-2014 से अब तक

नोट-

1. **कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा** दो बार बने- पहली बार 27 मई, 1964 से 9 जून, 1964 तक नेहरू की मृत्यु के बाद। दूसरी बार, 11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966 तक शास्त्री की मृत्यु के बाद।
2. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार (1997) एक व्यक्ति बिना किसी सदन की सदस्यता के **6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है।**

GS World Committed To Excellence

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद

सरकार की संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है–

- **अनुच्छेद 74 :** राष्ट्रपति को उसके कार्यों के सम्पादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद् होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है।
- **अनुच्छेद 75:** प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।
- **अनुच्छेद 75(2) :** मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे।
- **अनुच्छेद 75(3) :** मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
- **अनुच्छेद 75(4) :** प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है।
- **अनुच्छेद 75(5) :** मंत्रिपरिषद की सदस्यता हेतु व्यक्ति को संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है।
- **अनुच्छेद 78 :** राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख
- संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। उदाहरण– इंदिरा गांधी (1966), देवगौड़ा (1996), मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे)

  नोट–1: 91वें संविधान संशाधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद् में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोक सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।

  नोट–2: प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर रहता है। हालांकि प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता।

  नोट–3 : अनुच्छेद 352 के (खण्ड–3) में **'मंत्रिमंडल'** शब्द का प्रयोग किया गया है।

प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते

- संसद द्वारा निर्धारण
- वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है।

प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ

- वह **लोकसभा** का नेता होता है तथा **मंत्रिपरिषद् का प्रमुख** होता है।
- राष्ट्रपति को **संसद का सत्र आहूत** करने एवं **सत्रावसान का परामर्श।**
- राष्ट्रपति को **लोकसभा विघटित करने की सिफारिश**
- **अध्यक्षता–** नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, सी.एस.आई.आर., राष्ट्रीय एकता परिषद, अन्तर्राज्यीय परिषद तथा जल संसाधन परिषद
- **विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति में परामर्श–** महान्यायवादी, कैग, यूपीएससी, सीबीआई प्रमुख इत्यादि
- **मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता–** नियुक्ति समिति, आर्थिक मामलों की समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, निवेश और विकास पर समिति तथा रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति।

प्रधानमंत्री के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी

- प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल– **जवाहरलाल नेहरू**
- प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री– **मोरारजी देसाई**
- लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री– **चौधरी चरण सिंह**
- अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री– **वी. पी. सिंह**
- पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं – **नरसिम्हा राव**
- सबसे छोटा कार्यकाल (13 दिन)– **अटल बिहारी वाजपेयी**
- प्रथम महिला प्रधानमंत्री– **इंदिरा गांधी**

मंत्रिमंडल सचिवालय

- **भारत सरकार नियम 1961** के अन्तर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन
- **कार्य–** मंत्रिमंडलीय समितियों के लिए कार्यालयी सहायता, मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- प्रशासनिक प्रमुख– **कैबिनेट सचिव**
- कैबिनेट सचिव– **सिविल सर्विस बोर्ड का पदेन अध्यक्ष, भारत का सर्वोच्च IAS अधिकारी।**

उपप्रधानमंत्री

- भारतीय संविधान में इस पद की कोई व्यवस्था नहीं है।
- यह पद सत्ताधारी दलों द्वारा समय-समय पर सृजित किया गया है।
- **कार्य :** सरकार में प्रधानमंत्री के बाद दूसरा स्थान, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उसके समक्ष दायित्वों का निर्वहन

अब तक कुल 7 बार नियुक्ति

- भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री– **सरदार वल्लभभाई पटेल** (1947-1950)
- दूसरे उपप्रधानमंत्री– **मोरारजी देसाई** (1967-1969)
- 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने दो उपप्रधानमंत्री **चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम** थे।
- चौधरी चरण सिंह सरकार में **वाई.वी. चव्हाण** उपप्रधानमंत्री बने
- वी.पी. सिंह सरकार में **चौधरी देवी लाल**
- वाजपेयी सरकार में (2002) **लालकृष्ण आडवाणी**

मुख्यमंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने छह लोग– मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वी.पी. सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव, एच. डी. देवगौड़ा एवं नरेन्द्र मोदी।

महान्यायवादी (Attorney General)

- **अनुच्छेद-76** में प्रावधान
- भारत सरकार का **सर्वोच्च विधि अधिकारी**
- **नियुक्ति–** राष्ट्रपति द्वारा (प्रसादपर्यंत)
- **योग्यता–** उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता
- **अनुच्छेद 88–** संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में उपस्थित होने एवं बोलने का अधिकार (मत देने का अधिकार नहीं)
- **वेतन–** राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित
- महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है।
- प्रथम महान्यायवादी– **एम०सी० सीतलवाड़**
- वर्तमान (15)– **के०के० वेणुगोपाल**

भारत रत्न प्राप्त प्रधानमंत्री

1. जवाहरलाल नेहरू (1955)
2. लाल बहादुर शास्त्री (1966)
3. इंदिरा गाँधी (1971)
4. राजीव गाँधी (1991)
5. मोरारजी देसाई (1991)
6. अटल बिहारी वाजपेयी (2015)

संवैधानिक अधिकारियों का वरीयताक्रम	
वरीयताक्रम	**पदाधिकारी**
1.	राष्ट्रपति
2.	उप-राष्ट्रपति
3.	प्रधानमंत्री
4.	राज्यों के राज्यपाल (अपने राज्य में)
5.	भूतपूर्व राष्ट्रपति
6.	(i) भारत के मुख्य न्यायाधीश (ii) लोक सभा अध्यक्ष
7.	(i) केन्द्र के कैबिनेट मंत्री (ii) राज्य सभा एवं लोक सभा में विपक्ष के नेता (iii) नीति आयोग के उपाध्यक्ष (iv) भूतपूर्व प्रधानमंत्री (v) राज्यों के मुख्यमंत्री (अपने राज्य में)
7क.	भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति
8.	(i) भारत स्थित विदेशों के राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त (ii) राज्यों के राज्यपाल (अपने राज्य के बाहर) (iii) राज्यों के मुख्यमंत्री (अपने राज्य के बाहर)
9.	सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
9क.	(i) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष (ii) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) (iii) मुख्य निर्वाचन आयुक्त
10.	(i) राज्य सभा के उपसभापति (ii) लोक सभा के उपाध्यक्ष (iii) नीति आयोग के सदस्य (iv) राज्यों के उप-मुख्यमंत्री (v) केन्द्र के राज्य मंत्री
11.	(i) भारत के महान्यायवादी (ii) कैबिनेट सचिव (iii) उप-राज्यपाल (अपने संघ शासित क्षेत्र में)
12.	जनरल अथवा उसके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष

GS World Committed To Excellence

संसद

- ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित
- संवैधानिक प्रावधान– भाग–5 (अनुच्छेद 79–122)
- अंग–
  - (i) राष्ट्रपति
  - (ii) राज्य सभा (उच्च सदन, अनुच्छेद 80)
  - (ii) लोकसभा (निम्न सदन, अनुच्छेद 81)
- कार्य (केन्द्र स्तर पर विधि निर्माण

लोक सभा

- **प्रथम बैठक**– 13 मई, 1952 को
- सदस्य बनने की न्यूनतम **उम्र सीमा**–25 वर्ष
- **सीट संख्या** – कुल 550 (राज्यों से 530, केन्द्र शासित प्रदेशों से 20)
- **वर्तमान स्थिति**– 543 (524 + 19)
- **प्रथम अध्यक्ष**– गणेश वासुदेव मावलंकर
- **प्रथम महिला अध्यक्ष**– मीरा कुमार
- **वर्तमान अध्यक्ष** (17वीं लोकसभा)– ओम बिड़ला
- लोकसभा को सत्राहूत/सत्रावसान एवं विघटन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है।
- **अनुच्छेद 330**– लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित करता है।
- **अनुच्छेद 331**– लोकसभा में 2 एंग्लो–इंडियन का नामांकन (104वें संशोधन द्वारा समाप्त
- 84वां संविधान संशोधन 2001– लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 ई० तक यथावत रहेंगी।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोक सभा क्षेत्र– **लद्दाख**
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोक सभा क्षेत्र– **चाँदनी चौक (दिल्ली)**

परीक्षोपयोगी तथ्य

- केन्द्र सरकार का विधायी अंग है **–संसद**
- लोक सभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है **–1971 की जनगणना पर**
- लोक सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। **–प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से**
- आपातकाल में लोकसभा/विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है **–एक बार में एक वर्ष तक, अनिश्चित काल तक**
- **5वीं लोकसभा (1971–77)** का कार्यकाल दो बार बढ़ा था।
- लोक सभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच अंतर नहीं होगा **– 6 माह से अधिक का**
- लोक सभा या राज्य सभा का कोरम (गणपूर्ति) होता है **–कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग**
- आम चुनाव के बाद नव–निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है **–प्रोटेम स्पीकर (वरिष्ठ सांसद)**
- प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है **–लोक सभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल**
- प्रथम लोक सभा अध्यक्ष (स्पीकर), जिनके विरुद्ध लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया **–गणेश वासुदेश मावलंकर**
- लोक सभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है **–लोक सभा अध्यक्ष के अन्तर्गत**

चुनावी खर्च सीमा (जनवरी 2022 अधिसूचना)

लोकसभा	95 लाख (छोटे राज्यों + UT में 75 लाख)
विधान सभा	40 लाख (छोटे राज्यों + UT में 28 लाख)

संसद में सीटों का बंटवारा

क्रम	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	राज्यसभा में सीटों की संख्या	लोकसभा में सीटों की संख्या
(I)	**राज्य**		
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	25
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	2
3.	असम	7	14
4.	बिहार	16	40
5.	छत्तीसगढ़	5	11
6.	गोवा	1	2
7.	गुजरात	11	26
8.	हरियाणा	5	10
9.	हिमाचल प्रदेश	3	4
10.	झारखंड	6	14
11.	कर्नाटक	12	28
12.	केरल	9	20
13.	मध्य प्रदेश	11	29
14.	महाराष्ट्र	19	48
15.	मणिपुर	1	2
16.	मेघालय	1	2
17.	मिजोरम	1	1
18.	नागालैंड	1	1
19.	ओडिशा	10	21
20.	पंजाब	7	13
21.	राजस्थान	10	25
22.	सिक्किम	1	1
23.	तमिलनाडु	18	39
24.	तेलंगाना	7	17
25.	त्रिपुरा	1	2
26.	उत्तराखण्ड	3	5
27.	उत्तर प्रदेश	31	80
28.	पश्चिम बंगाल	16	42
(II)	**केन्द्र शासित प्रदेश**		
1.	जम्मू-कश्मीर	4	5
2.	लद्दाख	–	1
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	1
4.	चंडीगढ़	–	1
5.	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	–	2
6.	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)	3	7
7.	लक्षद्वीप	–	1
8.	पुडुचेरी	1	1
(III)	**नामित सदस्य**	12	2
	कुल	245	545

GS World Committed To Excellence

लोकसभा अध्यक्ष

लोकसभा	नाम	कार्यकाल
पहली	1. गणेश वासुदेव मावलंकर	1952–1956 (निधन)
	2. एम.ए. आयंगर	1956–1957
दूसरी	एम.ए. आयंगर	1957–1962
तीसरी	हुकुम सिंह	1962–1967
चौथी	1. नीलम संजीव रेड्डी	1967–1969 (त्यागपत्र)
	2. डॉ. गुरदयाल सिंह ढिल्लो	1969–1971
पांचवीं	1. डॉ. गुरदयाल सिंह ढिल्ला	1971–1975 (त्यागपत्र)
	2. बलीराम भगत	1976–1977
छठी	1. नीलम संजीव रेड्डी	1977–1977 (त्यागपत्र)
	2. के.डी. हेगड़	1977–1979
सातवीं	डॉ. बलराम जाखड़	1980–1985
आठवीं	डॉ. बलराम जाखड़	1985–1989
नौवीं	रवि राय	1989–1991
दसवीं	शिवराज वी. पाटिल	1991–1996
ग्यारहवीं	पी.ए. संगमा	1996–1998
बारहवीं	जी.एम.सी. बालयोगी	1998–1999
तेरहवीं	1. जी.एम.सी. बालयोगी	1999–2002 (निधन)
	2. मनोहर जोशी	2004–2004
चौदहवीं	सोमनाथ चटर्जी	2004–2009
सोलहवीं	सुमित्रा महाजन	2014–2019
सत्रहवीं	ओम बिड़ला	2019 से अब तक

संसद संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद	
अनुच्छेद	**संबंधित विषयवस्तु**
79	संसद का गठन
80	राज्यसभा का संघटन
81	लोकसभा का संघटन
82	प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनर्समायोजन
83	संसद के सदनों की अवधि
84	संसद की सदस्यता के लिए योग्यता
85	संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन (भंग)
86	राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार
87	राष्ट्रपति का विशेष संबोधन
88	सदनों के प्रति मंत्रियों एवं अटार्नी जनरल के अधिकार
संसद के पदाधिकारी गण	
89	राज्यसभा के सभापित तथा उपसभापति
90	राज्यसभा के उपसभापति की रिक्त, त्यागपत्र तथा विमुक्ति
91	सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा कार्य करने की उपसभापति की शक्ति
92	सभापति अथवा उपसभापति का सदन की अध्यक्षता से विरत रहना
93	लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष
94	लोकसभाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा विमुक्ति
95	लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन अथवा कार्य करने की शक्ति
96	लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का सदन की अध्यक्षता से विरत रहना
97	सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते
98	संसद सचिवालय
कार्यवाही का संचालन	
99	सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण
सदस्यों की अयोग्यता	
101	सीटों की रिक्ति
102	सदस्यता से अयोग्य ठहरना
103	सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय

संसद तथा इसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा	
105	संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार आदि
106	सदस्यों के वेतन एवं भत्ते
110	धन मुद्रा विधेयक की परिभाषा
111.	विधेयकों की स्वीकृति
वित्तीय मामलों में प्रक्रिया	
112.	वार्षिक वित्तीय विवरण
113.	संसद में प्राक्कलनों से संबंधित प्रक्रिया
114.	विनियोजन विधेयक
115.	पूरक, अतिरिक्त तथा अतिरेक अनुदान
116.	लेखा पर मतदान, ऋण एवं असाधारण अनुदानों पर मतदान
117.	वित्तीय विधेयकों संबंधी विशेष प्रावधान
राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ	
123.	राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (समयावधि- 6 माह और 6 सप्ताह)

साधारण विधेयक	धन विधेयक
1. लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पुर: स्थापित	1. सिर्फ लोकसभा में पुर: स्थापित।
2. मंत्री द्वारा या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पुर: स्थापित	2. सिर्फ मंत्री द्वारा पुर: स्थापित।
3. बिना राष्ट्रपति की संतुति के पुर: स्थापित	3. सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुर: स्थापित
4. राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत	4. राज्यसभा को संशोधन या अस्वीकृति नहीं दे सकती।
5. राज्यसभा अधिकतम छह माह के लिए रोक सकती है।	5. राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है।
6. राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं।	6. अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत।
7. राष्ट्रपति की मंजूरी या असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है।	7. सिर्फ लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। असहमति का कोई अवसर ही नहीं।
8. लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है।	8.लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है।
9. अस्वीकृत, पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जासकता है।	9. अस्वीकृत या पारित तो किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है।

नोटः अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी/एसटी आरक्षण से संबंधित है।

सरकारी विधेयक	गैर-सरकारी विधेयक
1. मंत्री द्वारा पेश	1. मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश
2. सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है।	2. सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रतिदर्शित करता है।
3. पारित होने की पूरी उम्मीद।	3. संसद में पारित होने की कम उम्मीद।
4. अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना।	4. अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं।
5. पेश करने के लिए सात दिनों का नोटिस।	5. पेश करने के लिए ऐसे प्रस्ताव के लिए एक माह का नोटिस।
6. संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से	6. निर्माण संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी

लोकसभा अध्यक्ष/स्पीकर

- पहली बैठक के बाद उपस्थित सदस्यों में से चुनाव
- **शपथ**- एक सामान्य सांसद के तौर पर
- **कार्यकाल :** लोकसभा के जीवन काल तक (अगली लोकसभा की पहली बैठक तक)
- **पद की समाप्ति**
  - ♦ सदन का सदस्य नहीं रहने पर
  - ♦ उपाध्यक्ष को लिखित इस्तीफा देकर
  - ♦ तत्कालीन लोकसभा सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प द्वारा (14 दिन पूर्व सूचना देकर)

कार्य :

- संयुक्त बैठक की अध्यक्षता
- धन विधेयक का सत्यापन
- दलबदल पर निरर्हता के प्रश्न का निपटान
- भारतीय संसदीय समूह का पदेन सभापति
- लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति
- कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति की अध्यक्षता
- निर्णायक मत (Tie की स्थिति में) देने का अधिकार

नोटः- लोकसभा महासचिव – संसद का स्थायी पदाधिकारी कार्यकाल–60 वर्ष, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायित्व।

लोकसभा की अध्यक्षता

- अध्यक्ष या पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष
- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर सभापति तालिका (10 नाम) में से किसीएक को अध्यक्ष कर्तव्य के निवर्हन हेतु राष्ट्रपति नियुक्त करता है।

लोकसभा उपाध्यक्ष

- अध्यक्ष की ही तरह लोकसभा सदस्यों द्वारा चुनाव।
- सदन के जीवनपर्यंत पद धारण।
- पद की समाप्ति (लोकसभा अध्यक्ष की तरह)
- यह अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होकर प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी।

सदन का नेता

- लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय प्रधानमंत्री से है।
- राज्यसभा में सदन के नेता को प्रधानमंत्री मनोनित करता है।

व्हिप (सचेतक)

- सदन के नियम, संसदीय संविधि तथा संविधान में उल्लेख नहीं।
- संसदीय परंपराओं पर आधारित।
- कार्य- सदन में पार्टी के सदस्यों के व्यवहार पर नजर एवं उपस्थिति बनाए रखना।

विपक्ष का नेता

- संविधान के बजाय सदन के नियम एवं संसदीय संविधि में उल्लेख।
- कार्य- सरकार के कार्यों की उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था
- **1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता**
- **1977 में लोकसभा एवं राज्य सभा में विपक्ष के नेता** को महत्ता मिली।
- वेतन, भत्ते तथा **सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह।**
- **सदन में 1/10 सदस्य (55 सदस्य)** होने पर ही दर्जा मिलता है।

संसदीय कार्यवाही के साधन

प्रश्नकाल

- संसदीय प्रक्रिया नियमों में उल्लेख नहीं।
- संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल हेतु (1-12 बजे)

तीन प्रकार के प्रश्न

1. **तारांकित-** मंत्री द्वारा मौखिक उत्तर, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते है।
2. **अतारांकित-** मंत्री द्वारा लिखित उत्तर, अनुपूरक प्रश्न नहीं।
3. **अल्प सूचना** - 10 दिन पूर्व नोटिस देकर

- मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न पूछा जाता है।

संसद सत्र

- सामान्यत: वर्ष में तीन सत्र
  1. बजट सत्र (फरवरी-मई)
  2. मानसून सत्र (जुलाई-सितम्बर)
  3. शीतकालीन सत्र (नवम्बर-दिसम्बर)
- **नोट:** दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं। यानी एक साल में तीनों सत्र चले यह अनिवार्य नहीं।
- राष्ट्रपति प्रत्येक सदन को समय-समय पर सत्र हेतु समन जारी करता है।
- सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है।

शून्यकाल

- संसदीय प्रक्रिया नियमों में उल्लेख नहीं।
- संसदीय प्रक्रिया में **'भारतीय नवाचार की देन।'**
- अनौपचारिक साधन के रूप में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते।
- प्रश्नकाल के तुरंत बाद (12–1 बजे)

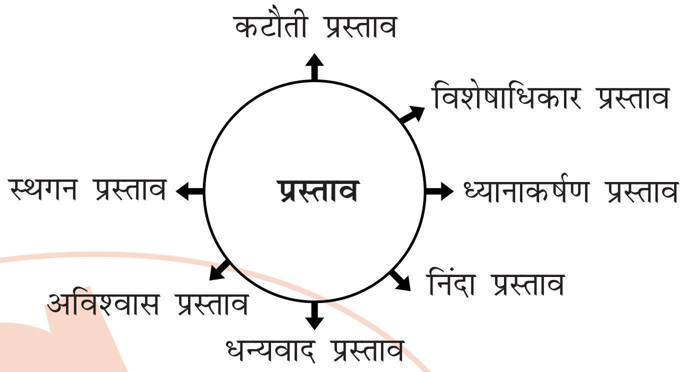

संसद की वित्तीय समितियाँ

प्राक्कलन समिति

- **30 सदस्य (सभी लोकसभा से)**
- कार्यकाल एक वर्ष
- सबसे बड़ी संसदीय समिति
- अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा
- **कार्य :** सरकारी खर्च में मितव्ययिता, संगठन कुशलता एवं प्रशासनिक सुधार।

लोक लेखा समिति

- **22 सदस्य** (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)
- प्राक्कलन समिति की 'जुड़वा बहन'
- 'लघु लोकसभा' उपनाम
- कार्यकाल एक वर्ष
- अध्यक्ष विपक्ष का नेता बनता है।
- राज्यसभा सदस्यों को मताधिकार नहीं।
- **कार्य :**
  - ♦ कैग के प्रतिवेदनों की जाँच।
  - ♦ विनियोग लेखाओं की जाँच
  - ♦ यह अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है।

सरकारी उपक्रम समिति

- **22 सदस्य** (15 + 7)
- कोई भी मंत्री सदस्य नहीं।
- **कार्य–** सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों की एवं इन पर कैग रिपोर्ट की जाँच।

संविधान संशोधन

सामान्यतः तीन प्रकार से–

- साधारण बहुमत द्वारा
- अनुच्छेद 368 के तहत
  1. संसद के विशेष बहुमत द्वारा
  2. संसद का विशेष बहुमत + आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा संस्तुति

संविधान संशोधन की प्रक्रिया

- **संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है। (राज्य विधानमंडल में नहीं)**
- किसी मंत्री या गैर–सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित (राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं)
- दोनों सदनों में विशेष बहुमत
- संयुक्त बैठक नहीं
- राष्ट्रपति के लिए सहमति देना अनिवार्य।

साधारण बहुमत

- यह **अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है।**
- कुल **सदस्यों का 50% + 1** द्वारा पारित।
- इसमें **शामिल विषय–**
  1. नये राज्यों का प्रवेश या गठन।
  2. नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन।
  3. राज्य विधानपरिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति।
  4. दूसरी अनुसूची
  5. उच्चतम न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की संख्या।
  6. नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति।
  7. संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन।
  8. निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण।
  9. केन्द्रशासित प्रदेश।
  10. पांचवीं अनुसूची–अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन।
  11. छठी अनुसूची– जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन।

संसद के विशेष बहुमत द्वारा

- संसद के विशेष बहुमत द्वारा अर्थात् **प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई का बहुमत।**
- **शामिल विषय–** मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबद्ध नहीं हैं।

विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति

- संसद के **विशेष बहुमत द्वारा संशोधित और आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से** उनको मंजूरी मिली हो।
- इसके तहत **संशोधित किया जा सकता है–**
  1. राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया।
  2. केन्द्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विभाजन।
  3. उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय।
  4. केन्द्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन।
  5. वस्तु और सेवा कर परिषद।
  6. सातवीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय।
  7. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
  8. संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया (**अनुच्छेद 368 स्वयं**)।

संचित निधि [अनुच्छेद 266(1)]

- विनियोग विधेयक द्वारा धन निकासी।
- विनियोग विधेक में देरी पर लेखानुदान द्वारा

इस पर भारित व्यय–

1. राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता और अन्य व्यय
2. राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते।
3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन।
4. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन।
5. ऐसा ऋण भार, जिनका दायित्व भारत सरकार पर है।
6. भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचाट।
7. कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करें।

आकस्मिकता निधि

- भारत की आकस्मिकता एक्ट, 1950 द्वारा गठित।
- कार्यपालिका के व्यवनाधीन है।

तीन बार संयुक्त बैठक

1. दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960
2. बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977
3. आतंकवाद निवारण विधेयक 2002

धन विधेयक

- **अनुच्छेद** 110 में परिभाषा।
- इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम।
- केवल लोकसभा में पेश।
- राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है।
- धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता (हस्ताक्षर या रोक सकता है)

वित्त विधेयक

- तीन प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं–
  1. धन विधेयक **अनुच्छेद** 110
  2. वित्त विधेयक I (**अनुच्छेद** 117 (1)
  3. वित्त विधेयक II (**अनुच्छेद** 177 (3)
- सभी धन विधेयक, वित्त विधेयक होते हैं किन्तु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते।

संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108)

तीन परिस्थितियों में–

1. विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृति
2. विधेयक संशोधनों को दूसरा सदन मानने से असहमत हो।
3. दूसरा सदन 6 महीने से ज्यादा समय तक विधेयक रोके रखे।

- **अध्यक्षता** – लोकसभा अध्यक्ष (अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या राज्यसभा का उपसभापति)।
- साधारण विधेयक या धन विधेयक पर आहूत।
- **बैठक का कोरम** = 1/10 (दोनों सदनों की कुल संख्या)
- कार्यवाही संचालन लोकसभा प्रक्रिया नियमों द्वारा।
- उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक पारित।

राज्यसभा (अनुच्छेद 80)

सामान्य जानकारी

- **पहली बार गठन** - 3 अप्रैल, 1952
- **पहली बैठक** - 13 मई, 1952
- **राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है**- अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव।
- **कुल सीट** - 250 (238 राज्यों एवं UTs से, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनित)
- **कार्यकाल** - 6 वर्ष
- **एक तिहाई (1/3)** सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर
- **न्यूनतम आयु** - 30 वर्ष
- **प्रकृति** - स्थायी सदन
- **निर्वाचन** (अप्रत्यक्ष विधि से)
  - केवल राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान।
  - प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत द्वारा।
  - **राज्यसभा चुनावों में NOTA का प्रयोग नहीं होता।**

लोकसभा के साथ असामान्य स्थिति

- धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पुर: स्थापित होता है।
- राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है। (14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य)
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसे बताने की अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है।
- संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
- राज्य सभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है।
- राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित।
- राज्य सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती।

लोकसभा से तुलना

लोकसभा से समानता

- साधारण विधेयक का पुर: स्थापन एवं पारित।
- संवैधानिक संशोधन विधेयक का स्थापन एवं पारित।
- वित्त विधेयक का पुर: स्थापन (भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित)
- राष्ट्रपति का निर्वाचन व महाभियोग।
- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं पद से हटाया जाना।
- सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट जज, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं लेखा महानियंत्रक को पद से हटाने की सिफारिश
- राष्ट्रपति के अध्यादेश को स्वीकृति
- राष्ट्रपति के घोषित आपातकाल को स्वीकृति इत्यादि।

विशेष शक्तियाँ

- **अनुच्छेद 249**- संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने हेतु अधिकृत करना। (2 तिहाई बहुमत से)
- **अनुच्छेद 312**- नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन।
- उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होती है।
- आपातकाल की घोषणा (यदि लोकसभा भंग हो तब) यह घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगी।

राज्य कार्यपालिका

राज्य विधान मंडल

- भाग-6 (अनुच्छेद 168-212)
- राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर गठित होता है।
- **विधानमण्डल सत्र हेतु कोरम-** न्यूनतम दस सदस्य या कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा।

विधानसभा

- **सदस्य संख्या –**

  अधिकतम 500, न्यूनतम- 60

  (अपवाद- सिक्किम एवं गोवा- 40)
- **मुख्यमंत्री** (राज्य का सर्वोच्च जनप्रतिनिधि)
- **विधानसभा अध्यक्ष** (लोकसभा अध्यक्ष के समान राज्य में शक्तियाँ व कार्य)

विधान परिषद

- 6 राज्यों में है- **आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, यू.पी., बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक।**
- **अधिकतम संख्या-** विधानसभा की एक तिहाई होती है।

  न्यूनतम संख्या - 40

विधान परिषद निर्वाचन (कुल सदस्यों का)

1. **1/3** = स्थानीय निकायों द्वारा
2. **1/12** = राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा
3. **1/12** = 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग
4. **1/3** = विधानसभा सदस्यों द्वारा
5. **1/6** = बाकी को राज्यपाल द्वारा नामांकित।

विधानसभा और विधानपरिषद की सदस्य संख्या (घटते क्रम में)

राज्य	विधान सभा	विधान परिषद
यूपी	403	100
पं. बंगाल	294	–
महाराष्ट्र	288	78
बिहार	243	75
तमिलनाडु	234	–
मध्य प्रदेश	230	–
कनार्टक	224	75
राजस्थान	200	–
गुजरात	182	–
आन्ध्र प्रदेश	175	50
उड़ीसा	147	–
केरल	140	–
असम	126	–
तेलंगाना	119	40
पंजाब	117	–
छत्तीसगढ़	90	–
हरियाणा	90	–
झारखण्ड	81	–
उत्तराखण्ड	70	–
हिमाचल प्रदेश	68	–
अरूणाचल प्रदेश	60	–
नागालैंड	60	–
मणिपुर	60	–
मेघालय	60	–
त्रिपुरा	60	–
गोवा	40	–
मिजोरम	40	–
सिक्किम	32	–
संघ शसित प्रदेश		
जम्मू-कश्मीर (भारत प्रशासित)	90 (नये परिसीमन के बाद)	–
दिल्ली	70	–
पुडुचेरी	30	–

GS World Committed To Excellence

राज्य कार्यपालिका/विधायिका

अनुच्छेद	विषय वस्तु
163	मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहायता
166	राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन
167	राज्यपाल को सूचना देने संबंधी मुख्यमंत्री के दायित्व
168	राज्य में विधायिकाओं का गठन
169	विधान परिषदों का गठन अथवा उन्मूलन
170	विधान सभाओं का गठन
171	विधान परिषदों का गठन
172	राज्य विधायिका का कार्यकाल
173	विधायिका की सदस्यता के लिए योग्यता
174	राज्य विधायिका के सत्र, सत्रावसान एवं भंग होना
175	राज्यपाल का सदन को संबोधन
176	राज्यपाल का विशेष संबोधन
177	मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार
178	विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष
179	अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पदत्याग, त्यागपत्र एवं पद से हटाया जाना।
182	विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति
188	सदस्यों का शपथ ग्रहण
190	सीटों का रिक्त होना
196	विधेयकों की प्रस्तुति एवं उन्हें पारित करने संबंधी प्रावधान
202	वार्षिक वित्तीय विवरण
332	विधान सभा में एससी/एसटी आरक्षण

राज्य का महाधिवक्ता

- **अनुच्छेद-165** के अनुसार राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है।
- यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है।
- राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पदासीन।
- राज्यपाल द्वारा निर्धारित वेतन।
- **मुख्य कार्य** – विधि संबंधी विषयों राज्य सरकार को सलाह
- **अनुच्छेद** 177– महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में, कार्यवाहियों में बोलने एवं भाग लेने का अधिकार है लेकिन मत देने का नहीं।

राज्यपाल

- **अनुच्छेद** 153–167 तक राज्य कार्यपालिका।
- राज्य का कार्यकारी/संवैधानिक प्रमुख होता है।
- केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य
- सामान्यत: प्रत्येक राज्य हेतु एक राज्यपाल
- **7वां संशोधन अधिनियम, 1956** – एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है।

अहर्ताएं

- ♦ भारत का नागरिक
- ♦ 35 वर्ष की आयु
- ♦ विधान सभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो।
- ♦ लाभ के पद पर न हो।

- परंपरागत तौर पर राज्यपाल दूसरे राज्य का होता है स्थानीय नहीं।
- **नियुक्ति** – राष्ट्रपति द्वारा (प्रसादपर्यंत, कार्यकाल तय नहीं)

राज्यपाल की शक्तियाँ

- **कार्यकारी**– राष्ट्रपति की तरह राज्य में
- **विधायी**– राष्ट्रपति की तरह राज्य में तथा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति देने के बाद राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक नहीं।
- **वित्तीय** – राष्ट्रपति के समान। अपवाद– धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है।
- **न्यायिक**– राष्ट्रपति जैसे अपवाद– राज्यपाल मृत्यु दण्ड की सजा माफ नहीं कर सकता तथा सैन्य अदालत सजा माफी की शक्ति नहीं।

विवेकाधीन शक्तियाँ

1. विधानसभा में सरकार को बहुमत सिद्ध करने का आदेश
2. राष्ट्रपति हेतु विचारार्थ विधेयक भेजना।
3. अल्पमत में आए मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी।
4. राष्ट्रपति शासन की सिफारिश।
5. केन्द्र शासित राज्य में (अतिरिक्त प्रभार) और प्रशासक कार्य के दौरान निर्णय लेना।
6. 6ठी अनुसूची के चारों राज्यों में रॉयल्टी निर्धारण।
7. राज्य विधानमंडल एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना।

नोट:

1. **राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति (मंत्रिपरिषद की सलाह पर) राज्य विधान मंडल द्वारा जारी अधिनियम के समान होती है।**
2. **राज्यपाल एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस कर सकता है।**

राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषय वस्तु
153	राज्यों के राज्यपाल
154	राज्य की कार्यपालक शक्ति
155	राज्यपाल की नियुक्ति
156	राज्यपाल का कार्यकाल
157	नियुक्त होने के लिए अर्हता
159	शपथ ग्रहण
160	आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य
161	राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति
163	मंत्रीपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना।
167	राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व।
200	विधेयक पर सहमति
201	विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना।
213	अध्यादेश जारी करने की शक्ति
217	राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना।
233	राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
234	राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति (जिला न्यायाधीशों को छोड़कर)। इन नियुक्तियों में व राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है।

नोट– राज्यपाल राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्तआयोग, राज्य लोक सेवा अयोग और कैग की रिपोर्ट को राज्य विधान सभा के सामने प्रस्तुत करता है।

पंचायती राज

संबंधित तथ्य

- **अनुच्छेद 40** (नीति निदेशक तत्व) के तहत पंचायती राज की स्थापना राज्य का कर्तव्य है।
- पंचायती राज का प्रावधान भारतीय संविधान के **भाग-9 तथा 11वें अनुसूची में अनुच्छेद 243(A) से 243(O)** तक है।
- इसमें शामिल विषय- 29
- **73वां संविधान संशोधन** विधेयक 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा। (लागू- 24 अप्रैल, 1993)
- 73वें संविधान संशोधन के बाद सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में 30 मई, 1994 को पंचायत चुनाव हुए।

प्रमुख समितियाँ

- **अशोक मेहता समिति (1977)** - द्वि-स्तरीय पंचायती राज, 'न्याय पंचायत' को विकास पंचायत से अलग करने की सिफारिश।
- **जी.वी.के. राव समिति (1985)**
- **एल.एम. सिंघवी समिति (1986)**- इनकी सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
- **थुंगन समिति (1988)**

इतिहास

- **लॉर्ड रिपन**- भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक।
- जनवरी 1957 में गठित **बलवंत राय मेहता समिति** (नवम्बर 1957 में रिपोर्ट) ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की।

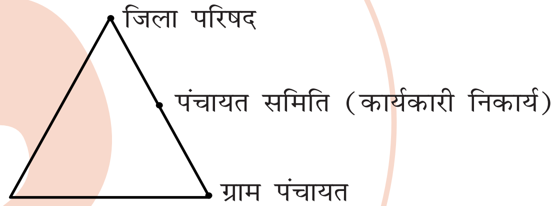

- **2 अक्टूबर, 1959** को (नागौर) राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना (पं. नेहरू द्वारा)
- दूसरा राज्य- आन्ध्र प्रदेश (1959)

संवैधानिकरण के प्रयास

- पहली बार राजीव गाँधी के कार्यालय में (एल.एम. सिंघवी की सिफारिश पर) 1989 में **64वां संविधान संशोधन** विधेयक।
- दूसरी बार वी.पी. सिंह सरकार में 1990 में संविधान संशोधन विधेयक आया।
- इसके बाद **नरसिम्हा राव** सरकार में 1991 में संविधान संशोधन विधेयक आया जो **73वें संशोधन** के रूप में पारित हुआ।

73वां संशोधन के तहत पंचायतों हेतु

1. अनिवार्य प्रावधान

- ग्राम सभा का गठन
- चुनाव हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष
- सभी स्तरों पर एससी/एसटी को आरक्षण
- 1/3 महिला आरक्षण
- कार्यकाल 5 वर्ष (6 माह की अवधि में नए चुनाव)
- राज्य निवार्चन आयोग
- राज्य वित्त आयोग

2. स्वैच्छिक प्रावधान

- ग्राम सभा को शक्ति एवं प्रकार्यों से युक्त करना।
- पिछड़े वर्गों को आरक्षण
- पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना।

GS World Committed To Excellence

अनुच्छेद

243	–	परिभाषा
243- A	–	ग्राम सभा
243-B	–	गठन
C	–	संरचना
D	–	आरक्षण (अरूणाचल में एससी आरक्षण नहीं)
E	–	अवधि (प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष)
F	–	निरर्हताएं (आयु 21 वर्ष से कम हो, निरर्हता पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी)
G	–	शक्तियाँ
H	–	कर/निधियाँ
I	–	वित्त आयोग
J	–	ऑडिट ऑफ अकाउंट्स
K	–	राज्य चुनाव आयोग
L	–	संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना
M	–	नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल (कुछ क्षेत्रों में) लागू न होना।
N	–	विद्यमान कानूनों व पंचायतों का जारी रहना।
O	–	चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक

PESA एक्ट 1996

- पांचवीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों हेतु लाया गया।
- उद्देश्य– संविधान के भाग 9 (पंचायत) से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना।

पांचवीं अनुसूची में शामिल 10 राज्य

- आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान।

कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान

अनुच्छेद	**राज्य**
371	महाराष्ट्र तथा गुजरात
371ए	नागालैंड
371बी	असम
371सी	मणिपुर
371डी	आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना
371ई	आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
371एफ	सिक्किम
371जी	मिजोरम
371एच	अरूणाचल प्रदेश
371आई	गोवा
371जे	कर्नाटक

11वें अनुसूची में शामिल कुछ प्रमुख विषय

- कृषि
- भूमि विकास एवं भूमि सुधार
- लघु सिंचाई, जल प्रबंधन
- पशुपालन एवं मत्स्य पालन
- लघु वन उत्पाद
- लघु उद्योग
- खादी ग्रामोद्योग
- ग्रामीण विकास एवं पेयजल
- सड़क, पुल एवं जल मार्ग
- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
- पुस्तकालय
- स्वास्थ्य एवं संबंधित संस्थाएँ
- बाजार में मेले
- महिला और बाल विकास
- सार्वजनिक सम्पत्ति की देखरेख
- अन्य

नगरपालिका

- **भाग-9(क) (अनुच्छेद 243P -243ZG तक)**
- **12वीं अनुसूची**
- **74वां संविधान संशोधन, 1992** (1 जून, 1993 से लागू)
- 18 विषय शामिल

इतिहास

- 1688 में भारत का **पहला नगर निगम मद्रास** में स्थापित।
- 1726 में बंबई, कलकत्ता नगर निगम।

संवैधानिकरण

- **1989 में 65वां संविधान संशोधन, सफल नहीं रहा।**
- **1990 में पुनः संशोधित नगरपालिका विधेयक।**
- **1991 में नरसिम्हा राव के समय 74वां संशोधन अधिनियम पारित।**

8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन

- नगरपालिका परिषद
- नगरपालिका
- अधिसूचित क्षेत्र समिति
- शहरी क्षेत्र समिति
- छावनी बोर्ड
- शहरी क्षेत्र समिति
- पत्तन न्यास
- विशेष उद्देश्य हेतु गठित एजेंसी

		अनुच्छेद
243P	-	परिभाषाएँ
243Q	-	नगरपालिका गठन
243R	-	संरचना
243S	-	वार्ड समिति
243T	-	आरक्षण
243U	-	कार्यकाल
243V	-	अयोग्यता
243Q	-	शक्ति, प्राधिकार एवं दायित्व
243X	-	करारोपण की शक्ति एवं निधि
243Y	-	वित्त आयोग
243Z	-	लेखा अंकेक्षण
243ZA	-	चुनाव
243ZB	-	संघ शासित क्षेत्रों में लागू
243ZC	-	कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना
243ZD	-	महानगर आयोजना समिति
243ZE	-	नगरपालिका एवं विद्यमान कानूनों का जारी
243ZG	-	चुनावी मामलों में कोर्ट के हस्तक्षेप पर रोक

दल-बदल के आधार पर निर्हरता

- यदि सदन का सदस्य स्वेच्छा से राजनीति दल की सदस्यता छोड़ देता है अथवा
- यदि वह सदन से अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है।
- कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है।
- यदि कोई नाम निर्देशित सदस्य स्थान ग्रहण ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है।

अपवाद (91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार)

1. यदि किसी दल के एक-तिहाई सदस्य एक नये दल का गठन कर लें।
2. यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वेच्छिक रूप से बाहर चला जाता है या कार्यकाल के बाद पुनः अपने दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है।

- भारतीय संघवाद की प्रणाली **कनाडा के संविधान** से अपनाई गई है, जिसमें शक्तियों का वितरण केन्द्र की ओर झुका हुआ है।

विधायी संबंधी (भाग-11, अनुच्छेद 245-255)

- विधायी विषयों का बंटवारा **संघ सूची, राज्य सूची** और **समवर्ती सूची** के आधार पर बांटा गया है।

प्रशासनिक संबंध (भाग-11, अनुच्छेद-256-263)

- **अनुच्छेद 262-** अन्तर्राज्यीय नदियों का बंटवारा
- **अनुच्छेद 263-** राष्ट्रपति को अन्तर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति।
- **अखिल भारतीय सेवाएँ-** आईएएस, आईपीएस, आईएफएस
- **अनुच्छेद-253-** अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों पर अमल करने के लिए विधायन।

वित्तीय सम्बन्ध (भाग-12, अनुच्छेद 268-281)

- कराधान शक्तियों का आवंटन
- **101वां संविधान संशोधन-** जीएसटी, जीएसटी परिषद
- कर राजस्व का वितरण
  - ♦ **अनुच्छेद 268-** केन्द्र द्वारा उद्गृहीत एवं राज्यों द्वारा संगृहीत एवं विनियोजित कर।
  - ♦ **अनुच्छेद 269-** संघ द्वारा उद्गृहीत एवं संगृहीत किन्तु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर।
  - ♦ **अनुच्छेद 270-** संघ द्वारा उद्गृहीत एवं संगृहीत किए जाने वाले तथा केन्द्र एवं राज्यों के बीच बंटने वाले कर।
- वित्त आयोग का गठन (**अनुच्छेद 280**)

केन्द्र राज्य संबंधों पर आयोग/समितियाँ

- प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)
  - ♦ **अध्यक्ष-** मोरारजी देसाई (बाद में के० हनुमंतैया)
  - ♦ इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए **एम०सी० शीतलवाड़ समिति** (1969) का गठन किया गया।
- **राज मन्नार समिति** (1969) - तमिलनाडु सरकार द्वारा गठन, 1971 में रिपोर्ट सौंपी। इसने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा और अखिल भारतीय पुलिस सेवा की समाप्ति की सिफारिश की थी।
- **सरकारिया आयोग** (1983)
  - ♦ सदस्य- वी० शिवरामन, एम०आर० सेन
  - ♦ अक्टूबर 1987 में रिपोर्ट सौंपी, जनवरी 1988 में जारी।
- **पूंछी आयोग** (अप्रैल 2007)
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग** (अगस्त 2005)
  - ♦ **अध्यक्ष-** विरप्पा मोइली
  - ♦ **सदस्य-** वी० रामचन्द्रन, ए०पी० मुखर्जी, ए०एच० काल्रो, जय प्रकाश नारायण

अन्तर्राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263)

- **सरकारिया आयोग** की सिफारिश पर जून 1990 में गठन (वी०पी० सिंह कार्यकाल)
- **राष्ट्रपति द्वारा गठित** (केन्द्र-राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए)
- **सदस्य- प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)**, पी.एम. द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों/UTs के मुख्यमंत्री एवं प्रशासक।
- **बैठक-** वर्ष में तीन बार होनी चाहिए (अंतिम बैठक नवम्बर 2017 में हुई थी)

आपात उपबंध (भाग-18, अनुच्छेद 352-360)

- **उद्देश्य-** देश की संप्रभुता, एकता, अखण्डता, लोकतांत्रिक, राजनैतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना।

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

- **राष्ट्रपति** द्वारा घोषणा (संघीय मंत्रिमंडल द्वारा **लिखित विनिश्चय** प्राप्त होने पर)
- **आधार-** युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह
- **अनुमोदन** - दोनों सदनों द्वारा, विशेष बहुमत से, एक माह के भीतर
- **समाप्ति-** राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से (संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं)
- राष्ट्रीय आपात की घोषणा, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर होने पर **बाह्य आपातकाल** कहा जाता है।
- जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो तो **आंतरिक आपातकाल** कहलाता है।
- अब तक **तीन बार** राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है-
  1. **भारत-चीन** युद्ध (अक्टूबर 1962 - जनवरी 1968 तक)
  2. **भारत-पाकिस्तान** युद्ध (दिसम्बर 1971 - मार्च 1977 तक)
  3. **आंतरिक अशांति** (जून 1975 - मार्च 1977)
- **नोट-1: अनुच्छेद 358-** राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर (युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर) अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं।

  नोट-2: अनुच्छेद 359 - आपातकाल में भाग-3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को लागू करना, स्थगित करना।

  नोट-3 : राष्ट्रीय आपातकाल को संसदीय अनुमोदन मिलने के बाद **(प्रत्येक 6 माह में) अनन्तकाल तक** बढ़ाया जा सकता है। **(44वां संविधान संशोधन)**

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)

- **आधार-**

  1. **अनुच्छेद 356-** राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति।

  2. **अनुच्छेद 365-** यदि कोई राज्य केन्द्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल रहे।
- **अनुमोदन** - राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन

  समयावधि- राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। इसे अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- **समाप्ति** - राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय परवर्ती घोषणा द्वारा (संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं)
- **सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया।**

वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

- अनुच्छेद 360 की घोषणा **राष्ट्रपति** करता है।
- **अनुमोदन-** घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद द्वारा
- **समयावधि-** एक बार मंजूरी मिलने के बाद अनिश्चित काल के लिए (जारी रखने के लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं)
- **समाप्ति-** राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा (संसदीय मंजूरी आवश्यक नहीं)
- **अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है।**

संवैधानिक संस्थाएँ

चुनाव आयोग (भाग-15, अनुच्छेद 324-329)

- **स्थापना** - 25 जनवरी, 1950
- यह एक **स्थायी संवैधानिक** निकाय है।
- **अनुच्छेद 324**- संसद, राज्यविधान मंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है।
- राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनाव संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होता है।
- **संरचना**- तीन सदस्यीय (मुख्य निर्वाचन आयोग, दो अन्य निर्वाचन आयोग)
- **कार्यकाल** - 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो।
- **नियुक्ति**- राष्ट्रपति द्वारा
- **इस्तीफा** - किसी भी समय त्यागपत्र (राष्ट्रपति को) दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल के पूर्व भी हटाया जा सकता है।
- पहले चुनाव आयाग एक सदस्यीय आयोग था परन्तु अक्टूबर 1993 में तीन सदस्यीय बना दिया गया है।
- **कार्य**-
  - ♦ चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन
  - ♦ मतदाता सूची तैयार करवाना
  - ♦ राजनीतिक दलों को मान्यता देना
  - ♦ चुनाव चिन्ह प्रदान करना
  - ♦ चुनाव करवाना
  - ♦ आचार संहिता तैयार एवं लागू करवाना
- **वेतन एवं भत्ता**- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, भारत के संचित निधि पर भारित।

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त

क्रम	नाम	कार्यकाल
1.	सुकुमार सेन	1950-1958
2.	के.वी.के. सुन्दरम	1958-1967
3.	एस.सी. सेन वर्मा	1967-1972
4.	डॉ. नगेन्द्र सिंह	1972-1973
5.	टी. स्वामीनाथन	1973-1977
6.	एस.एल. शकधर	1977-1982
7.	आर.के. त्रिवेदी	1982-1985
8.	आर.वी.एस. पेरीशास्त्री	1985-1990
9.	श्रीमती वी.एस. रमादेवी **(एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त)**	1990-1990
10.	टी.एन. शेषन	1990-1996
11.	मनोहर सिंह गिल	1996-2001
12.	जेम्स माइकल लिंगदोह	2001-2004
13.	टी.एस. कृष्णामूर्ति	2004-2005
14.	बी.बी. टंडन	2005-2006
15.	एन. गोपालास्वामी	2006-2009
16.	नवीन चावला	2009-2010
17.	एस.वाई. कुरैशी	2010-2012
18.	वी०एस० सम्पत	2012-2015
19.	एच.एस. ब्रह्मा	2015-2015
20.	नसीम जैदी	2015-2017
21.	ए.के. ज्योती	2017-2018
22.	ओमप्रकाश रावत	2018-2018
23.	सुनील अरोरा	2018- अप्रैल 2021
24.	सुशील चन्द्र	2021 से 2022
25.	**राजीव कुमार (वर्तमान)**	2022 से अब तक

वित्त आयोग (अनुच्छेद 280)

- एक अर्द्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा हर पांचवे वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पहले किया जाता है।
- **संरचना**- एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य (नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा)
- **कार्यकाल**- राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय, पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है।
- **योग्यता**- संविधान ने संसद को योग्यता और चयन विधि का निर्धारिण करने का अधिकार दिया है।
- **अध्यक्ष के लिए**- सार्वजनिक मामलों का अनुभवी
- **सदस्य**-
    1. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति
    2. भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञानी।
    3. प्रशासन और वित्तीय मामलों का अनुभवी हो।
    4. अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो।
- **कार्य** - राष्ट्रपति को निम्नलिखित सिफारिश **(अनुच्छेद 281)** देता है-
    1. संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन।
    2. भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धान्त।
    3. राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर नगरपालिका एवं पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय।
    4. राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर सलाह
- वित्त आयोग अपनी **रिपोर्ट राष्ट्रपति** को सौंपता है।
- इसकी सिफारिशों की **प्रकृति सलाहकारी** होती है और इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है।

अब तक गठित वित्त आयोग

वित्त आयोग	नियुक्ति वर्ष	अध्यक्ष	अवधि
पहला	1951 ई०	के०सी० नियोगी	1952-1957
दूसरा	1956 ई०	के० संथानम	1957-1962
तीसरा	1960 ई०	ए०के० चन्दा	1962-1966
चौथा	1964 ई०	डॉ० पी०वी० राजमन्नार	1966-1969
पांचवाँ	1968 ई०	महावीर त्यागी	1969-1974
छठा	1972 ई०	पी० ब्रह्मानन्द रेड्डी	1974-1979
सातवाँ	1977 ई०	जे०एम० सेलात	1979-1984
आठवाँ	1982 ई०	वाई०पी० चह्वान	1984-1989
नौवाँ	1997 ई०	एन०के०पी० साल्वे	1989-1995
दसवाँ	1992 ई०	के०सी० पन्त	1995-2000
ग्यारहवाँ	1998 ई०	प्रो० ए०एम० खुसरो	2000-2005
बारहवाँ	2002 ई०	डॉ० सी० रंगराजन	2005-2010
तेरहवाँ	2007 ई०	डॉ० विजय एल० केलकर	2010-2015
चौदहवाँ	2013 ई०	वाई०वी० रेड्डी	2015-2020
पन्द्रहवाँ	**2017 ई०**	**एन०के० सिंह**	**2020-2021 तथा 2021-2025**

संघ लोक सेवा आयोग

(भाग-14, अनुच्छेद 315-323)

- **नियुक्ति**- राष्ट्रपति द्वारा
- **संरचना**- एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य
- **सदस्य संख्या**- संविधान में उल्लेख नहीं, राष्ट्रपति आयोग की संरचना का निर्धारण करता है।
- **योग्यता**- संविधान में उल्लेख नहीं। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव रखते हों।
- संविधान में **राष्ट्रपति** को अध्यक्ष तथा सदस्यों को सेवा की **शर्तें निर्धारित करने का अधिकार** दिया है।
- **कार्यकाल** - पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु।
- **त्यागपत्र**- राष्ट्रपति को
- **निष्कासन की शर्तें** - दीवालिया घोषित होने, कर्तव्य के बाहर किसी अन्य वेतन नियोजन में कार्यरत होने पर, मानसिक या शारीरिक क्षमता के आधार पर तथा साबित कदाचार के मामले में। **(सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद)**
- **कार्य** - भारत का केन्द्रीय भर्ती अभिकरण या संस्थान

संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग

- यह एक **सांविधिक निकाय** है न कि संवैधानिक
- दो या दो से अधिक राज्यों के लिए
- **गठन**- राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा
- **नियुक्ति**- राष्ट्रपति द्वारा
- **कार्यकाल** - 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष।
- **त्यागपत्र**- राष्ट्रपति को (राष्ट्रपति बर्खास्त भी कर सकता है।)
- आयोग की **संख्या और सेवा की शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करता है।**
- आयोग वार्षिक **रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल** को सौंपता है।

राज्य लोक सेवा आयोग

(भाग-14, अनुच्छेद 315-323)

- **नियुक्ति**- संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा
- **संरचना**- एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य
- **सदस्य संख्या**- संविधान में उल्लेख नहीं, राज्यपाल आयोग की संरचना का निर्धारण करता है।
- **योग्यता**- संविधान में उल्लेख नहीं। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव रखते हों।
- संविधान में **राज्यपाल** को अध्यक्ष तथा सदस्यों को सेवा की **शर्तें निर्धारित करने का अधिकार** दिया है।
- **कार्यकाल** - पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु।
- **त्यागपत्र**- राज्यपाल को
- **निष्कासन की शर्तें** - दीवालिया घोषित होने, कर्तव्य के बाहर किसी अन्य वेतन नियोजन में कार्यरत होने पर, मानसिक या शारीरिक क्षमता के आधार पर तथा साबित कदाचार के मामले में। (सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद)
- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, राज्यपाल नहीं।
- **कार्य** - राज्य की सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाओं आयोजन

नोट

1. भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार वर्ष 1926 में **केन्द्रीय लोक सेवा आयोग** का गठन किया।
2. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार न केवल **संघ लोक सेवा आयोग** बल्कि **प्रांतीय तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग** के गठन का प्रावधान किया गया।

जीएसटी काउंसिल (अनुच्छेद 279A)

- **101वां संविधान संशोधन अधिनियम** द्वारा गठित
- इसका **सचिवालय दिल्ली** में है।
- **पदेन सचिव** – केन्द्रीय राजस्व सचिव
- **दृष्टि**– काउंसिल के कामकाज में सहकारी संघ के उच्च मानकों को स्थापित करना।
- **संरचना**– केन्द्रीय वित्त मंत्री **(अध्यक्ष)**, राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केन्द्रीय राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य के मंत्री।
- क्षेत्री उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष काउंसिल की प्रत्येक बैठक में **स्थायी आमंत्रित सदस्य** के रूप में शामिल होते हैं। (मतदान का अधिकार नहीं)
- **कामकाज**– काउंसिल के कुल सदस्यों की आधी संख्या प्रत्येक बैठक के लिए फोरम के रूप में अनिवार्य है तथा प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के **3/4 बहुमत** से लिया जाता है।

परिसीमन आयोग

- प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा **अनुच्छेद 82** के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है।
- परिसीमन अधिनियम लागू होने के बाद **राष्ट्रपति द्वारा आयोग की नियुक्ति** की जाती है।
- **संरचना**– सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश **(अध्यक्ष)**, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या इनके द्वारा नामित अन्य निर्वाचन आयुक्त तथा संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त
- **1952, 1962, 1973 और 2002** में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था।
- परिसीमन आयोग के **आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं** दी जा सकती।
- **कार्य** – लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन एवं पुन: समायोजन करना।

अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (अनुच्छेद 338)

- यह एक **संवैधानिक निकाय** है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है।
- **अनुच्छेद 338**– मूलत: यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एव जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है।
- 1990 में सरकार ने 65वां संशोधन के माध्यम से इनके लिए एक बहुसदस्यीय एससी/एसटी आयोग की स्थापना की।
- **संरचना**– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य
- **नियुक्ति**– राष्ट्रपति द्वारा
- राष्ट्रपति इनकी सेवा शर्ते एवं कार्यकाल निर्धारित करते हैं। वर्तमान में कार्यकाल **पदभार ग्रहण की तिथि से तीन वर्षों तक** होता है।
- **वार्षिक रिपोर्ट– राष्ट्रपति** को
- वर्ष **2003 के 89वें संविधान संशोधन** द्वारा राष्ट्रीय आयोग को दो भागों विभाजित किया गया–
  राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338)
  राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338क)
- एससी/एसटी आयोग के **प्रथम अध्यक्ष** – एस०एच० रामधन (1992–1995)
- **वर्तमान अध्यक्ष** – विजय सांपला

अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (अनुच्छेद 338क)

- वर्ष 2004 से यह आयोग अस्तित्व में आया।
- **संरचना**– एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य सदस्य
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति एवं सेवा शर्ते तथा कार्यकाल का निर्धारण।
- **कामकाज**– अनुसूचित जनजातियों एवं उनके अधिकारों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण तथा उनका निगरानी एवं उनका मूल्यांकन।
- **2004 से** – प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह
- **वर्तमान अध्यक्ष** – हर्ष चौहान (2021)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग)

- **अनुच्छेद 148**– कैग स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
- **अन्य नाम** – महालेखा परीक्षक, भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया, **लोक वित्त का संरक्षक,** देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक।
- **डॉ० अंबेडकर** ने कैग को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना है।
- **नियुक्ति**– राष्ट्रपति द्वारा
- **कार्यकाल**– 6 वर्ष या 65 वर्ष
- कैग को उसके पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है।
- कैग सेवा निवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता।
- यह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है।
- कैग संसद की लोक लेखा समिति के गाईड मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

प्रथम कैग– **वी० नरहरि राव** (1948–1954)

वर्तमान (14)– **गिरीश चन्द्र मुर्मू** (2020 से अब तक)

नीति आयोग

NITI- National Institution for Transforming India

- यह केन्द्रीय मंत्रिमंडल के **कार्यकालीय संकल्प** द्वारा सृजित निकाय है (न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक)
- **गठन** – 1 जनवरी, 2015 (योजना आयोग के स्थान पर गठित)
- यह भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष **'थिंक टैंक'** है।
- **शाखाएँ**– शोध शाखा, परामर्शदात्री शाखा, **टीम इंडिया शाखा**
- **संलग्न कार्यालय** – National Institute of Labour Economics Research & Development, **Development Monitoring and Evaluation Office.**

गैर संवैधानिक निकाय

योजना आयोग

- 1946 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड (अध्यक्ष के०सी० नियोगी) की सिफारिश के आधार पर गठन।
- यह संविधानेत्तर एवं परामर्शदात्री संस्था थी। (न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक)

गठन

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा
- गठन तिथि– 15 मार्च, 1950
- **संरचना– पदेन अध्यक्ष** – भारत का प्रधानमंत्री

  कार्य– पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण एवं राज्यों को वित्त आवंटन
- **प्रथम अध्यक्ष**– जवाहरलाल नेहरू
- **प्रथम उपाध्यक्ष**– गुलजारी लाल नंदा
- **मुख्य कार्य**– भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण

संरचना (सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर)

- ♦ **पदेन अध्यक्ष**– भारत का प्रधानमंत्री
- ♦ **उपाध्यक्ष का दर्जा**– भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान।
- ♦ **शासकी परिषद**– सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, UTs के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल।
- ♦ **पदेन सदस्य**– प्रधानमंत्री द्वारा नामित केन्द्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम चार सदस्य
- ♦ **मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी**– प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त

- **प्रथम उपाध्यक्ष** – अरविंद पनगड़िया
- **वर्तमान उपाध्यक्ष**– डॉ. सुमन बेरी
- **वर्तमान C.E.O** – परमेश्वर अय्यर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

- **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अन्तर्गत 12 अक्टूबर, 1993 को गठित एक सांविधिक संस्था है।** यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है।
- **संरचना**– एक अध्यक्ष व सात सदस्य
- **नियुक्ति**– राष्ट्रपति द्वारा (प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर)
- **कार्यकाल**– 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष, जो भी पहले हो।
- **अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस**– 10 दिसम्बर
- **1993 का अधिनियम** सभी राज्य सरकारों को ही राज्य मानवाधिकार आयोग बनाने का अधिकार देता है।
- यह आयोग 1991 में पेरिस में संपन्न 'मानवाधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों' पर आयोजित पहली अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला **(पेरिस सिद्धांत)** के अनुरूप गठित किया गया है।)

भूमिका –

1. आयोग का कार्य वस्तुत**: सिफारिश या सलाहकार** का होता है।
2. यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच स्वप्रेरणा या न्यायालय के आदेश से करता है।
3. यह जेलों और बंदी गृहों में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन कर सकता है।
4. यह न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है।
5. यह मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता, न ही पीड़ित को आर्थिक सहायता दे सकता है।
6. आयोग को किसी **ऐसे मामले की जाँच की शक्ति नहीं है जिसे घटित हुए एक वर्ष से अधिक हो गया हो।**
7. सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन पर आयोग की शक्तियाँ सीमित हैं।
8. आयोग अपनी वार्षिक **रिपोर्ट केन्द्र सरकार व संबंधित राज्य सरकार को भेजता है।**

केन्द्रीय सूचना आयोग

- **स्थापना**– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन।
- यह **संवैधानिक निकाय नहीं है।**
- **संरचना**– 2019 के संशोधन के बाद आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त हैं।
- **नियुक्ति**– राष्ट्रपति द्वारा (प्रधानमंत्री की अध्यक्षता, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री वाली समिति की सिफारिश पर)
- **क्षेत्राधिकार**– सभी केन्द्रीय लोक प्राधिकरणों तक
- **कार्यकाल**– ऐसी अवधि जिसे केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो अथवा 65 वर्ष की आयु तक।
- इसके **सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं**
- **भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त**– वजाहत हबीबुल्लाह (अक्टूबर 2005–सितम्बर 2010)
- **वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त** – यशवर्द्धन कुमार सिन्हा (नवम्बर 2020 से अब तक)
- आयोग अपना **वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को प्रस्तुत** करता है, जो इसे संसद के पटल पर रखती है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

- इसका गठन फरवरी 1964 में **के० संथानम समिति की सिफारिश** पर केन्द्र सरकार के प्रस्ताव द्वारा हुआ।
- सितम्बर **2003 में** संसद द्वारा पारित विधि द्वारा **संवैधानिक दर्जा** दिया गया।
- **कार्य**- केन्द्र सरकार के अन्तर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी तथा भ्रष्टाचार रोकना।
- यह किसी भी कार्यकारी प्राधिकार के नियंत्रण से मुक्त है तथा एक **स्वतंत्र निकाय के रूप में केवल संसद के प्रति उत्तरदायी** है।
- **संरचना**- एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) व दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त।
- **नियुक्ति** - राष्ट्रपति द्वारा (प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं केन्द्रीय गृह मंत्री की समिति की सिफारिश पर)
- **कार्यकाल**- 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष
- **कार्यकाल के पश्चात् पुनर्नियुक्ति नहीं।**
- **राष्ट्रपति** आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके दुराचरण एवं अक्षमता के आधार पर **हटा सकते हैं।** (सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर)
- **वेतन एवं भत्ते** - संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के समान।
- आयोग सीबीआई या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से मामले की जाँच कराता है।
- यह लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों द्वारा **भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988** के तहत किए गए भ्रष्टाचारों की जाँच कराने की शक्ति रखता है।
- **CVC का अधिकार क्षेत्र**

  केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 तथा सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 इसे जाँच की शक्तियाँ प्रदान करते हैं।
- सीबीआई के निदेशक और इसके एस.पी. रैंक के अधिकारियों के चयन के लिए स्थापित समिति का अध्यक्ष मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)

- **1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा स्थापित** तथा बाद इसे कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया।
- इसकी स्थापना की **अनुशंसा संथानम आयोग** ने की थी।
- यह **कोई वैधानिक संस्था नहीं** है। इसे शक्ति **दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946** से मिलती है।
- **भूमिका**- शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखना।
- **संरचना**- इसका निदेशक सीबीआई का प्रमुख होता है।
- सीवीसी अधिनियम 2003 **सीबीआई निदेशक** के लिए **दो वर्ष के निश्चित कार्यकाल** की सुरक्षा प्रदान करता है।
- सीबीआई निदेशक की **नियुक्ति**- तीन सदस्यीय समिति (अध्यक्ष प्रधानमंत्री, सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश)

लोकपाल (ओम्बुड्समैन)

- स्वीडिश शब्द ओम्बुड्समैन का अर्थ है **लोगों का प्रतिनिधि।**
- **भारत में ओम्बुड्समैन को लोकपाल के नाम से जाना जाता है।**
- ओम्बुड्समैन संस्था **पहली बार 1809 में स्वीडन में** गठित की गई।
- ओम्बुड्समैन का आशय ऐसे पदाधिकारी से है जो कि विधायिका द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यवाई दोनों के खिलाफ परिवादों के निवारण के लिए नियुक्त किया जाता है।

भारत में स्थिति–

- **'लोकपाल'** नाम सर्वप्रथम 1963 में **एल०एम० सिंघवी** द्वारा दिया गया।
- वर्ष 1966 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने केन्द्र में लोकपाल तथा राज्यों लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी।
- **लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013** (1 जनवरी, 2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत) के तहत सर्वप्रथम लोकायुक्त को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- **भारत के पहले लोकपाल–** पिनाकी चन्द्रघोष (मार्च 2019 में लोकपाल संस्था का गठन होने पर)
- 2013 के कानून के अनुसार लोकपाल संस्था की संरचना–
  - ♦ एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य होंगे जिनमें 50% सदस्य न्यायिक सेवा से।
  - ♦ लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के बीच से होंगे।
- **लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु चयन समिति**

  अध्यक्ष– प्रधानमंत्री

  सदस्य– लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विख्यात विधिवेत्ता और भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश
- **लोकपाल का कार्यकाल** – अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
- **वेतन भत्ता–** भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान
- **शपथ** – राष्ट्रपति द्वारा

  नोटः 1. लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य ओडिशा है। (1970)

  2. लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है।

  3. लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह– ए, बी, सी और डी अधिकारी तथा केन्द्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग

- एक **वैधानिक निकाय** के रूप में इसकी **स्थापना 31 जनवरी, 1992** को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई।
- **मूल उद्देश्य–** महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।
- **प्रथम अध्यक्ष– जयंती पटनायक,** वर्तमान अध्यक्ष **रेखा शर्मा** (अगस्त 2018 से अब तक)

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए)

- **गठन**– राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत **वर्ष 2009 में** हुआ।
- **मुख्यालय**– नई दिल्ली में है।
- **संरचना**– यह एक महानिदेशक के अधीन काम करता है जिसकी नियुक्ति सरकार करती है।
- एन.आई.ए. गृह मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करता है।
- **कार्य**–
  1. भारत की संप्रभुता, सुरक्षा एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रभावित करने वाले अपराध।
  2. परमाणु प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अपराध एवं नकली भारतीय मुद्राओं की तस्करी।
  3. देश में आतंकवाद का मुकाबला करना।
  4. प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण एवं बिक्री की जाँच
- **क्षेत्राधिकार**– एनआईए को **पूरे देश में और देश के बाहर भारत विरोधी अपराधों की जाँच की शक्ति प्राप्त है।**

प्रमुख संविधान संशोधन (10 अप्रैल, 2022 तक कुल 105 संशोधन हुए हैं)

- **प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951** – **पंडित नेहरू** के शासनकाल में संविधान में **नौंवी अनुसूची** को जोड़ा गया। जिसमें उल्लिखित विषयों को सुप्रीम कोर्ट की **न्यायिक समीक्षा** की शक्ति से बाहर रखा गया।
- **5वां संशोधन अधिनियम, 1955**– राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केन्द्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य विधानमंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई।
- **7वां संशोधन अधिनियम, 1956**– **भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन** किया गया तथा पहले की तीन श्रेणियों को समाप्त कर **14 राज्यों एवं 6 केन्द्रशासित प्रदेशों** में विभाजित किया गया।
- **नौंवा संशोधन अधिनियम, 1960**– संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके **बेरूबाड़ी** , **खुलना** क्षेत्र पाकिस्तान को दिए गए (**1958 की संधि** के अनुसार)।
- **10वां संशोधन अधिनियम, 1961**– **दादरा और नागर हवेली** (भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्र) को भारतीय संघ (UTs के रूप में) में जोड़ा गया।
- **11वां संशोधन अधिनियम, 1961**– राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु **निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं** दी जा सकती है।
- **12वां संशोधन अधिनियम, 1962**– **गोवा, दमन और दीव** भारतीय संघ में शामिल।
- **13वां संशोधन अधिनियम, 1962**– **नागालैंड** को राज्य का दर्जा दिया गया।
- **18वां संशोधन अधिनियम, 1966**– भाषा के आधार पर **पंजाब** और **हरियाणा** का गठन। **चंडीगढ़** को केन्द्रशासित प्रदेश बनाया गया।
- **21वां संशोधन अधिनियम, 1967**– **सिंधी भाषा** को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

- **22वां संशोधन अधिनियम, 1969–** असम से अलग करके **एक नया राज्य मेघालय** बनाया गया।
- **24वां संशोधन अधिनियम, 1971– संसद** संविधान के किसी भी हिस्से में **(मूल अधिकार में भी) संशोधन** कर सकती है तथा **राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना बाध्यकारी** होगा।
- **25वां संशोधन अधिनियम, 1971–** अनुच्छेद 39 (ख या ग) में वर्णित **निदेशक तत्वों** को प्रभावी बनाने के लिए अनुच्छेद **14, 19** और **31 के अधिकारों** के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- **26वां संशोधन अधिनियम, 1971–** भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की **उपाधियाँ एवं प्रिवी पर्स की समाप्ति।**
- **27वां संशोधन अधिनियम, 1971 –** मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश को **केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा।**
- **31वां संशोधन अधिनियम, 1973–** लोक सभा सीटों की संख्या **525 से बढ़ाकर 545** किया गया।
- **36वां संशोधन अधिनियम, 1975–** भारतीय संघ में **सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा** प्रदान किया गया।
- **42वां संशोधन अधिनियम, 1976– प्रस्तावना** में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' तथा 'अखंडता' शब्द जोड़े गए। **भाग 4क** में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। **राष्ट्रपति** को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। **DPSP को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता** दी गई। संविधान को **न्यायिक परीक्षण से मुक्त** किया गया। **लोकसभा और विधानसभाओं** की अवधि 5 से बढ़ाकर **6 वर्ष** किया गया। वन, संपदा, शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण विषय को **समवर्ती सूची** में शामिल किया गया।
- **44वां संशोधन अधिनियम, 1978–** राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को **पुनर्विचार के लिए एक बार वापस** भेजने की शक्ति। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में 'आंतरिक अशांति' शब्द के स्थान पर **'सशस्त्र विद्रोह'** शब्द रखा गया। राष्ट्रपति **'कैबिनेट' की लिखित सिफारिश** पर ही अनुच्छेद 352 लागू करेगा। **संपत्ति के अधिकार** को मूल अधिकार के बजाय **विधिक अधिकार** का दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आपात के दौरान **अनुच्छेद 20 एवं 21** द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। लोकसभा तथा राज्यसभा की अवधि **पुनः 5 वर्ष** की गई।
- **52वां संशोधन अधिनियम, 1985– दल-बदल** के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था हेतु **दसवीं अनुसूची** को जोड़ा गया।
- **53वां संशोधन अधिनियम 1986–** अनुच्छेद **371जी** के तहत **मिजोरम** को राज्य का दर्जा।
- **55वां संशोधन अधिनियम, 1986 – हिमाचल प्रदेश** को राज्य का दर्जा।
- **56वां संशोधन अधिनियम, 1987– गोवा** को राज्य का दर्जा, **दमन और दीव** को केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया।
- **58वां संशोधन अधिनियम, 1987– संविधान का प्राधिकृत पाठ हिन्दी भाषा में उपलब्ध** कराने हेतु राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया।
- **61वां संशोधन अधिनियम, 1989–** मतदान के लिए **आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष।**
- **65वां संशोधन अधिनियम, 1990– अनुच्छेद 338** में संशोधन करके **एससी/एसटी आयोग का गठन।**
- **69वां संशोधन अधिनियम, 1991– दिल्ली-एनसीआर** की स्थापना तथा **दिल्ली विधान सभा** एवं मंत्रीपरिषद का उपबंध।
- **70वां संशोधन अधिनियम, 1992–** दिल्ली और पुदुचेरी विधान सभा सदस्यों को **राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल** में शामिल किया गया।

- **71वां संशोधन अधिनियम, 1992- कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली** 8वीं अनुसूची में शामिल।
- **73वां संशोधन अधिनियम, 1992-** संविधान में **भाग-9 तथा 11वीं अनुसूची** जोड़कर **पंचायतों** को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- **74वां संशोधन अधिनियम, 1992-** संविधान में भाग **9क तथा 12वीं** अनुसूची जोड़ कर **शहरी स्थानीय निकायों** को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- **76वां संशोधन अधिनियम, 1994-** तमिलनाडु सरकार द्वारा **सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण** के उपबंध को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया।
- **83वां संशोधन अधिनियम, 2000- अरूणाचल प्रदेश** में कोई भी **अनुसूचित जाति न होने** के कारण उसे पंचायती राज में इसके लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट।
- **84वां संशोधन अधिनियम, 2001-** लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए **(वर्ष 2026 तक) रोक।**
- **85वां संशोधन अधिनियम, 2001 -** एससी/एसटी को सरकारी सेवाओं में **पदोन्नति में आरक्षण।**
- **86वां संशोधन अधिनियम, 2002- प्रारंभिक शिक्षा** को **मूल अधिकार** का दर्जा। **अनुच्छेद 21(क)** के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। **अनुच्छेद 51(क)** के तहत इसी से संबंधित 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। **अनुच्छेद 45** की विषय-वस्तु बदली गई, जिसके तहत राज्य सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरीहोने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।
- **87वां संशोधन अधिनियम- 2003-** परिसीमन में जनसंख्या का आधार 2001 की जनगणना होगी।
- **89वां संशोधन अधिनियम, 2003- 338 (क)** के तहत एसटी आयोग का गठन।
- **91वां संशोधन अधिनियम, 2003-** दल-बदल कानून संशोधन कर **केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता, मंत्रिपरिषद के आकार** को सीमित किया गया, जो कि **लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत** से अधिक नहीं हो सकती। राज्य मंत्रिपरिषद में भी **विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत** से अधिक नहीं होगी तथा **12 की संख्या से कम नहीं** हो सकती।
- **92वां संशोधन अधिनियम, 2003 - बोड़ो, डोगरी, मैथिली और संथाली** को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया।
- **93 संशोधन अधिनियम, 2006 -** संविधान के अनुच्छेद 15 (धारा-4) के तहत शिक्षण संस्थानों में एससी/एसटी/ओबीसी को दाखिले के लिए सीटों में आरक्षण।
- **94वां संशोधन अधिनियम, 2006-** बिहार के बजाय झारखण्ड में एक **जनजातीय कल्याण मंत्री** की नियुक्ति का प्रावधान। (वर्तमान में **मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड** में जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त किए जाते हैं)।
- **97वां संशोधन अधिनियम, 2011- सहकारी समिति** बनाने का अधिकार **अनुच्छेद 19(1)(ग)** के तहत मौलिक अधिकार बन गया। नीति निदेशक तत्वों में **अनुच्छेद 43ख** शामिल तथा 'सहकारी समितिया- नाम का नया **भाग 9ख** जोड़ा गया
- **99वां संशोधन अधिनियम, 2014-** राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग **(NJAC)**।
- **100वां संशोधन अधिनियम, 2015-** भारत-बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण।

- **101वां संशोधन अधिनियम, 2017-** वस्तु एवं सेवा कर (**जीएसटी**)
- **102वां संशोधन अधिनियम, 2018-** अनुच्छेद 338ख द्वारा **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग** को संवैधानिक दर्जा।
- **103वां संशोधन अधिनियम, 2019-** सामान्य वर्ग के **गरीबों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण** की व्यवस्था।
- **104वां संशोधन अधिनियम, 2019-** लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में **अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि** तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा **आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन।**
- **105वां संशोधन अधिनियम, 2021-** आरक्षण हेतु **विभिन्न जातियों को ओबीसी श्रेणी में डालने का अधिकार राज्यों को भी दिया गया।**

न्यायपालिका

- भारतीय संविधान **एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका** की स्थापना करता है।
- भारत की न्याय व्यवस्था में **सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष** पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर **उच्च न्यायालय** हैं। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार **अधिनस्थ न्यायालय** हैं। जैसे- जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें।
- भारत में न्यायालयों का यह एकल तंत्र केन्द्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य कानूनों को भी लागू करता है। जबकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है।
- न्यायालय की यह एकल व्यवस्था **भारत सरकार अधिनियम 1935** से ग्रहण की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय (स्थापना एवं गठन - अनुच्छेद 124)

- **संवैधानिक प्रावधान-** भाग-5, अनुच्छेद 124-147
- भारत के उच्चतम न्यायालय का **गठन 26 जनवरी** एवं **उद्घाटन 28 जनवरी, 1950** को किया गया।
- **विनियमन-** संसद इसके लिए अधिकृत है।
- **संरचना-** 34 न्यायाधीश (एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश) (सीट बढ़ाने का अधिकार संसद को है।)
- **नियुक्ति-** राष्ट्रपति द्वारा (कोलेजियम की सलाह पर)
- **अर्हताएँ -** सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित अर्हताएँ होनी चाहिए-
  1. भारत का नागरिक हो
  2. किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न उच्च न्यायालयों का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश रहा हो।
  3. उच्च न्यायालय या विभिन्न उच्च न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक लगातार वकील होना चाहिए।
  4. राष्ट्रपति के मत में उसे **सम्मानित न्यायविद** होना चाहिए।
- **नोट-** संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए **न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं** है।

- **शपथ**- राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने।
- **वेतन - संसद द्वारा समय-समय पर निर्धारित,** (मुख्य न्यायधीश को प्रति माह 2.80 लाख तथा अन्य न्यायाधीशों को 2.50 लाख रुपये मिलते हैं तथा पेंशन कार्यकाल के अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित।) **(अनुच्छेद 125)**
- **कार्यकाल**- संविधान में न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं। **(अधिकतम उम्र- 65 वर्ष)**
- **निष्कासन** -

  1. राष्ट्रपति को संबोधित करके

  2. संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा (दुर्व्यवहार एवं सिद्ध कदाचार के आधार पर)। हटाने के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत (कुल सदस्यता का बहुमत, सदन के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3) से पास करना होगा।

  नोट-1: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध न्यायाधीश जाँच अधिनियम 1968 में किया गया है।

  नोट-2: सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश - (अनुच्छेद 126) नियुक्ति-130 राष्ट्रपति द्वारा

- ♦ **परिस्थिति** - मुख्य न्याधीश का पद रिक्त हो, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तथा वे अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हों।
- **तदर्थ न्यायाधीश**- भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। (संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद) - **अनुच्छेद 127**

  अर्हता- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान
- **उच्चतम न्यायालय का स्थान** - संविधान द्वारा तय जगह दिल्ली है लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश को स्थान परिवर्तन एवं निर्धारण का अधिकार है। (यह व्यवस्था वैकल्पिक है)
- **प्रक्रिया - सुप्रीम कोर्ट** राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया एवं संचालन हेतु नियम बना सकता है।

कोलेजियम प्रणाली

- इसका **संविधान में उल्लेख नहीं** है बल्कि वर्ष **1993 में कोलेजियम प्रणाली नामक तंत्र की स्थापना** सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रसिद्ध 'न्यायाधीश मामले' के बाद की गई।
- कोलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों (सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट) की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है। जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा एवं इसमें न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। **(तीसरा न्यायिक मामला 1998)**
- कोलेजियम की सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी जाती हैं और उनकी मंजूरी के बाद ही नियुक्ति होती है।
- उच्च न्यायालय में कोलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश एवं उस न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।
- **99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014** तथा न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 द्वारा कोलेजियम प्रणाली को NJAC द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। हालांकि **वर्ष 2015 (फोर्थ जजेज केस)** में सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है।

उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ

- सर्वोच्च न्यायालय देश में नागरिकों के **मूल अधिकारों का गारंटर एवं संविधान का अभिभावक है।**
- यह भारतीय **संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता भी है।**
- अमेरिकी उच्च न्यायालय की तरह यह न केवल संघीय न्यायालय है बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्डस की तरह अपील का अंतिम न्यायालय है।
- **अल्लादी कृष्ण अय्यर-** भारत के उच्चतम न्यायालय को विश्व के किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ज्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं।

1. मूल क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131)

- संघीय विवाद पर उच्चतम न्यायालय में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित हैं अर्थात् **किसी अन्य न्यायालय को विवादों के निपटाने में इस तरह की शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं।**

इसमें शामिल विवाद-

- केन्द्र व एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद
- केन्द्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना।
- दो या अधिक राज्यों के बीच

2. मौलिक अधिकारों का संरक्षण (न्यायादेश क्षेत्राधिकार)

- नागरिकों के **मौलिक अधिकारों का रक्षक** होने के नाते सुप्रीम कोर्ट **अनुच्छेद 32** के अन्तर्गत **पांच प्रकार के रिट** जारी कर सकता है।
- रिट याचिकाएँ- **बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार पृच्छा।**
- हालांकि न्यायादेश न्यायक्षेत्र के मामले में **यह उच्चतम न्यायालय का विशेषाधिकार नहीं है। इस तरह का अधिकार उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है।**

3. अपीलीय क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 132-136)

- सुप्रीम कोर्ट देश का **सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है।**

इसे भारत के सभी निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई का अधिकार। इसके अन्तर्गत संवैधानिक, दीवानी मामले, आपराधिक मामले और विशेष अनुमति संबंधी अपील सुनी जाती है।

नोटः 1. सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश- **फातिमा बीबी** (अक्टूबर 1989)
2. किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश- **लीला सेठ** (दिल्ली 1991)
3. भारत की प्रथम महिला जज - **अन्ना चांडी** (1937)

4. परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार

- **अनुच्छेद 143** के तहत, राष्ट्रपति दो श्रेणियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श माँग सकता है–
  1. **सार्वजनिक महत्व के विवादों पर**– इसमें कोर्ट अपना **मत दे भी सकता है और इंकार भी कर सकता है।**
  2. **किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता एवं प्रसंविदा आदि मामले**– इसमें उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति को अपना **मत देना अनिवार्य** है।
- उपर्युक्त दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट का **मत सिर्फ सलाहकारी** होता है। **राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं।**

5. अभिलेखीय न्यायालय

- **अनुच्छेद 129**– सुप्रीम कोर्ट को **एक अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान** करता है।
- अर्थात् उच्च न्यायालय की **कार्यवाही एवं उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे** और इनकी प्रमाणिकता विषय में प्रश्न नहीं किए जाएंगे। **(अनुच्छेद 141)**
- अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है।
- **न्यायालय की अवमानना**– संविधान द्वारा परिभाषित नहीं। न्यायिक अवमानना एक्ट 1971 में परिभाषित।
  - ♦ यह सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार की हो सकती है।
  - ♦ 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि न्यायालय की अवमानना पर दंड देने की शक्ति न केवल उच्च्तम न्यायालय बल्कि उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों एवं पंचाटों को भी प्राप्त है।

6. न्यायिक समीक्षा की शक्ति

- **अनुच्छेद 137**– इसके तहत सुप्रीम कोर्ट केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर **विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जाँच** कर सकता है तथा उल्लंघन की स्थिति में इन्हें **गैर-विधिक, गैर-संवैधानिक और अवैध (शून्य) घोषित कर सकता है।** तद्उपरांत इन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता।

महत्वपूर्ण तथ्य

1. **सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी पीठ/बेंच**– केशवानंद भारती वाद 1973 (13 न्यायाधीश)
2. **जनहित याचिका (PIL) के भारत में जनक**– पी.एन. भगवती (शुरुआत 1979)
3. **जनहित याचिका की माता**– पुष्पा कपिला हिंगोरानी
4. **उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों की भाषा**– अंग्रेजी
5. **सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज किसी अन्य कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते।**

नोट:

1. भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश– **हीरालाल जे. कानिया** (1950–1951)
2. भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश– **डी. वाई. चन्द्रचूड़** (50वें मुख्य न्यायाधीश)

लोक अदालत

1. यह **वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली** के घटकों में से एक है जो आम लोगों को सस्ता, अनौपचारिक और शीघ्र न्याय प्रदान करता है।
2. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम **(नालसा), 1987 के तहत लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दिया।**
3. **पहला लोक अदालत शिविर** - 1982 में गुजरात में
4. लोक अदालत के **निर्णय अंतिम होते हैं** तथा इनके निर्णयों के विरुद्ध **किसी भी कोर्ट में अपील नहीं** की जा सकती।
5. लोक अदालत के पास वही शक्तियों होंगी जो **सिविल प्रक्रिया संहित (1908)** के तहत एक सिविल कोर्ट में निहित होती है।

नोट- NALSA का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 9 नवम्बर, 1995 को किया गया।

उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 214)

1. संविधान के **भाग-6 में अनुच्छेद 214-231** तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ और प्रक्रिया का वर्णन है।
2. राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है।
3. भारत के उच्च न्यायालय संस्था **सर्वप्रथम गठन- 1862** (कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय)
4. **7वें संशोधन अधिनियम 1956** में **संसद को अधिकार** दिया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। **(अनुच्छेद 231)**
5. वर्तमान में **देश भर में 25 उच्च न्यायालय** हैं।
6. **संरचना-** हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। इसलिए आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति तय करते हैं।
7. **नियुक्ति** -
   - न्यायाधीशों की नियुक्ति **राष्ट्रपति द्वारा** हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाशीश से परामर्श लेकर
   - मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श पर।
   - दो या अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति पर राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से भी परामर्श करता है।
8. **योग्यताएँ-**
   - भारत का नागरिक हो
   - उसे भारत के न्यायिक क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव हो अथवा
   - वह उच्च न्यायालय (या न्यायालयों) में **लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता** रह चुका हो।

नोटः

1. **संविधान में** उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए **कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं** की गई है।
2. **संविधान में** सुप्रीम कोर्ट के विपरीत **प्रख्यात न्यायविदों** को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश **नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं** है।

9. **शपथ- राज्यपाल** या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के समक्ष
10. **वेतन** - संसद द्वारा समय-समय पर निर्धारित (**वर्तमान** में 2.5 लाख रुपये- मुख्य न्यायाधीश, 2.28 लाख अन्य न्यायाधीश)
11. **कार्यकाल**- संविधान में **कार्यकाल निर्धारित नहीं, अधिकतम आयु 62 वर्ष।**
12. **त्यागपत्र**- राष्ट्रपति को (राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर उच्च न्यायालय के जजो को हटा सकता है।)
13. **स्थानांतरण**- भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा।
14. **कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश**- नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
15. उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश **अन्य न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है।**
16. उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। इसके **निर्णयों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील** हो सकती है।
17. हाईकोर्ट का **रिट क्षेत्राधिकारी उच्चतम न्यायालय से ज्यादा विस्तारित है** क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी आदेश दे सकता है। जबकि हाई कोर्ट अन्य प्रयोजनों के लिए (जैसे एक सामान्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर)
18. राज्यपाल **जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति,** तैनाती और पदोन्नति एवं व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीशों से अलग) में नियुक्ति में **उच्च न्यायालय से परामर्श** लेता है।
19. उच्च न्यायालय राज्य विधान मंडल व केन्द्र सरकार के अधिनियमों और कार्यकारी **आदेशों की संवैधानिकता का परीक्षण** कर सकता है।
20. सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट को भी अभिलेख न्यायालय के रूप में शक्ति प्राप्त है और अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में रखा जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यवाही के समय इन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।

नोट: 1. वर्तमान में **तीन ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता में एक से अधिक राज्य** आते हैं-

- **बंबई हाईकोर्ट**- महाराष्ट्र, गोवा
- **गुवाहाटी हाईकोर्ट**- असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरूणाचल प्रदेश
- **पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट**- पंजाब और हरियाणा।

नोट : 2- देश में **पांच ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके अधीन राज्य के अलावा केन्द्र शासित प्रदेश भी आते हैं-**

(i) बंबई हाईकोर्ट - दादर और नागर हवेली

(ii) कलकत्ता हाई कोर्ट - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

(iii) केरल हाईकोर्ट - लक्षद्वीप

(iv) मद्रास हाईकोर्ट - पुडुचेरी

(v) पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट - चंडीगढ़

उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र एवं नाम				
क्रम	**नाम**	**स्थापना का वर्ष**	**न्यायिक क्षेत्र**	**सीट**
1.	इलाहाबाद	1886	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद (लखनऊ में बेंच)
2.	आन्ध्र प्रदेश	2019	आन्ध्र प्रदेश	अमरावती
3.	बंबई	1862	**महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नागर हवेली**	मुंबई (नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में खंडपीठ)
4.	कलकत्ता	1862	**पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह**	कोलकाता (पोर्ट ब्लेयर में भ्रमणकारी खंडपीठ)
5.	छत्तीसगढ़	2000	छत्तीसगढ़	बिलासपुर
6.	दिल्ली	1966	**दिल्ली**	दिल्ली
7.	गुवाहाटी	1948	**असम, नागालैंड, मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश**	गुवाहाटी (कोहिमा, आइजॉल और इटानगर में खंडपीठ
8.	गुजरात	1960	गुजरात	अहमदाबाद
9.	हिमाचल प्रदेश	1971	हिमाचल प्रदेश	शिमला
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1928	**जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख**	श्रीनगर और जम्मू
11.	झारखंड	2000	झारखंड	रांची
12.	कर्नाटक	1884	कर्नाटक	बंगलुरु
13.	केरल	1956	**केरल और लक्षद्वीप**	एर्णाकुलम
14.	मध्य प्रदेश	1956	मध्य प्रदेश	जबलपुर (इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ)
15.	मद्रास	1862	**तमिलनाडु और पुडुचेरी**	चेन्नई
16.	मणिपुर	2013	मणिपुर	इम्फाल
17.	मेघालय	2013	मेघालय	शिलांग
18.	उड़ीसा	1948	ओडिशा	कटक
19.	पटना	1916	बिहार	पटना
20.	पंजाब और हरियाणा	1875	**पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़**	चंडीगढ़
21.	राजस्थान	1949	राजस्थान	जोधपुर (जयपुर में खंडपीठ)
22.	सिक्किम	1975	सिक्किम	गंगटोक
23.	तेलंगाना	1954	तेलंगाना	हैदराबाद
24.	त्रिपुरा	2013	त्रिपुरा	अगरतला
25.	उत्तराखण्ड	2000	उत्तराखण्ड	नैनीताल

यूपीपीसीएस में विगत वर्षों (2015–2022) में पूछे गए प्रश्न

2015

1. निम्नलिखित में से कौन-सा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से सम्बन्धित है?
   (a) लिली थॉमस बनाम भारत संघ
   (b) नन्दिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य
   (c) नमित शर्मा बनाम भारत संघ
   (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

2. निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अन्तर्गत मौलिक कर्त्तव्यों में सम्मिलित नहीं है?
   (a) देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना।
   (b) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना।
   (c) ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना।
   (d) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना।

3. संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा?
   (a) अनुच्छेद–99
   (b) अनुच्छेद–103
   (c) अनुच्छेद–100
   (d) अनुच्छेद–102

4. संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है?
   (a) सर्वोच्च न्यायालय
   (b) संसद
   (c) राज्य विधान मण्डल
   (d) क्षेत्रीय परिषदें

5. भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उप–राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है?
   (a) भारत में प्रधान न्यायाधीश
   (b) प्रधानमंत्री
   (c) लोकसभा के अध्यक्ष
   (d) भारत के महान्यायवादी

6. निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए-
   कथन (A) : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो।
   कारण (R) : उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयुपर्यांत पर (जो भी पहले हो) धारित करता है।
   कूट :
   (a) A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
   (b) A और R दोनों सही हैं, किन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
   (c) A सही है, किन्तु R गलत है।
   (d) A गलत है, किन्तु R सही है।

7. निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए-
   कथन (A) : राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है।
   कारण (R) : ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है।
   कूट :
   (a) A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
   (b) A और R दोनों सही हैं, किन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
   (c) A सही है, किन्तु R गलत है।
   (d) A गलत है, किन्तु R सही है।

GS World Committed To Excellence

8. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है?
(a) परमादेश
(b) अधिकार-पृच्छा
(c) बन्दी-प्रत्यक्षीकरण
(d) प्रतिषेध

9. निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए-
कथन (A) : भारत में लिखित संविधान है।
कारण (R) : शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है।
कूट :
(a) A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(b) A और R दोनों सही हैं, किन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(c) A सही है, किन्तु R गलत है।
(d) A गलत है, किन्तु R सही है।

10. अनुच्छेद-108 के अन्तर्गत लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है-
(a) राष्ट्रपति द्वारा
(b) लोक सभा स्पीकर द्वारा
(c) प्रधानमंत्री द्वारा
(d) राज्य सभा के अध्यक्ष द्वारा

11. संविधान के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं?
(a) विधि के समक्ष समान्ता
(b) विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
(c) जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण
(d) धर्माचरण की स्वतंत्रता

12. निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धान्त की रुपरेखा प्रतिपादित की?
(a) गोपालन बनाम मद्रास राज्य
(b) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
(c) केशवनानन्द भारती बनाम केरल राज्य
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

13. भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है?
(a) अनुच्छेद-53
(b) अनुच्छेद-61
(c) अनुच्छेद-74
(d) अनुच्छेद-13

14. निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है?
(a) केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा
(b) पूर्ण रुप से लिखित संविधान
(c) एकहरी नागरिकता
(d) स्वतंत्र न्यायापालिका

15. निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी?
(a) महाराष्ट्र
(b) उत्तर प्रदेश
(c) बिहार
(d) ओडिशा

16. संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोक सभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है?
(a) 91वां संशोधन
(b) 92वां संशोधन
(c) 90वां संशोधन
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

17. भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन-सा है?
(a) मौलिक अधिकार
(b) संवैधानिक अधिकार
(c) प्राकृतिक अधिकार
(d) वैधानिक अधिकार

18. लोक सभा में एंग्लो-इण्डियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है-
(a) अनुच्छेद-331 द्वारा
(b) अनुच्छेद-221 द्वारा
(c) अनुच्छेद-121 द्वारा
(d) अनुच्छेद-139 द्वारा

19. भारतीय संसद में शामिल है
(a) केवल लोक सभा
(b) केवल राज्य सभा
(c) केवल लोक सभा एवं राज्य सभा
(d) लोक सभा, राज्य सभा एवं राष्ट्रपति

20. संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है–
(a) प्रधानमंत्री में
(b) राष्ट्रपति में
(c) मंत्रिपरिषद् में
(d) संसद में

21. संसद में शून्य काल का समय है–
(a) सुबह 9 बजे से 10 बजे तक
(b) सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
(c) सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक
(d) दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक

22. निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है?
(a) लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
(b) राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
(c) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
(d) राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य

2016

23. लोक सभा द्वारा पारित धन–विधेयक राज्य सभा द्वारा भी पारित मान लिया जायेगा, यदि राज्य सभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती:
(a) 10 दिनों तक
(b) 14 दिनों तक
(c) 15 दिनों तक
(d) 16 दिनों तक

24. किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति सम्पन्न सांविधानिक प्राधिकारी है:
(a) भारत का राष्ट्रपति
(b) भारत का प्रधानमंत्री
(c) समाज कल्याण मंत्री
(d) अनु.जा./अनु.जनजाति आयोग का अध्यक्ष

25. सूची–I को सूची–II से सुमेलित कीजिये और नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिये:

	सूची–I		सूची–II
A.	सांविधानिक संशोधन	1.	अनुच्छेद–360
B.	वित्त आयोग	2.	अनुच्छेद–312
C.	वित्तीय आपात	3.	अनुच्छेद–280
D.	अखिल भारतीय सेवाएं	4.	अनुच्छेद–368

कूट:

	A	B	C	D
(a)	2	3	4	1
(b)	4	3	1	1
(c)	3	4	1	2
(d)	1	2	3	4

26. सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया है?
(a) प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य
(b) विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य
(c) केन्द्र तथा राज्यों के मध्य
(d) कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य

27. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।
(a) अनु. 249
(b) अनु. 250
(c) अनु. 252
(d) अनु. 253

28. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिये प्रावधान है?
(a) अनुच्छेद 320
(b) अनुच्छेद 322
(c) अनुच्छेद 324
(d) अनुच्छेद 326

29. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'संविधान के आधारभूत ढांचे' के सिद्धात को स्पष्ट किया है:
(a) गोलकनाथ वाद 1967 में
(b) सज्जन सिंह वाद 1965 में
(c) शंकरी प्रसाद वाद 1951 में
(d) केशवानन्द भारती वाद 1973 में

GS World Committed To Excellence

30. अनुच्छेद-249 के खण्ड (1) के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिये प्रवृत्त नहीं रहेगा?
(a) एक माह
(b) तीन माह
(c) छः माह
(d) एक वर्ष

31. पंचायती राज्य व्यवस्था अपनाई गई थी:
(a) लोगों को राजनैतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु।
(b) लोकतंत्र की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के लिये।
(c) कृषकों को शिक्षित करने के लिये।
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

32. भारत में ''पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी'' किसे कहा जाता है?
(a) आचार्य नरेन्द्र देव
(b) जी.वी.के.राव
(c) बी.आर.मेहता
(d) एल.एम. सिंघवी

33. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
कथन (A): संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉ. अम्बेड. कर ने इसकी आत्मा कहा था।
कारण (R): अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है।
नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिये:
कूट:
(a) A तथा R दोनों ही सही हैं और A का सही स्पष्टीकरण R है।
(b) A तथा R दोनों ही सही हैं और A का सही स्पष्टीकरण R नहीं है।
(c) A सही है, किन्तु R गलत है।
(d) A गलत है, किन्तु R सही है।

34. पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिये पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा?
(a) उत्तर प्रदेश
(b) असम
(c) अरूणाचल प्रदेश
(d) हरियाणा

35. निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है?
(a) राज्य का राज्यपाल
(b) राज्य का विधान मण्डल
(c) भारत की संसद
(d) भारत का राष्ट्रपति

36. भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है:
(a) संसद में साधारण बहुमत तथा कम-से-कम दो-तिहाई राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा।
(b) संसद में साधारण बहुमत द्वारा।
(c) संसद में दो-तिहाई बहुमत तथा कम-से-कम दो-तिहाई राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा।
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

37. भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है?
(a) लोक सभा
(b) राज्य सभा
(c) संसद
(d) सर्वोच्च न्यायालय

38. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से सम्बंधित है?
(a) अनुच्छेद 380
(b) अनुच्छेद 312
(c) अनुच्छेद 60
(d) अनुच्छेद 51

39. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये और सूचियों के नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिये:

	सूची-I		सूची-II
A.	भारत का नियंत्रक एवं महालेखा	1.	अनुच्छेद-315
B.	वित्त आयोग	2.	अनुच्छेद-280
C.	प्रशासनिक अधिकरण	3.	अनुच्छेद-148
D.	संघ लोक सेवा आयोग	4.	अनुच्छेद-323(A)

कूट:

	A	B	C	D
(a)	3	2	4	1
(b)	3	4	2	1
(c)	1	2	4	3
(d)	4	1	3	2

40. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (ZJ) के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है:

(a) 21
(b) 15
(c) 11
(d) 7

41. निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करता है।

(a) भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
(b) मुख्य निर्वाचन आयुक्त
(c) लोक सभा अध्यक्ष
(d) भारत का महान्यायवादी

2017

42. सूची-I को सूची-II में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :

सूची-I		सूची-II
A.	न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन	1. 61वाँ संशोधन
B.	सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना	2. 42वाँ संशोधन
C.	मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना	3. 38वाँ संशोधन
D.	उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना	4. 44वाँ संशोधन

कूट :

	A	B	C	D
(a)	1	2	4	3
(b)	2	4	1	3
(c)	3	4	1	2
(d)	4	1	3	2

43. भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएँ समान हैं?
1. अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं।
2. अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं।
3. राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति हैं।
4. उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं।

(a) केवल 3
(b) केवल 3 तथा 4
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) केवल 1, 3 तथा 4

44. भारतीय संविधान में 'राज्यों का संघ'' की संकल्पना को प्राप्त किया गया है :

(a) अमेरिका के संविधान से
(b) आस्ट्रेलिया के संविधान से
(c) ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम से
(d) स्विट्जरलैण्ड के संविधान से

45. लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति (कोरम) कितनी है?

(a) सदन के सदस्यों की कुल संख्या का छठवाँ भाग
(b) सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवाँ भाग
(c) सदन के सदस्यों की कुल संख्या का चौथा भाग
(d) सदन के सदस्यों की कुल संख्या का तीसरा भाग

46. निम्नलिखित में से कौन सरकारिया अयोग का सदस्य था?

(a) वी. शंकर
(b) के. हनुमन्तैय्या
(c) डॉ. एस.आर. सेन
(d) ओ.वी. अलगेसन

47. सूची-I को सूची-II में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :

सूची-I (राज्य)	सूची-II (राज्य सभा के सदस्यों की संख्या)
A. गुजरात	1. 9
B. कर्नाटक	2. 11
C. केरल	3. 12
D. ओडिशा	4. 10

कूट :

	A	B	C	D
(a)	1	4	3	2
(b)	3	2	4	1
(c)	2	3	1	4
(d)	1	2	3	4

48. नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं।

अभिकथन (A) : चुनाव की घोषणा होते ही रा. जनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है।

कारण (R) : आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए :

कूट :

(a) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं तथा (R) (A) की सत्य व्याख्या करता है।

(b) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं परन्तु (R) (A) का सत्य व्याख्या नहीं करता है।

(c) (A) सत्य है, किन्तु (R) गलत है।

(d) (A) गलत है, किन्तु (R) सत्य है।

49. नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं।

अभिकथन (A) : भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित हैं।

कारण (R) : भारतीय संविधान में कुछ "उधार की वस्तुएँ हैं"।

सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से करें।

कूट :

(a) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं तथा (R) (A) की सत्य व्याख्या करता है।

(b) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं परन्तु (R) (A) का सत्य व्याख्या नहीं करता है।

(c) (A) सत्य है, किन्तु (R) गलत है।

(d) (A) गलत है, किन्तु (R) सत्य है।

50. भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबन्धित है?

1. संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप।
2. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप।
3. भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप।
4. संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए-

कूट :

(a) 1, 2, 3

(b) 2, 3, 4

(c) 1, 2, 4

(d) 1, 2, 3, 4

51. 'प्रोटम स्पीकर' सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है?

(a) पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को।

(b) पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को।

(c) नव-निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को।

(d) पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को।

52. राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ?

(a) 1950 में

(b) 1951 में

(c) 1952 में

(d) 1953 में

53. निम्नलिखित में से कौन अन्तर्राज्य परिषद् गठन करने के लिए अधिकृत है?

(a) संसद

(b) राष्ट्रपति

(c) लोकसभा के अध्यक्ष

(d) प्रधानमंत्री

54. निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?

(a)	नीति निनुमोदन प्रस्ताव	–	बजट की माँग को घटाकर एक रूपया कर दिया जाए
(b)	मितव्ययिता प्रस्ताव	–	बजट की माँग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए
(c)	सांकेतिक प्रस्ताव	–	बजट की माँग में से एक सौ रुपए कम कर दिए जाएँ
(d)	लेखानुदान	–	बजट माँगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना

55. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए

गए कूट से सही उत्तर को चुनिए।

कथन (A) : भारत एक लोकतांत्रिक देश है।

कारण (R) : भारत का अपना एक संविधान है।

कूट :

(a) (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R) (A) की सही व्याख्या करता है।

(b) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं परन्तु (R) (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(c) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।

(d) (A) तथा (R) दोनों गलत हैं।

56. निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है?

(a) चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता

(b) संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार

(c) साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता

(d) अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार

57. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए :

1. राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है।
2. वह विधानमण्डल का हिस्सा नहीं है।
3. उन्हें विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है।
4. उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है।

कूट :

(a) 1 और 2 सही हैं।

(b) 1 और 3 सही हैं।

(c) 2 और 4 सही हैं।

(d) सभी सही हैं।

58. निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद-21 के दायरे में नहीं आता है?

(a) एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता

(b) कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न

(c) पानी की गुणवत्ता को दूषित करना

(d) मृत्युदण्ड

59. निम्नांकित में से कौन-सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है?

(a) यह एक संवैधानिक संस्था है।

(b) पाँच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की गयी है।

(c) यद्यपि चण्डीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है।

(d) यह एक परामर्शदात्री संस्था है।

2018

60. राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन-से भागों में विभाजित किये जा सकते है?

(a) समाजवादी

(b) उदार बौद्धिकतावादी

(c) गांधीवादी

(d) उपरोक्त सभी

61. भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे?

(a) एम.हिदायतुल्ला

(b) ए.एम.अहमदी

(c) पी.एन.भगवती

(d) ए.एस.आनंद

62. भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बनाइए।

(a) 26 नवंबर, 1949

(b) 5 दिसंबर, 1949

(c) 24 जनवरी, 1950

(d) 25 जनवरी, 1950

63. निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है?

(a) लोकसभा

(b) राज्य सभा

(c) विधान सभा

(d) विधान परिषद्

64. लोकसभा में केन्द्र शासित क्षेत्रें का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है?

(a) 15

(b) 20

(c) 25

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

65. निम्नलिखित में कौन एक संविधानेतर संस्था है?

(a) संघ लोक सेवा आयोग

(b) वित्त आयोग

(c) निर्वाचन आयोग

(d) नीति आयोग

66. सरकारिया आयोग की संस्तुतिया निम्नलिखित में किससे संबंधित है?

(a) राजस्व का वितरण

(b) राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य

(c) संसद की सदस्यता

(d) केन्द्र-राज्य संबंध

67. निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है?

(a) राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना

(b) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना

(c) एक नयी अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

68. भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं?

(a) भाग I

(b) भाग II

(c) भाग VII

(d) भाग XI

69. भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है

(a) अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा

(b) 2/3 बहुमत द्वारा

(c) 3/4 बहुमत द्वारा

(d) अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा

70. बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को आयोग्य घोषित किया जा सकता है?

(a) 30 दिन

(b) 60 दिन

(c) 90 दिन

(d) 120 दिन

71. समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में किससे संबंधित है?

(a) भा.द.सं. की धारा 377

(b) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377

(c) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277

(d) उपरोक्त में कोई नहीं

2019

72. नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

कथन (A): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है

कारण (R): संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है।

नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए-

कूटः

(a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(b) (A) और (R) दोनों सही हैं किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।

(d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

73. भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
2. अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए-

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

74. निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?

(a) सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता — राज्य सूची
(b) जनगणना — संघ सूची
(c) राज्य सभा में सीटों का बंटवारा — द्वितीय अनुसूची
(d) दलबदल विरोध — दसवीं अनुसूची

75. भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं?

(a) 22
(b) 24
(c) 29
(d) 32

76. प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

1. यह 1977 में अस्तित्व में आया।
2. इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 2
(b) 1 और 2 दोनों
(c) केवल 1
(d) न तो 1 और न ही 2

77. भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं?

(a) त्रिपुरा
(b) सिक्किम
(c) नागालैंड
(d) उपरोक्त सभी

78. निम्नांकित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?

(a) बंदी प्रत्यक्षीकरण — 'टू हैव दि बॉडी ऑफ'
(b) परमादेश — 'वी कमाण्ड'
(c) प्रतिषेध — 'टू बी सरटिफाइड'
(d) अधिकार पृच्छा — 'बाई व्हाट अथॉरिटी'

79. धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है?

(a) अनुच्छेद 109
(b) अनुच्छेद 110
(c) अनुच्छेद 111
(d) अनुच्छेद 112

80. पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा कथन सही है/हैं?

1. पचास प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।
2. ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं।
3. मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए-

कूट:

(a) केवल 1
(b) 2 तथा 3
(c) 1 तथा 2 दोनों
(d) केवल 3

GS World Committed To Excellence

81. निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए–

I. महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए।

II. भारत का संविधान लागू हुआ।

III. जम्मू-कश्मीर की प्रभुसत्तासंपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया।

IV. जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ।

कूट:

(a) I, III, IV, II
(b) III, IV, I, II
(c) I, II, III, IV
(d) IV, III, II, I

82. नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

कथन (A): केन्द्रीय कानूनों का सांविधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है।

कारण (R): सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए–

कूट:

(a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(b) (A) और (R) दोनों सही हैं किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

83. भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है

(a) 26 जनवरी को
(b) 2 अक्टूबर को
(c) 21 अप्रैल को
(d) 24 अप्रैल को

84. 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गयी?

(a) अनुच्छेद 38
(b) अनुच्छेद 39A
(c) अनुच्छेद 45
(d) अनुच्छेद 43A

85. संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है?

(a) यह लागू किया जा सकता है
(b) यह लागू नहीं किया जा सकता है
(c) विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

86. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में कौन-सा सही है?

(a) राज्य की कार्यपालिका शक्ति
(b) राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें
(c) राज्यपाल की पदावधि
(d) राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

2020

87. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए–

सूची-I	सूची-II
A. भारतीय शस्त्र अधिनियम	1. 1876
B. शाही पद अधिनियम	2. 1878
C. भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम	3. 1869
D. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम	4. 1861

कूट

	A	B	C	D
(a)	2	3	1	4
(b)	3	1	2	4
(c)	1	2	3	4
(d)	2	1	4	3

88. संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं?

(a) IX
(b) VI
(c) III
(d) IVक

89. भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया?

(a) 1990
(b) 1991
(c) 1992
(d) 1993

90. निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव **नहीं** है?
(a) नये राज्यों का गठन
(b) राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन
(c) राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन
(d) नये राज्यों का प्रवेश

91. निम्न में से कौन-से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका **नहीं** होती है?
1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों
2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों
3. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग
4. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-
कूट:
(a) केवल 1 तथा 2
(b) केवल 3 तथा 4
(c) केवल 1, 2 तथा 3
(d) केवल 3

92. पंचायतों के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है।
(a) राज्यपाल में
(b) भारत के निर्वाचन आयोग में
(c) जिला पंचायत राज अधिकारी में
(d) राज्य निर्वाचन आयोग में

93. निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा एक ही सुमेलित **नहीं** है?
(a) अन्तर्राज्य परिषद - अनुच्छेद 263
(b) वित्त आयोग - अनुच्छेद 280
(c) प्रशासनिक न्यायाधिकरण - अनुच्छेद 323क
(d) संघ लोक सेवा आयोग - अनुच्छेद 315

94. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद केन्द्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है?
(a) अनुच्छेद 268
(b) अनुच्छेद 280
(c) अनुच्छेद 276
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

95. राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए-
1. जयंती पटनायक
2. ममता शर्मा
3. डॉ. गिरिजा व्यास
4. डॉ. पूर्णिमा अडवानी

इनके नियुक्ति का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए
कूट:
(a) 2, 1, 3, और 4
(b) 2, 3, 1 और 4
(c) 1, 3, 4 और 2
(d) 1, 4, 3 और 2

96. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371-ञ के अन्तर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है?
(a) नागालैंड
(b) हैदराबाद और कर्नाटक
(c) महाराष्ट्र और गुजरात
(d) लद्दाख

97. निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही सुमेलित **नहीं** है?
(a) मूल कर्तव्य - भाग IVक
(b) राज्य - भाग VI
(c) भारत का महान्यायावादी - भाग XIII
(d) संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ - भाग XIV

98. भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन-सी है?
(a) लोक लेखा समिति
(b) प्राक्कलन समिति
(c) लोक उपक्रम समिति
(d) याचिका समिति

99. भारतीय संविधान के कौन-से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है?
(a) अनुच्छेद 3 से 10
(b) अनुच्छेद 4 से 11
(c) अनुच्छेद 5 से 11
(d) अनुच्छेद 6 से 11

100. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है:

कथन (A) : भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में 'निरन्तरता एवं परिवर्तन' के तत्व मूर्त रूप में पाये जाते हैं।

कारण (R) : भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे- आधुनिक शैली, परम्परागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-

कूट:

(a) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।

(b) A और R दोनों सही हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।

(c) A सही है परन्तु R गलत है।

(d) A गलत है परन्तु R सही है।

101. राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है?

(a) 10
(b) 12
(c) 13
(d) 14

102. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'संविधान के आधारभूत ढाँचे' के सिद्धांत को स्पष्ट किया-

(a) गोलकनाथ वाद 1967 में

(b) केशवानन्द भारती वाद 1973 में

(c) शंकरी प्रसाद वाद 1951 में

(d) सज्जन सिंह वाद 1965 में

103. निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है?

(a)	अनुच्छेद 39A	-	समान न्याय एवं नि:शुल्क विधिक सहायता
(b)	अनुच्छेद 40	-	ग्राम पंचायतों का संगठन
(c)	अनुच्छेद 44	-	समान नागरिक संहिता
(d)	अनुच्छेद 48	-	न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण

104. भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा।

2. महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-

कूट:

(a) केवल 1 सही है

(b) केवल 2 सही है

(c) 1 और 2 दोनों सही है

(d) न तो 1 न ही 2 सही है

105. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है-

कथन (A) : भारतीय संघात्मक व्यवस्था को 'अर्ध-संघात्मक' कहा जाता है।

कारण (R) : भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है।

नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए-

कूट:

(a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।

(b) A और R दोनों सही हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।

(c) A सत्य है परन्तु R गलत है।

(d) A गलत है परन्तु R सत्य है।

106. निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक हो सकती है।

(a) सामान्य विधेयक

(b) धन विधेयक

(c) संवैधानिक संशोधन विधेयक

(d) विनियोग विधेयक

107. भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया?

(a) 22 जनवरी, 1950

(b) 24 जनवरी, 1950

(c) 22 जुलाई, 1947

(d) 22 जुलाई, 1948

GS World Committed To Excellence

108. विकास, अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अन्तर्गत आता है?
(a) प्रधानमंत्री कार्यालय
(b) गृह मंत्रालय
(c) मंत्रिमण्डल सचिवालय
(d) नीति आयोग

2021

109. निम्नलिखित में से कौन-से आयोग/समिति की सिफारिश पर भारत में अन्तर्राज्य परिषद की स्थापना की गई?
(a) पुछी आयोग
(b) राजमन्नार समिति
(c) कोठारी समिति
(d) सरकारिया आयोग

110. ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर 'विभाग' या 'विभागीय' पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया?
(a) भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
(b) भारत सरकार अधिनियम, 1858
(c) भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
(d) भारतीय परिषद अधिनियम, 1909

111. निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए-
I. गोवा
II. तेलंगाना
III. झारखण्ड
IV. हरियाणा
नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए-
कूट:
(a) I, II, III, IV
(b) IV, I, III, II
(c) III, II, IV, I
(d) IV, III, I, II

112. भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है?
(a) प्रधानमंत्री
(b) गृहमंत्री
(c) रक्षामंत्री
(d) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री

113. निम्नलिखित में से कौन-सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है?
(a) साधारण विधेयक
(b) सांविधानिक संशोधन विधेयक
(c) राज्य पुनर्गठन विधेयक
(d) धन विधेयक

114. निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. गोलकनाथ वाद
II. केशवानंद भारती वाद
III. 24वां संविधान संशोधन अधिनियम
IV. 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 76
कूट:
(a) I, III, II, IV
(b) I, II, III, IV
(c) III, I, II, IV
(d) III, I, IV, II

115. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित **नहीं** है?
(a) सम्प्रभुता
(b) लोकतंत्रात्मक
(c) पंथनिरपेक्ष
(d) संघीय

116. निम्नलिखित में से कौन-सा एक युग्म सही सुमेलित **नहीं** है?

	(प्रावधान)		(स्रोत)
(a)	मौलिक अधिकार	–	संयुक्त राज्य अमेरिका
(b)	राज्य के नीति निर्देशक तत्व	–	आयरलैंड
(c)	केन्द्र की अवशिष्ट शक्तियाँ	–	ऑस्ट्रेलिया
(d)	आपातकालीन शक्तियाँ	–	जर्मनी

117. भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है-

(a) संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना।

(b) संघीय वार्षिक बजट तैयार करना।

(c) राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना।

(d) संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए निधियों का विनिधान करना।

118. निम्नांकित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित **नहीं** है?

	(विषय)		(संबंधित अनुच्छेद)
(a)	न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण	–	अनुच्छेद 50
(b)	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि	–	अनुच्छेद 46
(c)	सहकारी सोसाइटि का संवर्धन	–	अनुच्छेद 43A
(d)	ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना	–	अनुच्छेद 40

119. निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था?

(a) श्री संथानम

(b) श्री के०सी० नियोगी

(c) डॉ० राज मन्नार

(d) श्री ए०के० चन्दा

120. निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को 'हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता' कहा था?

(a) पंडित जवाहरलाल नेहरू

(b) डॉ० श्रीमराव अम्बेडकर

(c) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

(d) डॉ० एस० राधाकृष्णन

121. राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है-

(a) विधान सभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा

(b) उच्चतम न्यायालय की जाँच के पश्चात् राज्यपाल द्वारा

(c) उच्चतम न्यायालय की जाँच के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा

(d) उच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात् राज्यपाल द्वारा

122. भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. राष्ट्रपति, लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है।

2. राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है।

सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए।

कूट:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 तथा 2 दोनों

(d) न तो 1 न ही 2

123. पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें-

I. अशोक मेहता समिति

II. एल०एम० सिंघवी समिति

III. बी०आर० मेहता समिति

IV. जी०के०वी० राव समिति

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए

कूट:

(a) I, II, III, IV

(b) II, I, IV, II

(c) II, I, III, IV

(d) III, II, IV, I

124. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है-

अभिकथन (A) : वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है।

कारण (R) : अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।

कूट:

(a) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।

(b) A और R दोनों सत्य हैं, किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।

(c) A सत्य है, किन्तु R गलत है।

(d) A गलत है, किन्तु R सत्य है।

125. नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए

1. भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे।

2. भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए

कूट:

(a) केवल 1 सही है

(b) केवल 2 सही है

(c) 1 और 2 दोनों सही है

(d) 1 ओर 2 दोनों गलत है

126. निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है?

(a) अनुच्छेद 265

(b) अनुच्छेद 266

(c) अनुच्छेद 267

(d) अनुच्छेद 268

127. भारतीय संविधान के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक कर्तव्य **नहीं** है?

(a) आम चुनावों में मतदान

(b) वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास

(c) सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा

(d) संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान

128. निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है?

(a) 101वां संशोधन अधिनियम

(b) 102वां संशोधन अधिनियम

(c) 103वां संशोधन अधिनियम

(d) 104वां संशोधन अधिनियम

129. कौन-से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था?

(a) 66वां संशोधन

(b) 62वां संशोधन

(c) 61वां संशोधन

(d) 63वां संशोधन

130. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है–

अभिकथन (A) : भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है

कारण (R) : लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–

कूट:

(a) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।

(b) A और R दोनों सत्य हैं, किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।

(c) A सत्य है, किन्तु R गलत है।

(d) A गलत है, किन्तु R सत्य है।

131. भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है–

(a) नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की

(b) भारत की संचित निधि की

(c) भारत के लोक लेखा की

(d) भारत की आकस्मिकता निधि की

132. उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है–

(a) प्रधानमंत्री द्वारा

(b) केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा

(c) राष्ट्रपति द्वारा

(d) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा

133. भारतीय संसद की कार्यवाही में 'शून्य काल' का अर्थ है–

(a) सत्र का प्रथम घंटा

(b) जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है।

(c) प्रश्न काल के पूर्व का काल

(d) प्रश्न काल की ठीक पश्चात् का काल

134. निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था?

(a) कलकत्ता

(b) मद्रास

(c) बाम्बे

(d) दिल्ली

2022

135. निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा एक सुमेलित नहीं है?

	राज्य		विधानसभा की सदस्य संख्या
(a)	उत्तर प्रदेश	–	403
(b)	मणिपुर	–	62
(c)	उत्तराखंड	–	70
(d)	गोवा	–	40

136. निम्नलिखित राजनैतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।

I. बहुजन समाज पार्टी
II. समाजवादी पार्टी
III. तेलुगू देशम पार्टी
IV. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।

कूट:

(a) III, II, I, IV
(b) III, I, II, IV
(c) I, II, III, IV
(d) II, I, III, IV

137. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।

सूची-I (समिति)	सूची-II (नियुक्ति का वर्ष)
A. बलवंत रायज मेहता समिति	1. 1957
B. अशोक मेहता समिति	2. 1977
C. एल.एम. सिंघवी समिति	3. 1986
D. पी.के. थुंगुन समिति	4. 1988

कूट:-

	A	B	C	D
(a)	2	3	1	4
(b)	4	1	2	3
(c)	3	4	2	4
(d)	1	2	3	4

138. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।

सूची-I (विधान के नव निर्वाचित अध्यक्ष)	सूची-II (राज्य)
A. रमेश तावड़कर	1. गोवा
B. कुलतार सान्ध्वान	2. पंजाब
C. टी. सत्यब्रत	3. मणिपुर
D. रितू खण्डारी	4. उत्तरखंड

कूट:-

	A	B	C	D
(a)	3	2	4	1
(b)	2	3	1	4
(c)	1	2	3	4
(d)	1	4	3	2

139. 'संविधान की मूल संरचना' की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी?

(a) चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य- 1964 में
(b) केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य- 1973 में
(c) युसुफा बनाम बम्बई राज्य- 1954 में
(d) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य- 1967 में

GS World Committed To Excellence

140. निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है?

	लोकसभा		चुनाव वर्ष
(a)	नवीं	–	1989
(b)	तेरहवीं	–	1999
(c)	सातवीं	–	1982
(d)	ग्यारहवीं	–	1996

141. दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है।

(a) राज्यसभा द्वारा

(b) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा

(c) लोकसभा द्वारा

(d) संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा

142. किस संविधान संशोधन के द्वारा 'दिल्ली' को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनया गया?

(a) 70वाँ

(b) 75वाँ

(c) 69वाँ

(d) 73वाँ

143. भारत में संसद के द्वारा पंचायत (एक्सटेंशन टू शैडयूल्ड एरियाज) कानून पारित किया गया?

(a) 1995 में

(b) 1998 में

(c) 1993 में

(d) 1996 में

144. निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उप-राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था?

(a) डॉ. जाकिर हुसैन

(b) डॉ. शंकर दयाल शर्मा

(c) आर. वेंकटरमण

(d) नीलम संजीवा रेड्डी

145. निम्नलिखित में से कौन-सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है?

(a) सार्वजनिक सपंत्ति की सुरक्षा करना।

(b) राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना।

(c) राष्ट्रगान का सम्मान करना।

(d) प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एं सवंर्धन करना।

146. नीचे दो कथन दिए गए है, एक को अभिकथन (A) दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

अभिकथन (A): 73वाँ संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है।

कारण (R: 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अपेक्षित संविधानिक दर्जा प्रदान किया।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:-

कूट:-

(a) (A) तथा (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(b) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

(c) (A) तथा (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या है।

(d) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।

GS World Committed To Excellence

147. शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों सम्मिलित किया गया।

(a) 86वें संविधान अधिनियम, 2002 के द्वारा

(b) 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के द्वारा

(c) 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा

(d) 93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2005 के द्वारा

148. निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार, जैसा संविधान में उल्लिखित है, व्यवस्थित कीजिए।

I. संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र

II. मौलिक कर्तव्य

III. नागरिकता

IV. राज्य की नीति के निदेशक तत्व

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।

कूटः–

(a) III, I, II, IV

(b) II, IV, I, III

(c) IV, II, III, I

(d) I, III, IV, II

149. सूची–I को सूची–II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।

सूची–I (अनुसूची)	**सूची–II (विषय)**
A. तृतीय अनुसूची	1. राज्य विधान परिषदों में स्थान का आबंटन
B. चतुर्थ अनुसूचीज	2. शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप
C. सातवीं अनुसूची	3. भाषाएँ
D. आठवीं अनुसूचीं	4. संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनायी जाने वाली विधियों की विषय सूची

कूटः–

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	2	1	4	3
(b)	4	3	1	2
(c)	1	2	3	4
(d)	3	4	2	1

GS World Committed To Excellence

ANSWER
INDIAN POLITY (2015-2022)

1. (b)	2. (c)	3. (c)	4. (b)	5. (a)	6. (c)	7. (d)	8. (c)	9.(b)	10. (a)
11. (b)	12. (c)	13. (b)	14. (c)	15. a)	16. (a)	17. (b)	18. (a)	19. d)	20.b)
21. (d)	22. (d)	23. (b)	24. (a)	25. (b)	26. (c)	27. (d)	28. (c)	29. (d)	30. (d)
31. (b)	32. (c)	33. a)	34. (c)	35. (b)	36. b)	37. (c)	38. (d)	39. (a)	40. (a)
41. (d)	42. (c)	43. (a)	44. (c)	45. (b)	46. (c)	47. (c)	48. (c)	49. (d)	50. (c)
51. (c)	52. (c)	53. (b)	54. (d)	55. (b)	56. (c)	57. (b)	58. (d)	59. (a)	60. (d)
61. (*)	62. (c)	63. (d)	64. (b)	65. (d)	66. (d)	67. (c)	68. (b)	69. (b)	70. (b)
71. (a)	72. (b)	73. (a)	74. (c)	75. (c)	76. (c)	77. (a)	78. (c)	79. (b)	80. (d)
81. (c)	82. (a)	83. (d)	84. (d)	85. (b)	86. (d)	87. (d)	88. (a)	89. (d)	90. (d)
91. (d)	92. (d)	93. (*)	94. (d)	95. (d)	96. (b)	97. (c)	98. (b)	99. (c)	100. (a)
101. (b)	102. (b)	103. (d)	104. (a)	105. (b)	106. (a)	107. (c)	108. (d)	109. (d)	110. (a)
111. (b)	112. (a)	113. (d)	114. (a)	115. (d)	116. (c)	117. (a)	118. (c)	119. (b)	120. (d)
121. (c)	122. (c)	123. (d)	124. (d)	125. (c)	126. (c)	127. (a)	128. (a)	129. (c)	130. (d)
131. (a)	132. (d)	133. (d)	134. (b)	135. (b)	136. (b)	137. (d)	138. (c)	139. (b)	140. (c)
141. (d)	142. (c)	143. (d)	144. (d)	145. (b)	146. (c)	147. (a)	148. (d)	149. (a)	

UP PCS Pre. के GS पेपर में विभिन्न वर्षों में पूछे गए राजव्यवस्था प्रश्नों का ट्रेंड एनालिसिस

टॉपिक	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015 (I)	2015 (II)
न्यायपालिका	1	0	3	1	2	1	1	1	3
पंचायती राज	3	2	2	2	0	0	6	4	0
संसद/विधानमंडल	1	6	4	0	5	7	4	3	6
संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय	2	0	3	0	3	0	0	0	0
केंद्रीय कार्यपालिका/मंत्रालय	1	0	2	1	2	1	2	3	5
राज्य सरकार	0	1	2	1	1	0	0	0	0
मौलिक अधिकार/DPSP/ मौलिक कर्तव्य	1	1	2	3	2	1	2	3	2
राजनीतिक व्यवस्था	1	0	1	0	0	0	0	0	0
एक्ट	0	0	1	1	0	0	0	1	0
प्रमुख अनुच्छेद	0	2	1	2	0	0	2	0	0
संविधान निर्माण/इतिहास	0	1	1	1	1	0	0	0	0
अनुसूची/भाग	2	0	0	3	0	0	0	0	0
राष्ट्रीय प्रतीक	0	0	0	1	0	0	0	0	0
प्रस्तावना	0	1	0	1	1	0	0	0	0
समिति/आयोग	0	7	0	0	1	0	3	1	0
संविधान संशोधन	2	3	0	0	0	1	0	0	1
चुनाव	1	0	0	0	0	1	3	0	0
संस्थाएं	0	1	0	0	0	1	1	2	4
संविधान की विशेषताएं	0	0	1	1	0	3	0	2	3
कुल	**15**	**25**	**23**	**18**	**18**	**16**	**24**	**20**	**24**

GS World Committed To Excellence

10 वर्षों का विश्वास

1600+ चयन

IAS GS World PCS

Committed To Excellence

Our Online Courses

- IAS
- BPSC
- MODULE Batch
- UPPCS
- CSAT
- UGC-NET
- RO/ARO
- सामान्य हिन्दी
- TGT/PGT

Features

- Affordable Fees
- Pre. Test Series
- Current Affairs
- Top Educators
- Mains Test Series
- PDF/Printed Notes

To Join us

Download the App

GS World IAS/PCS Institute

or

Visit us on : gsworld.online

For

Online Classes

&

IAS/ PCS Test Series

UPSC में चयनित हमारे संस्थान के सफल अभ्यर्थी...

IAS GS World PCS

Committed To Excellence

YAKSH CHAUDHARY · ADITYA RAJ · VIPIN KUMAR DWIVEDI · BHANU PRATAP SINGH · ANAND KUMAR SINGH · AMAN KUMAR JHA · ADITYA KUMAR JHA · DR. PAWAN KR. PRAJAPATI · NEHA MISHRA · VIKAS CHANDRA · GARIMA TRIPATHI

PINAK PANI DWIVEDI · AKASH KUMAR · AVINASH KR. GAUTAM · MANJU MEENA · HEMANT SATI · PREMSUKH DELU · DHAWAL JAISWAL · ASHUTOSH KUMAR · ANIRUDDH KUMAR · DEVENDRA DUTT YADAV

And many more...

Atul Kr. Singh (SDM)
1st Rank

UPPSC 2021

में हमारे सफल अभ्यर्थी

Abhishek Priyadarshi (SDM)
35th Rank

SDM

- 6th Rank – Praveen Kr. Dwivedi, SDM
- 8th Rank – Vivek Kr. Singh, SDM
- 10th Rank – Mallika Nain, SDM
- 12th Rank – Sandhya Singh, SDM
- 18th Rank – Maseeha Najam, SDM
- 20th Rank – Poorva, SDM
- 25th Rank – Shivani Singh, SDM
- 27th Rank – Ravish Gupta, SDM
- 33th Rank – Nanci Singh, SDM
- 39th Rank – Abhishek Goshwami, SDM
- 44th Rank – Shreya, SDM
- 48th Rank – Sudhir Kumar, SDM
- 51th Rank – Jyoti Singh, SDM
- 52th Rank – Rashmi Lata, SDM

Nayab Tehsildar

Rajeev Kr. Singh (NT) · Pragya Sachan (NT) · Vidit Kumar Tiwari (NT) · Sweta Mishra (NT) · Shivendra Kr. Kaundilya (NT) · Anirudha Pandey (NT)

Akanksha Paswan (NT) · Pushpa Yadav (NT) · Anil Kumar (NT) · Devesh Pandey (NT) · Dheeraj Kr. Patel (NT) · Sandeep Kumar (NT)

Principal

Sangeeta Chaudhary (Principal) · Vivek Kumar Singh (Principal) · O. P. Singh Yadav (Principal) · Rajan Singh (Principal) · Sunil Kumar (Principal) · Manoj Kumar (Principal) · Manoj Kr. Tiwari (Principal) · Visheshwar Singh (Principal) · Rubee Khatoon (Principal)

Shipra Saxena (Principal) · Manvendra Singh (Principal) · Abhishek Rajbhar (Principal) · Ratnesh Singh (Principal) · Pawan Kr Srivastava (Principal) · Nirbhay Singh (Principal) · Uday Prakash Srivastava (Principal) · Rakesh Kr. Medhana (Principal)

Dy. S.P. / Sup. Jail

Vinita (Dy. S.P.) · Priyanka Yadav (Dy. S.P.) · Shivank Singh (Dy. S.P.) · Akshay Kumar (Dy. S.P.) · Manjeev Vishvkarma (Sup. Jailor)

Sub. Registrar

Ravi Kant (Sub Regi) · Anand Kr. Shukla (Sub Regi.) · Peetam Singh (Sub Regi.) · Neha Kumari (Sub. Regi.)

200+ selection in UPPSC 2021

For Any Query : 9654349902

facebook.com/gsworld1 · GS World IAS Institute · t.me/GSWorldIAS · gsworldias@gmail.com

Online कक्षा कार्यक्रम से जुड़ने के लिए GS World IAS/PCS Institute App Install करें

DELHI CENTRE
632, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-09

PRAYAGRAJ CENTRE
GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Chauraha,
Prayagraj

LUCKNOW CENTRE
Hanumant Complex, L-III 87A,
Sector-D, Aliganj,
Lucknow